रजिस्ट्री सं. डी (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1985/आश्विन 8, 1907
No. 15] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1985/ASVINA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इन्डिया

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

1-सी ए. (5) 1036/85 : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1949 के भाग 18 के उपभाग (5) के अनुसरण मे 31 मार्च 1985 को समाप्त हुये वर्ष के लिये परिषद की रिपोर्ट एव आडिट किये हुये लेखे की प्रति लिपि को सामान्य सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

31 मार्च 1985 को समाप्य वर्ष के लिए कौसिल की 36वी वार्षिक रिपोर्ट .

चार्टर्ड एकाउन्टेंट एक्ट, 1949 की धारा 18(5) की व्यवस्थाओं के अनुसार कौसिल अपनी 36वी वार्षिक रिपोर्ट को सहर्ष घोषणा कौसिल मे न केवल 31 मार्च 1985 को समाप्य वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट की गतिविधियो का समावेश है बल्कि इसमें इसके जारी होने की तिथि तक का महत्वपूर्ण गतिविधियों के ऊपर भी प्रकाश डाला गया है ।

1 कौंसिल

1 1 12वी कौंसिल जिसका गठन 17 सितम्बर, 1982 को हुआ था, का कार्यकाल 16 सितम्बर 1985 तक चलेगा । कौंसिल में पांच क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के चुने गये इंस्टीट्यूट के 24 सदस्य तथा 6 सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा चुने हुए होंगे । कौसिल व इसकी कमेटी की स्थिति, जिसका गठन 17 सितम्बर 1984 को किया गया था एक वर्ष की अवधि के लिए का उल्लेख परिशिष्टि 1 मे दिया गया है ।

1 2 प्रेसीडेंट व वाइस प्रेसीडेंट —श्री पी. एन शाह तथा श्री ए. सी. चक्रवर्ती 16 सितम्बर 1984 तक क्रमश. प्रेसीडेंट व वाइस प्रेसीडेंट रहे । श्री ए सी. चक्रवर्ती तथा श्री पी. एन. नेय्यर 17 सितम्बर 1984 की अवधि के लिए एक वर्ष के लिए क्रमश: प्रेसीडेंट व वाइस प्रेसीडेंट चुने गये ।

1 3 कौसिल की मीटिंग —वर्ष 1984-85 के दरम्यान कौंसिल की चार मीटिंगें —

109 वी मीटिंग 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, तथा 12 अप्रैल 1984 को; 110 वीं मीटिंग 18 जुलाई, 19 जुलाई 20 जुलाई तथा 21 जुलाई 1984 को; 111 वी मीटिंग 14 सितम्बर, 15 सितम्बर तथा 16 सितम्बर 1984 को तथा 112वी मीटिंग 20 दिसम्बर, 21 दिसम्बर, व 22 दिसम्बर 1984 को हुई ।

2 अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

इन्टरनेशनल फैडरेशन आफ एकाउन्टस

ए इंस्टीट्यूट इंन्टरनेशनल फैडरेशन आफ एकाउन्ट्स (आई एफ ए सी) का लगातार सदस्य रहता आया है तथा भारत आई एफ ए सी

कौसिल व इन्टरनेशनल ऑडिटिंग प्रेक्टिस कमेटी, दी एजूकेशन कमेटी और दि फाइनेंशियल एण्ड मेनेजमेंट एकाउन्टिंग कमेटी का निर्वाचित सदस्य बनता आ रहा है।

बी. श्री बी. एन छाबरा (इन्स्टीटयूट के भूतपूर्व प्रेसीडेंट) आई एफ ए सी की कौंसिल का भारत की ओर से बराबर प्रतिनिधित्व करते हैं।

सी. श्री. वाई एच मलेगम (इन्स्टीटयूट के भूतपूर्व प्रेसीडेंट) आई एफ ए सी की इन्टरनेशनल ऑडिटिंग प्रेक्टिसेज कमेटी में भारतीय प्रतिनिधि रहते आ रहे हैं।

डी. श्री. बंसी एस मेहता (इन्स्टीटयूट के भूतपूर्व प्रेसीडेंट) आई एफ ए सी की एजूकेशन कमेटी के चेयरमैन बनते आ रहे हैं। श्री. मेहता उत्तराधिकार में दूसरी बार एजूकेशन कमेटी के चेयरमैन चुने गये।

2 2 दि इन्टरनेशनल एकाउन्टिंग स्टैण्डर्स कमेटी (आई एफ एस सी) श्री पी एन नेय्यर, वाइस प्रेसीडेंट आई ए एस सी की स्टीयरिंग कमेटी, जो बैंकों की वित्तीय स्थिति का बताने के लिए गठित की गई है के सदस्य नामजद हुए हैं।

2 3 कान्फेडरेशन आफ एशियन एण्ड पैसिफिक एकाउन्टेन्ट्स सी ए पी ए) भारत हमारी सहायक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ कास्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के माध्यम से सी ए पी ए की कार्यवाही कमेटी का प्रतिनिधित्व करता आ रहा है।

2 4 दि साउथ एशियन फैडरेशन आफ एकाउन्टेन्ट्स (एस ए एफ ए) दि साउथ एशियन फैडरेशन आफ एकाउन्टेन्ट्स, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एकाउन्टेन्ट्स की उप-क्षेत्रीय इकाई है, का गठन अगस्त 1984 में किया गया था जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में एकाउन्टिंग व्यवसाय का विकास करना और उसमें समन्वय स्थापित करना था। वर्तमान काल के लिए एस ए एफ ए का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली स्थित इन्स्टीटयूट के कार्यालय में स्थापित किया गया है। श्री. पी. एन शाह भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट को प्रथम प्रेसीडेंट चुना गया था और श्री. कमल गुप्ता, इन्स्टीटयूट के टैक्नीकल डायरेक्टर, एस एफ सी के सेक्रेटरी हैं।

एस ए एफ ए की एसेम्बली (गवर्निंग बॉडी) की प्रथम औपचारिक बैठक 13 व 14 मई 1985 को श्री. पी. एन शाह की अध्यक्षता में हुई। श्री एस सी चक्रवर्ती इन्स्टीटयूट के प्रेसीडेंट तथा एस ए एफ के सेक्रेटरी श्री कमल गुप्ता भी मीटिंग में उपस्थित थे। इस बैठक में एस ए एफ ए की उपलब्धियों तथा उद्देश्यों के मार्ग व साधन पर विचार किया गया।

एस ए एफ ए ने दिसम्बर 1984 में अपना पहला समाचार पत्र तथा अगस्त 1985 में दूसरा समाचार पत्र जारी किया।

उपरोक्त मीटिंग के बाद इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ पाकिस्तान तथा दि इन्स्टीटयूट आफ कास्ट एंड मैनेजमेंट एकाउन्टेन्ट्स आफ पाकिस्तान द्वारा लगाये गये प्रथम एस ए एफ ए सदस्यों ने भाग लिया।

एस ए एफ ए के तत्वाधान में प्रथम सम्मेलन श्री लंका में कोलम्बो में दिसम्बर 1985 के प्रथम सप्ताह में होगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय एकाउन्टेंसी प्रोफेशन स्वरूप और सम्भावनाएं होगा। इस सम्मेलन में दक्षिण एशियाई देशों में एकाउन्टेंसी व्यवसाय के सदस्यों के सामान्य हित से सम्बन्धित विषयों पर विचार किया जायेगा।

एस ए एफ ए ने दिसम्बर 1984 में अपना पहला समाचार पत्र तथा अगस्त 1985 में दूसरा समाचार पत्र जारी किया।

2 5 एशियन एंड पैसेफिक कान्फ्रेंस आफ एकाउन्टिंग एजूकेशन फार डेवलपमेंट —एकाउन्टिंग एजूकेशन फार डेवलपमेंट के ऊपर इन्टरनेशनल फैडरेशन आफ एकाउन्टेन्ट्स, वर्ल्ड बैंक तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से सम्मेलन मनीला, फिलिपीन्स में नवम्बर 11-16, 1984 के मध्य में हुआ। सम्मेलन में विकासशील के सन्दर्भ में लेखा एवं लेखायोगी स्तरों को पढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया और इसके लिए मार्ग प्रशस्त किया गया। 40 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। हमारे इन्स्टीटयूट की ओर से पांच सदस्यों के दल ने, जिसका प्रतिनिधित्व इन्स्टीटयूट के प्रेसीडेंट ने किया भाग लिया।

2 6 11वीं में ए सी ए कान्फ्रेंस —अगस्त 1986 में होनेवाली 11वीं सी एएसी कान्फ्रेंस के लिए भारत को "एकाउन्टेंस- उनकी व्यावसायिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियां—आज और कल" का लेख दिया गया है। श्री भास्कर बनर्जी जो कौंसिल के सदस्य हैं को उपरोक्त विषय पर लेख लिखने के लिए नामजद किया गया है।

2 7 आई सी ए सी इन्टरनेशनल सेमीनार —इन्स्टीटयूट में शारजाह यू ए ई में जून 27-28 1985 को एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन करेगा। इस सेमीनार की फैकल्टी में श्री. एस सी चक्रवर्ती, डा आर सी वैश, श्री वाई एच मलेगम तथा श्री. कमल गुप्ता होंगे। इस सेमीनार में एकाउन्टिंग, आडिटिंग तथा टैक्सेशन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

2 8 इन्टरनेशनल टैक्नीकल डाक्यूमेन्ट्स पर प्रतिवचन —इन्स्टीटयूट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिवेदनों पर प्रतिपादन करता आ रहा है।

2 9 रायल गवर्नमेंट आफ भूटान का निवेदन —रायल गवर्नमेंट आफ भूटान के इस निवेदन पर कि भूटान से एक सीमित संख्या के स्नातको को भारत में चार्टर्ड एकाउन्टेंसी कोर्स करने की सुविधाएं प्रदान की जायें, विचार करने के उपरान्त इन्स्टीटयूट ने भूटान से इस कार्स के लिए अधिकतम 6 स्नातको को भर्ती करने पर सहमति दी है।

व्यावसायिक विकास की गतिविधियां

3 1 सामान्य —कौंसिल वर्ष अर्थात 17 सितम्बर 1984 से 16 सितम्बर 1985 तक की अवधि के लिए गठित की गई विभिन्न नान-स्टैंडिंग कमेटियों को व्यावसायिक विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के मूल्यांकन निम्नलिखित हैं। इस मूल्यांकन में एक अप्रैल 1984 से 16 सितम्बर 1984 तक की गतिविधियों का उल्लेख नहीं है क्योंकि इनको पहले ही गतवर्ष पेश की गई 35वीं वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा चुका है। इसमें क्षेत्रीय कौंसिलों तथा उनकी शाखाओं को गतिविधियों का ब्योरा भी नहीं है।

3 2 एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड बोर्ड

ए जनवरी 1979 म एकाउन्टिंग स्टैण्डर्डस के निवेदन को प्रस्तावना के जारी होने से कौंसिल ने निम्नलिखित आठ डेफिनिटिव एकाउन्टिंग स्टेण्डर्डस जारी किए हैं।

1 एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-1 "एकाउन्टिंग पालिसीज" पर (एस ए-1)—नवम्बर 1979

2 एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-2 "वैल्यूएशन आफ इन्वेन्टरीज" पर (ए एस-2)—जून 1981.

3 एकाउन्टिंग स्टेण्डर्ड 3 "वित्तीय स्थिति में परिवर्तन" पर (ए एस-3)—जून 1981

4 एकाउन्टिंग स्टैण्डर्डस-4 'बैलेन्स शीट तिथि के बाद होने वाली आकस्मिक एवं घटनाओं" पर (ए एस-4)—नवम्बर 1982

5 एकाउन्टिंग स्टैण्डर्डस-5 "एकाउन्टिंग पालिसीज में पिछले समय तथा असामान्य आइटम में और परिवर्तन" (ए एस-5)—नवम्बर 1982

6 एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड-6 "डेप्रीशियेशन एकाउन्टिंग" पर (ए एस-6)—नवम्बर 1982

7 एकाउन्टिंग स्टैण्डर्डस-7 "निर्माण संविदा के लिए एकाउन्टिंग" पर (ए एस-8)—जनवरी 1985.

इसके अलावा बोर्ड ने सितम्बर 1983 में फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट्स में प्रयुक्त शर्तों के ऊपर एक मार्गदर्शक नोट जारी किया है।

बी. बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गये कन्सैप्ट इश्यू पेपर्स पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के सदर्भ मे 'रेवेन्यू रिकाग्नाइजेशन' (ए एस-9) तथा "एकाउन्टिग फार फिक्सड एसेट्स" (ए एस-10) के ड्राफ्ट एकाउन्टिग स्टैण्डर्डस पर कौंसिल ने विचार किया और वे शीघ्र ही डेफिनिटिव एकाउन्टिग स्टैण्डर्डस 9 व 10 के रूप में जारी किए जाने वाले है ।

सी. एकाउन्टिग स्टैण्डर्डस को लागू करना —कथित एकाउन्टिग स्टैण्डर्डस को प्रस्तुत करने के लिए एक फेज्ड प्रोग्राम को लागू करने के लिए उत्सुक है तथा इस निमित्त विभिन्न तरीके और साधन विचाराधीन है। यह मामला ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री तथा सरकार के साथ पहले ही जा चुका है ।

डी. फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट्स को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए एकाउन्टिग स्टैण्डर्डस को लेने मे सदस्यो की सहायता करने के उद्देश्य से "एकाउन्टिग पालिसीज" को प्रकट करना (ए एस) तथा वैल्यूयेशन आफ इन्वेन्टरीज (ए एस-2) पर दो मार्गदर्शन नोट्स बोर्ड द्वारा तैयार किए जा रहे है ।

ई एकाउन्टिग स्टैण्डर्डस तथा उनकी लागू के सम्बन्ध मे विस्तृत प्रचार के लिए बोर्ड द्वारा एक पब्लिसिटी ब्रोशर तैयार किया जा रहा है जिसमे बोर्ड का गठन, इसके उद्देश्य, एकाउन्टिग स्टैण्डर्डस के विकास की प्रक्रिया आदि का समावेश है ।

एफ निम्नलिखित विषयो पर स्टैण्डर्डस तैयार किये जा रहे है

1. आय के ऊपर टैक्सो के लिए एकाउन्टिग
2. नियोक्ताओ के वित्तीय स्टेटमेंट्स पर सेवा निवृत्ति लाभो के लिए एकाउन्टिग
3. विदेशी विनियम दरो पर परिवर्तन प्रभाव के लिए एकाउन्टिग
4. सरकारी अनुदान तथा सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के लिए एकाउन्टिग

3 3 आडिटिग प्रैक्टिसेस कमेटी —वर्ष के अन्तर्गत कमेटी ने स्टैण्डर्ड आडिटिग प्रैक्टिसेज के ऊपर निम्नलिखित तीन स्टेटमेन्ट्स को अतिम रूप दिया है तथा उन्हें कौंसिल की स्वीकृति के लिए कौंसिल के पास भेजा है । इस तरह अब ये कौंसिल की अथारिटी के अन्तर्गत जारी किये जा चुके हैं ।

1 स्टेटमेंट आन स्टैंडर्ड आडिटिग प्रैक्टिसेज-1 आडिट आफ फाइनेंशिएल स्टेटमेंन्ट्स के उद्देश्य और क्षेत्र ।

2 स्टेटमेंट आफ स्टैण्डर्ड आडिटिग प्रैक्टिसेज-2 आडिट तैयार करने के आधारभूत तरीके ।

3 स्टेटमेन्ट आन स्टैण्डर्ड आडिटिग प्रैक्टिसेज-3 डाक्यूमेन्टेशन ।

बी. कमेटी ने "आडिट आफ फिक्सड एसेट्स" के ऊपर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया जो वर्तमान "स्टेटमेंट आन आडिटिग प्रैक्टिसज" के अनुच्छेद 3 के आडिटिग पहलुओं को पार कर कर जाते है ।

सी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुरोध पर कमेटी ने बैंको के हैड आफिस तथा रीजनल आफिस के आडिट के मामले मे विस्तृत आडिट रिपोर्टों से सम्बन्धित प्रश्नो के क्रम का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। दूसरे प्रश्नो के क्रम जो बैंकों की शाखाओं के मामले मे विस्तृत आडिट रिपोर्टों को पेश करते हैं, को भी कमेटी ने प्रस्तुत किया । प्रधान कार्यालयो तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बन्धित प्रश्नो के क्रम 1984 आडिट्स के सम्बन्ध में पहले ही लागू किये जा चुके हैं।

डी इडियन बैंकर्स एसोसियशन (आई बी ए) के अनुरोध पर कमेटी ने सदस्य बैंको को रिकामण्डिग ट्रांस्पोर्ट आपरेटर्स का आई बी ए स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय स्टेटमेंटस तथा आडिट रिपोर्ट तैयार की है ।

ई कमेटी ने इस्टीट्यूट के अधिकारों की घोषणा को लागू करने के मामले के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों पर भूतपूर्व प्रेसीडेन्टस तथा अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ बैठकों की एक शृखला का आयोजन किया है । जो कि बहुत ही लाभप्रद साबित हुई ।

कमेटी ने इस मामले पर विचार किया और सदस्यों को चेतावनी देने का फैसला किया कि स्टैण्डर्ड आडिटिग प्रैक्टिसज की अपेक्षाओ स्टेटमेन्ट से अन्य आडिटिग प्रैक्टिसेज आडिटर्स रिपोर्ट में यापनाओं के स्टेटमेन्ट तथा मैन्युफैक्चरिग व अन्य कम्पनीज के स्टैटमेंट (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर 1975 जिन्हे इस्टीट्यूट ने जारी किया है की ओर ध्यान न देने पर द्वितीय अनुसूची के भाग-1 के क्लाज (9) के अर्थ मे आडिट की सामान्य स्वीकार्य प्रक्रिया से अलग किया हुआ माना जायेगा। इस कथित क्लाज की व्यवस्थाओं के उल्लघन न करने के सम्बन्ध में सदस्य इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते है ।

एफ कमेटी ने कौसिल द्वारा स्वीकृत किये जाने पर वर्तमान मैन्युफैक्चरिग व अन्य कम्पनियां (आडिटर्स रिपोर्ट) आर्डर 1975 के मूल्याकन के लिए सरकार के पास विचार के लिए अपने सुझाव भेजे ।

जी बम्बई, कलकत्ता मद्रास और दिल्ली स्थित कमेटी के स्टडी ग्रुप आई ए पी सी द्वारा जारी किये गये इन्टरनेशनल आडिटिग सम्बधी मार्गदर्शियो तथा स्टैण्डर्ड आडिटिग प्रैक्टिसेज पर स्टेटमेन्टस के प्रारम्भिक ड्राफ्टस को विकसित करने म व्यस्त है ।

एच कमेटी का एक ग्रुप नई दिल्ली मे आई एफ ए सी की विभिन्न कमेटियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विभिन्न प्रलेखो के प्रारम्भिक जवाबो को तैयार करने के कार्य मे व्यस्त है ।

1. कमेटी निम्नलिखित विषयो पर ड्राफ्टो को विकसित कर रही है—
"आडीटर द्वारा मैनेजमेन्ट को पत्र" का अध्ययन

"ज्वाइन्ट आडीटर्स के उत्तरदायित्व" पर वर्तमान स्टेटमेन्ट का पुनर्मूल्याकन ।

"बैंकों के आडिट" पर वर्तमान प्रकाशन का पुनर्मूल्याकन ।

3.4 रिसर्च कमेटी

ए. प्रकाशित साहित्य

वर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित गाइडेस नोट/गाइड प्रकाशित हुए

1 स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों के एकाउन्ट्स के आडिट पर गाइड नोट।
2 सेन्ट्रल एक्साइज कानून पर एकाउन्टेटस गाईड।

बी. प्रकाशन की प्रक्रिया मे अध्ययन

1 गाईड नोटस एकाउन्टिग, आडिटिग, कम्पनी ला आदि सहित जिन्हे इन्स्टीट्यूट ने जारी किया, का सार।
2 प्रकाशन एकाउन्ट्स मे झुकाव (प्रकाशित एकाउन्ट्स मे वर्तमान व्याख्याओं का सशोधित रूप) ।
3 फटिलाइजर इण्डस्ट्री पर एकाउन्टिग तथा आडिटिग टेक्निकल गाईड ।
4 इन्टरनल आडिट पर गाईड लाइन्स—कन्सट्रक्शन इण्डस्ट्री।
5 इन्टरनल आडिट पर गाईड लाइन्स—शुगर इण्डस्ट्री।

सी कौसिल/कमेटी की जाच के उपरत रिसर्च स्टडीज/गाइडेंस नोट/गाईडलाइन्स

1. इण्डस्ट्री के बीमारी की हालत को निश्चित करने के लिए वित्तीय सूचना के प्रयोग का अध्ययन।
2 जारी बेस वर्टीग का रिसर्च अध्ययन।
3 निम्नलिखित पर एकाउन्टिग व टैक्निकल गाईड्स.—
(ए) आटोमाबाइल इण्डस्ट्री
(बी) ड्रग एण्ड फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्री
4 पट्टे के लिए एकाउन्टिग का रिसर्च अध्ययन।
5. इन्श्योरेन्स आडिट जी आई सी पर अध्ययन।

डी. परियोजना प्रगति पर

1. स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग टैकनीक—आडिट प्रैक्टिसेज में एक मूल्यांकन
2. इन्टरनल आडिट के लिए गाईड लाईन-टैक्सटाइल इण्डस्ट्री
3. होटल इण्डस्ट्री के लिए एकाउन्टिंग तथा आडिटिंग टैकनीक्स गाईड
4. फाइनेंशियल स्टेटमेन्ट्स पर इन्स्टीट्यूट की भाषणा के प्रभाव
5. निम्नलिखित का अध्ययन
(ए) एम आर टी पी एक्ट
(बी) कार्पोरेट फाइनेंस पर इन्फ्लेशन का प्रभाव
(सी) फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट
(डी) इन्श्योरेंस आडिट—एल आई सी
(ई) बैंकों का इन्टरनल आडिट
(एफ) पब्लिक ट्रस्ट का आडिट
(जी) हास्पीटल एकाउन्टिंग तथा मैनेजमैन्ट कन्ट्रोल सिस्टम्स
(एच) ला-आफ कस्टम्स पर एकाउन्टेन्ट्स गाईड

ई० पुनर्मूल्यांकन के अधीन वर्तमान प्रकाशन

1. "ट्रीटमेंट आफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इन एकाउन्ट्स" पर स्टेटमेंट का पुनर्मूल्यांकन
3. बोनस एक्ट 1965 का भुगतान—एकाउन्टेन्ट्स स्टडी
4. कोआपरेटिव सोसाइटीज के आडिट के लिए टेक्नीकल गाईड
5. शेयर वैल्यू की स्टडी
6. भारतीय उद्योग में मूल्य निर्धारण
7. "एक्साइज ड्यूटी के लिए एकाउन्टिंग ट्रीटमेंट" पर गाईडनोट।

एफ स्टडी ग्रुप फ्रेम्ड

1. बम्बई में एक स्टडी ग्रुप आई ए. एफ. सी. द्वारा जारी किए गये डाक्यूमेंट्स पर टिप्पणियां तैयार कर रहा है।

जी. शील्ड पेनल

इन्स्टीट्यूट का शील्ड पेनल निम्नलिखित का वार्षिक प्रतिवेदन तथा एकाउन्ट्स निरीक्षण किया :—

इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड

(31 मार्च 1984 को समाप्य वर्ष के लिए)

तथा इस कार्पोरेशन के लिए उसे सर्वोच्च माना गया और चांदी की शील्ड से पुरस्कृत किया गया।

पेनल ने निम्नलिखित कम्पनियों का वार्षिक प्रतिवेदन और एकाउन्ट्स का भी गतिमान ढंग से तैयार किया (जिन कम्पनियों का एकाउन्ट्स गतिमान ढंग से तैयार किया गया वे वर्णमाला के क्रम में है तथा इन्हे प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया गया है)

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड

(31 मार्च, 1984 को समाप्य वर्ष के लिए) एम. एम. टी. लिमिटेड

(31 मार्च, 1984 को समाप्य वर्ष के लिए) दि मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि

(31 मार्च 1984 के समाप्य वर्ष के लिए)

पेनल ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वार्षिक रिपोर्ट तथा एकाउन्ट्स पर भी विचार किया और निम्नलिखित संस्थानों को प्रतियोगिता में संयुक्त विजेता के रूप में चांदी की शील्ड प्रदान की।

एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आफ इण्डिया (31 दिसम्बर, 1983 को समाप्य वर्ष के लिए)

तथा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (30 जून 1983 को समाप्य वर्ष के लिए)

पेनल ने पब्लिक ट्रस्ट्स को-आपरेटिव सोसाइटीज, रिसर्च एंड एजुकेशन इस्टीट्यूशंस के एकाउन्ट्स पर भी अलग से विचार किया और (दि बाम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रान्सपोर्ट अण्डरटेकिंग) की 31 मार्च, 1984 को समाप्य वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार की और उसका एकाउन्ट्स किया और समस्त प्रवृष्टि में इसे पुरस्कृत किया।

3 5 प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी

ए. राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के एकाउन्ट्स के आडिट से सम्बन्धित एम्पेनलमेंट प्रक्रिया व अन्य कार्य —सम्बन्धित प्राधिकारियों के निवेदन पर उपरोक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष 1984 के लिए पब्लिक सैक्टर बैंकों व उनकी शाखाओं के लिए आडिटर्स के रूप में पैनल तैयार करने के लिए इन्स्टीट्यूट के प्रैक्टिस करने वाले सदस्यों से कमेटी ने सूचनाएं एकत्रित की। लगभग 8600 सदस्यों द्वारा सूचनाएं दी गई। जिन्होंने अपने आवेदन इस निमित्त भेजे। इन आवेदनों को कम्प्यूटराइज किया गया और इन्हें सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास भेजा गया। ऐसी ही सूचनाएं इन्स्टीट्यूट के प्रैक्टिस करने वाले सदस्यों से पब्लिक सैक्टर बैंकों तथा उनकी शाखाओं के एकाउन्ट्स के आडिट के लिए 1985 के लिए एकत्रित की गई तथा जिनको कम्प्यूटर की प्रक्रिया द्वारा सूची तैयार की जा रही है। यह सूची सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास भेज दी जायेगी।)

बी. पब्लिक सैक्टर बैंकों के स्टेटूटरी व ब्राच आडिटर्स के वेतनभान पब्लिक सैक्टर के बैंकों के स्टेटूटरी व ब्राच आडिटर्स के वेतन तथा खर्चों के निर्धारण से सम्बन्धित अध्ययन सरकार द्वारा स्थापित किए गये एक कार्य रत ग्रुप को दिया गया था। इस वर्किंग ग्रुप में इन्स्टीट्यूट का भी एक नामांकित सदस्य था। ग्रुप ने जून, 1984 में अपनी रिपोर्ट पेश की। सरकार ने 1984 में इसे स्वीकृति देदी और वर्ष 1984 के लिए आडिटर्स को नियुक्त वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के आधार परिवर्तित परिलब्धियों के अनुसार की गई।

सी. रुपये 10 लाख से अधिक के उधार की सुविधाएं प्राप्त करने के एकाउन्ट्स का आडिट तथा वित्तीय बैंकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एकाउन्ट्स की आडिट रिपोर्ट के वांछित प्रारूप की अभिकल्पना करना।

इन्स्टीट्यूट द्वारा तैयार और इण्डियन बैंक एसोसियेशन द्वारा अन्तिम रूप दिये गये। प्रारूप का रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अपनी स्वीकृति देदी और एक सर्कुलर द्वारा सुझाव दिया कि 10 लाख तथा अधिक सीमा की कार्यरत पूंजी उधार सुविधा प्राप्त करने वाली नान-कार्पोरेट एनटिटीज को अपनी एकाउन्ट्स को आडिटेड एकाउन्टेंट्स से आडिट करायें। बैंक से उधार लेने वालों के एकाउन्ट्स को नये अपेक्षाओं की व्याख्या करते हुए एक मार्ग दर्शक टिप्पणी इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित की गई।

डी. उद्योग में सदस्य —

उद्योग में सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया जो —

(1) सेवा से प्रभावित सदस्यों के मामलों पर विचार करेगी।

(2) इन्स्टीट्यूट की गतिविधियों में सेवा में सदस्यों के लिए व भागीदार सदस्यों के लिए मार्ग व साधन पर विचार करें।

(3) रोजगार सेवा नये रोजगार प्राप्त करने वाला तथा तरक्की पाने वाले दोनों ही सदस्यों के लिए, तथा

(4) उद्योग में सदस्यों को रखने और उनके लिए नये एवेन्यूज को विकसित करने का कार्य करेगा। उपरोक्त कमेटी के सदस्य पूरी तरह से विभिन्न उद्योगों से सम्बन्ध है। कमेटी के निर्णय के अनुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों व विदेशों में रोजगार के अवसरों के सम्बन्ध में सदस्यों को मार्ग दर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जर्नल में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। कमेटी इण्डस्ट्री में सदस्यों का सर्वेक्षण भी कर रही है। सर्वेक्षण इस बात का पता लगायेगा कि विभिन्न उद्योगों में उन क्षेत्रों, जिनमें वे कार्यरत हैं, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस के वितरण किस प्रकार से हो।

(ई) अनवरत शिक्षा कार्यक्रम

कमेटी द्वारा निम्नलिखित तीन आवासीय पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया:—

(1) महाबली पुरम मद्रास में 20 से 23 दिसम्बर, 1984 तक इन्टरनल आडिट पर रेंजीडेशिएल कोर्स।

(2) श्रीनगर में 18 से 21 अप्रैल, 1985 तक इन्टरनल आडिट पर रेजीडेशिएल कोर्स।

(3) दार्जिलिंग में 9 से 13 मई, 1985 तक इण्डस्ट्री में सदस्यों के लिए रेजिडेशिएल कोर्स।

(एफ) टैक्स आडिट तथा नान-कारपोरेट एन्टिटीज के आडिट पर सेमीनार—

प्रोफेसनल डेवलपमेंट कमेटी की एक सब-कमेटी ने टैक्स आडिट तथा नान कार्पोरेट एन्टिटीज के आडिट पर रीजनल कौंसिल्स के हेडक्वार्टर्स उसकी शाखाओं तथा दूसरे महत्वपूर्ण शहरों में 88 सेमीनार आयोजित किये, जिनमें 30 या अधिक सदस्य रहे। सेमीनार में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:—

(1) आयकर एक्ट की धारा 44 के अन्तर्गत एकाउन्टस का आडिट,

(2) बैंक से उधार करने वालों का आडिट,

(3) स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों के एकाउन्टस का आडिट सेमीनार मार्च-मई 1985 में हुए जिनका कार्यकाल एक दिन रहा। लगभग 10,700 सदस्यों और विद्यार्थियों ने इन सेमीनारों में भाग लिया। उपरोक्त विषयों से सम्बन्धित पृष्ठ भूमि वाली सामग्री को भाग लेने वालों में निशुल्क अग्रिम रूप में बांटा गया।

सेमीनार के लिए फैकल्टी केन्द्रीय व क्षेत्रीय कौंसिलों के पुराने व नये सदस्यों से तैयार की गई। प्रत्येक सेमीनार में उपरोक्त विषय पर दो फैकल्टी सदस्यों ने बातचीत में भाग लिया।

इंस्टीट्यूट द्वारा टैक्स आडिट पर दिशा निर्देश की 20000 प्रतियां प्रकाशित की गई जो समस्त क्षेत्रीय कांसिलों और उसकी शाखाओं में वितरित की गई। इस गाइडेंस नोट को मांग को ध्यान में रखते हुए पुन. विभिन्न केन्द्रों में बिक्री के लिए 75,000 कापियों को प्रकाशित किया गया। स्टाक ब्रोकर्स के एकाउन्टस के आडिट पर भी इंस्टीट्यूट द्वारा गाइडेंस नोट प्रकाशित कराये गये।

9. इन्टरनल आडिट

इन्टरनल आडिट के कोर्स तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंटस को इन्टरनल आडिटर के रूप में कार्य करने के सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए इन्टरनल आडिट पर एक कमेटी का गठन किया गया।

इन्टरनल आडिटिंग के ऊपर पांचवां अखिल भारतीय सम्मेलन बम्बई में सितम्बर 7-8-1985 को हुआ। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इन्टरनल आडिटर के विस्तृत कार्य से जानकारी हासिल करना था। माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खान उद्योग, कंपनी मामलो और तथा गृह मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया सम्मेलन में बारह पत्रों के माध्यम से इन्टरनल आडिट के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए चार तकनीकी सत्र बनाये गये।

3.6 कम्पनी ला कमेटी

(ए) सत्रहवां अखिल भारतीय सेमीनार टैक्सेशन एवं कम्पनी ला के ऊपर संयुक्त रूप से टैक्सेशन व कम्पनी ला कमेटी द्वारा नयी दिल्ली में 26 व 28 अप्रैल 1985 को हुआ। विवरण 3.7 (सी में देखिये)

(बी) सामान्य आम बैठक में पास किए गये एकाउन्टस के संशोधन परिशोधन के इश्यू पर एक स्पष्ट नोट जर्नल के फरवरी 1985 अंक के पृष्ठ 655 पर प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार यदि कम्पनी एकाउन्टस का संशोधित करती है और उसे आडिटर के सम्मुख रखता है तो वह अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करेगा कि इंस्टीट्यूट के विचारानुसार तथा कम्पनी मामलों के विभाग के अनुसार एकाउन्टस की शुद्धी वार्षिक आम बैठक के होने के उपरांत नहीं की जा सकती।

(सी) "डेप्रिशियेशन आन एनर्जी सेविंग पाल्यूशन कन्ट्रोलिंग डेवाइसेस" के सम्बन्ध में एक टिप्पणी जर्नल के मार्च 1985 के अंक में प्रकाशित हुई थी जिसमें स्पष्ट था कि यदि कोई कम्पनी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किन्हीं एसेटस के लिए डेप्रीशियेशन की संशोधित दरों के लागू होने के कारण कठनाइयों का सामाना करती है तो कम्पनी यदि लाभांश की घोषणा करना चाहती है तो वह कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 205 (1) (सी) के अन्तर्गत छूट के लिए कम्पनी ला बोर्ड के पास आवेदन कर सकती है।

(डी) एकाउंटिंग आफ डप्रोशियेशन कन्सीक्वेन्ट टू चेंज इन डप्रीशियेशन रेट्स की मार्गदर्शक टिप्पणी जर्नल के नवम्बर 1984 अंक में पृष्ठ स. 439 से 441 पर प्रकाशित हुई थी। कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 205 (5) के अन्तर्गत विशेष अवधि के पुर्नगणना के लिए दो अलग अलग तरीके इंस्टीट्यूट द्वारा सुझाये गये। इस इश्यू में कम्पनी मामलों के विभाग ने एक सर्कुलर स. 1/85 दिनांक 10-1-85 जारी किया। कौंसिल ने कंपनी मामलों के विभाग द्वारा सुझाये गये तरीकों को अपनाने का सुझाव अपने सदस्यों को दिया इस निमित्त अप्रैल 1985 के संस्करण में एक टिप्पणी जर्नल प्रकाशित की गई। फिर भी यह प्रश्न कि क्या उपरोक्त में कुछ संशोधन होना है, अभी तक सरकार में विचाराधीन है।

(ई) कम्पनी एक्ट के सरलीकरण के लिए एक ज्ञापन माननीय श्री आरिफ महोम्मद खान, उद्योग तथा कम्पनी राज्य मंत्री को 22 जुलाई 1985 को उनके विचार करने के लिए दिया गया।

(एफ) "आडिटर्स रिपोर्ट इन प्रोस्पैक्टस" के ऊपर एक मार्गदर्शक टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसका प्रकाशन शीघ्र ही हो जायेगा।

3.7 टैक्सेशन कमेटी

(ए) टैक्सेशन कमेटी के स्पान्सरशिप में केलीकट शाखा में केलीकट में 23 फरवरी 1985 को टैक्सेशन के ऊपर एक एक-दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया।

(बी) प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी के सहयोग से देश भर में विभिन्न स्थानों पर टैक्स आडिट पर सेमीनारों का आयोजन हुआ।

(सी) टैक्सेशन और कम्पनी ला के ऊपर संयुक्त रूप से दिया गया सत्रहवां अखिल भारतीय सेमीनार नयी दिल्ली से 26 से 28 अप्रैल 1985 तक चला इसका उद्घाटन श्री एल के

का चेयरमैन इकनामिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म कमीशन द्वारा किया गया। 6 टैक्नीकल सत्रों की अध्यक्षता सर्व श्री जी ए जेम्स मेम्बर सी बी डी टी डा, एल एम कूगर मेम्बर कम्पनी ला बोर्ड रामेश्वर ठाकुर एम पी श्री एन कावरा भूतपूर्व प्रेसीडेंट जी कृष्णमूर्ति सीनियर वाइस प्रेसीडेंट इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल तथा एम एस उन्नीनायर, सदस्य अपीलेट ट्राइब्यूनल फार फोरफीटेड प्रोपर्टीज, ने की श्री सी जी सोनियी सेक्रेटरी कम्पनी मामलों का मंत्री ने प्रतिनिधिया को सम्बोधित किया। सेमीनार मे देश के विभिन्न भागों से 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्व श्री एस पी पुरा पी कार खन्ना, के एस मेहता, एम जी पटेल, एन के पोद्दार तथा एस खेतान ने टैक्नीकल सत्रों की अध्यक्षता की जिसमें कारपोरेट टैक्सेशन कारपोरेट डिस्कलोजर, कम्पनी एक्ट का साधारणीकरण एन्टी मानोपली लेजिस्लेशन टैक्स के लिए पूंजी का निर्धारण नान-बिजनिस आय पर टैक्स लगाना, सेन्ट्रल एक्साइज तथा सेन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट सहित 12 तकनीकी पत्रों पर विचार विमर्श हुआ।

टैक्सेशन के ऊपर आठवां रेजीडेंशियल कोर्स होटल फैर्नहिल पैलेस, ऊटी में 5 जून से 8 जून 1985 तक चला जिसमें देश भर के 41 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(डी) टैक्सला के सम्बंध मे तथा उनके सुधार के सम्बंध में विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न एक्सपर्ट कमेटियों द्वारा दिये गये सुझावो और इन्स्टीट्यूट द्वारा समय-समय पर दिये गये सुझावो सरकार को ऐसे सुझाव देने जो नये प्रस्तावित नयी प्रिंसिपल पालिसी के एक भाग के रूप मे लागू किये जा सके, पर विचार करने के लिए एक विशेष उप समिति का गठन किया गया।

(ई) इन्स्टीट्यूट ने, सी बी डी टी द्वारा गठित कमेटी को नये ठोस एवं साधारणीकृत रिटर्न फार्म्स, तीन सीधे टैक्स कानूनों के के लिए, कमेटी को अपना सहयोग दिया।

(एफ) प्रकाशन

(1) इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44 ए बी के अन्तर्गत टैक्स आडिट पर एक गाइडेंस नोट प्रकाशित किया गया और सी बी डी टी द्वारा आडिट रिपोर्ट फार्म्स की अंतिम अधिसूचना के तुरन्त बाद सदस्यों मे वितरित किया गया।

(2) कम्प्यूटरी मेन्टोनेंस आफ एकाउन्टस पर मानोग्राफ के दूसरे संशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया।

(जी) पहले की भांति प्री-बजट तथा पोस्ट-बजट का मेमोरेन्डम वित्त मंत्री तथा अन्य अधिकारियों को दिये गये।

(एच) टैक्सेशन ला (अमेन्डमेंट) बिल 1984 के अन्तर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामलो पर सुझाव का एक नोट चेयरमैन सी बी डी टी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये।

1. वर्ष में जो अन्य प्रतिनिधित्व किये गये।

2. ड्राफ्ट रूल्स के तुरन्त बाद एक प्रतिनिधित्व जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 44 ए बी के अन्तर्गत फार्म्स आफ आडिट रिपोर्ट तथा एडीशनल पर्टिकुलर्स पर इन्स्टीट्यूट की टिप्पणी जारी की गई। बोर्ड द्वारा जारी की गई अंतिम अधिसूचना पर विचार किया गया था; इन्स्टीट्यूट द्वारा अनेको सुझाव दिये गये।

3. सी बी डी टी को प्रतिनिधित्व पत्र द्वारा आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में संशोधन सम्बन्धी कुछ सुझाव दिये गये जो एक स्वीकृत वृद्धावस्था के अन्तर्गत पेंशन देने की योजना के अन्तर्गत "लाभ प्राप्त कर्ता (बेनेफिशरीज)" की व्याख्या से सम्बन्धित है।

4. चेयरमैन सेन्ट्रल बोर्ड आफ एक्साइज एंड कस्टम्स, को एक प्रतिनिधित्व पत्र दिया गया जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स मेडफ रियायत प्रोसीजर स्कीम के अन्तर्गत हटाई गई वस्तुओं को प्रमाणित कर एक अच्छा पाठ अदा कर सकता है। इस प्रकार उत्पादन की एक्साइज की वस्तुओं पर कर लगाने और एक्साइज कर्मचारियों को उनके रात्रि के कार्य से राहत पहुंचाने में काफी मदद कर सकता है।

5. वित्तीय वर्ष का दल के सम्बन्ध में झा कमेटी को एक ज्ञापन दिया गया।

(ज) लांग टर्म फिसकल पालिसी पर इन्स्टीट्यूट की स्वीकृतियों की मुख्य बातो के सम्बन्ध मे वित्त मंत्री, सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज तथा अन्य सरकारी प्राधिकारियों को एक ज्ञापन दिया गया।

(के) केन्द्रीय सरकार ने कर वर्ष 1985-86 से 1987-88 की अवधि के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के क्लाज (23सी) की उप-धारा (4) के उद्देश्यों के लिए इन्स्टीट्यूट को अधिसूचित किया। पहले के वर्षों के लिए भी इस अधिसूचना को लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.8 कन्टीनुइंग प्रोफेशनल एजुकेशन कमेटी

(ए) कन्टीनुइंग एजूकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष के अन्तर्गत अनेकों सेमीनार एवं पाठयक्रमो का आयोजन किया गया। (विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट 2 देखिये)

(बी) मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी कोर्स (पार्ट-1) की परीक्षा नवम्बर 1984 मई 1985 मे हुई। जिसका परिणाम मई 1984, नवम्बर 1984 तथा मई में निकला [परिशिष्ट 3 में देखें]

(सी) कारपोरेट मैनेजमेंट कोर्स की परीक्षा मई 1984 में हुई नवम्बर 1984 तथा मई 1985 में कोई भी परीक्षा नहीं हुई। (मई 1984 में ली गई परीक्षा का परिणाम परिशिष्ट 4 में दिया गया है)

(डी) मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी कोर्स तथा कारपोरेट मैनेजमेंट कोर्स से संबंधित संशोधन जनवरी (सी) व (डी) मे तथा नये पाठ्यक्रम (ई) से संबंधित टैक्स मैनेजमेंट मे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स का प्रस्तुतीकरण को सरकार प्राधिकारियों ने स्वीकृति दे दी। तथा इसके संबंध मे अधिसूचना सम्बन्ध गजट जारी हो चुका है उपरोक्त पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स के लिए परीक्षा संशोधित नई अनुसूची के अन्तर्गत नवम्बर 1985 मे होगी।

(ई) 10 प्रत्याशियो को मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी [कोर्स की नई स्कीम" के अंतर्गत प्रत्येक को रु 500/- की योग्यता छात्रवृत्ति दी गयी।

(एफ) सितम्बर 1984 से मैनेजमेंट एण्ड इकनामिक साप्ताहिक डाइजेस्ट के 4 अंक प्रकाशित हुए है। अब यह प्रकाशन लगभग 2000 सदस्यों तक पहुंचता है।

(जी) मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी कोर्स के अंतर्गत सितम्बर मास के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या 21 थी।

(एच) श्री आसीन कुमार भट्टाचार्य (एम न. 15414) ने मैनेजमेंट एकाउन्टेंसी कार्स के दोनों ही भाग पूरे कर लिए हैं।

3.9 एक्सपर्ट एडवाजरी कमेटी

(ए) पिछली रिपोर्ट सितम्बर 1984 से कमेटी ने 23 प्रश्न प्राप्त किये और उनमें 18 का उत्तर दिया। 10 प्रश्न विचाराधीन है।

(बी) "दि कम्पेण्डिंग आफ ओपीनियनस"—वाल्यूम 4 में कमेटी के विचार सितम्बर 1983 और सितम्बर 1984 के सम्मिलित है तथा जिसके साथ में विषयानुसार वर्णमाला क्रम में परिशिष्ट है जो पहले के तीनों वाल्यूमस से सम्बन्धित है, बिक्री के लिए जारी किए जा चुके हैं।

(सी) कमेटी के महत्वपूर्ण विचारों का संक्षिप्त सारांश "दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स" के प्रत्येक संस्करण में सर्व साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित होता है।

3.10 एथिकल स्टैण्डर्ड कमेटी

यह कमेटी आचार संहिता के संशोधन कार्य में लगी है और उसमें कौंसिल के द्वारा तय किये गये परिवर्तनों को करती है तथा उन परिवर्तनों को करती है जो स्टेटमेंटस और एक्सपोजर ड्राफ्टस में आई एफ ए सी को एथिकल कमेटी द्वारा जारी किए जाते हैं कौंसिल ने कुछक मामलों पर विचार किया और आचार संहिता में निम्नलिखित परिवर्तन किए :—

(ए.) टण्डर के जवाब में वर्तमान प्रतिबंधों में छूट

टेण्डर्स के जवाब में प्रश्नों पर कोड आफ कन्डक्ट द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के मूल्यांकन पर तथा इस तथ्य पर विचार करने पर कि टैण्डर जारी करके पर कि अर्थव्यवस्था का एक सुनियोजित भाग निविदा जारी करके चार्टर्ड एकाउन्टेंटस को विभिन्न सेवायें प्राप्त करना चाहता है, यह निश्चय किया गया कि आडिट के क्षेत्र में निविदाओं के जवाब के मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के लिए एकमात्र है दूसरे भागों में जहां सदस्यों को बाहरी लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है वर्तमान प्रतिबंध में ढील दी जाय। तथा सदस्यों को टेण्डर के जवाब के लिए अनुमति दी जाय चाहे भले ही वह देश से बाहर का ही आडिट क्षेत्र क्यों न हो। यदि स्थानीय कानूनों के अंतर्गत देश के बाहर अनुमति प्रदान की जाती है तो ऐसे मामलों में व्यावसायिक शुल्क विदेशी मुद्रा में ली जाय।

(बी.) स्वयं जारी किये गये परिणाम—फीस के ऊपर सीमा

कौंसिल ने कुल व्यावसायिक फीस जिसे प्रैक्टिस करने वाला सदस्य या उसकी फर्म किसी विशेष मुवक्किल से या मुवक्किलों के समूह से प्राप्त करता है पर सीमा निर्धारण करने का निश्चय किया है ताकि उसकी व्यवसायिक स्वतंत्रता पर अनुचित प्रभाव न पड़े या वह एक ही मुवक्किल पर या मुवक्किलों के ग्रुप पर ही आश्रित न रहे। इसलिए कौंसिल ने निम्नलिखित स्वयं जारी किये गये परिणाम पारित किए हैं।

"यह देखना कि कोई सदस्य जो पूर्ण या अंशकालिक प्रैक्टिस में हो किसी एक क्लाइंट या कम्पनियों पर जो एक ही मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हो, अधिक आश्रित न हों जहां उसकी व्यावसायिक स्वतंत्रता नष्ट हो सकते है, उसे जहां तक सम्भव हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस फर्म में वह पार्टनर है उसके द्वारा प्राप्त की गई आडिट के लिए व्यावसायिक फीस तथा अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त फीस जो उसके द्वारा या उसके पार्टनर द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई है तथा उस फर्म या फर्मों द्वारा जिसमें वह पार्टनर है एक या अधिक मुवक्किलों से या कंपनियों से जो एक ही मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हों, फर्म, फर्मों तथा ऊपर वर्णित पाटनर्स की कुल वार्षिक फीस के 40% से अधिक न हो। एक ही मैनेजमेंट के अंतर्गत आने वाली कंपनियों का तात्पर्य यहां उस संकेत से है जिसका उल्लेख कंपनी एक्ट 1956 की धारा 370 (एल बी) की व्यवस्थाओं में किया गया है।

शर्त यह है कि इस प्रकार के 40% की सीमा किसी एक सदस्य या फर्म के कुल व्यवसायिक फीस पर लागू नहीं होगी जहां इस प्रकार की फीस सदस्य या फर्म के संबंध में 2 लाख से अधिक न हो इसमें वह फीस सम्मिलित है जिसे सदस्य या फर्म या किसी दूसरी फार्म या फार्मों के माध्यम से प्राप्त की सेवाओं जिनमें ऐसे सदस्यों या फर्म पार्टनर या प्रोप्राइटर हों।

पुनः शर्त यह है कि इस प्रकार के 40% की सीमा किसी एक सदस्य या फर्म की कुल व्यवसायिक फीस पर लागू नहीं होगी। जहां सरकारी कंपनियों पब्लिक अण्डरटेकिंग राष्ट्रीयकृत बैंकों पब्लिक फाईनेंशियल इन्स्टीट्यूट के आडिट के मामले हों, या जहां सरकार द्वारा आडिटर्स की नियुक्ति की जाती हो।

पुनः शर्त यह है कि सदस्य की या फर्म की कुल वार्षिक व्यावसायिक फीस पर उस प्रकार की 40% की सीमा सरकारी कम्पनियों पब्लिक अन्डर टेकिंग राष्ट्रीयकृत बैंकों, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर या जहां सरकार द्वारा आडिटर्स की नियुक्ति की जाती है पर लागू नहीं होगी।

(सी) कम्पनियों में डायरेक्टरशिप स्वीकार करना।

अधिक से अधिक कम्पनियां चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स को अपने बोर्डस में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करती है इन कंपनियों द्वारा जारी किए गए नियम तथा सार्वजनिक उद्घोषणा अक्सर एडवर्टीजमेंट के बारे में विवरण प्रकाशित करते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की विशेषता तथा ज्ञान या पदवी या विशेषण को उनके नाम के साथ होता है जो कि सी एक्ट की प्रथम अनुसूची के भाग I के क्लाज (6) तथा (7) की व्यवस्थाओं के विपरीत हो सकते हैं। अतः सदस्यों को कंपनियों द्वारा उन्हें डायरेक्टर के पद पर नियुक्त पर व्यवसाय की आचार संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए और इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि कंपनी के नियम या प्रकाशित घोषणाएं उनके द्वारा सर्वप्रथम स्वीकृत की जाएगी। इस विषय पर एक विस्तृत मार्गदर्शन टिप्पणी परिशिष्ट 5 में दी गई है।

3.11 यूनिवर्सिटी लायजन कमेटी

वर्ष भर में तीन सेमीनारों का आयोजन किया गया। प्रथम सेमीनार जोधपुर में 16 व 17 फरवरी, 1985 को जोधपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। सेमीनार में दिये गए मुख्य विषय को प्रेसीडेंट श्री ए. सी. चक्रवर्ती ने संबोधित किया। दूसरा सेमीनार बंगलौर में 23 व 24 मार्च 1985 को बंगलौर विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। इस सेमीनार में मुख्य विषय पर व्याख्यान वाइस प्रेसीडेंट श्री पी. ए. नैय्यर ने दिया। दोनों ही सेमीनारों का मुख्य विषय व्यावसायिक मर्स शिक्षा से था। तीसरा सेमीनार कलकत्ता में 27 अप्रैल, 1985 को हुआ जिसमें मुख्य विषय पर इन्स्टीट्यूट के प्रेसीडेंट ने व्याख्यान दिया।

(बी) धन व दान

रु 5000 का दान जोधपुर विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया के नाम पर एक विद्यार्थी को दिया गया जिससे विश्वविद्यालय बी काम (आनर्स) कोर्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए रु. 10,000 का दूसरा दान बंगलौर विश्वविद्यालय को इन्स्टीट्यूट के नाम पर

एक स्वर्ण पदक प्रदान करने के लिए दिया गया। इस राशि में रु 5,000 स्थानीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स द्वारा एकत्रित किये गये। दूसरा धन दान रु 5,000 प्रत्येक का रवि शंकर विश्वविद्यालय, रायपुर पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ तथा नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय दार्जलिंग को दिये गये। रु 5,000 का दान एम एन डी टी वोमन्स युनिवर्सिटी बम्बई को दिया गया तथा यह राशि अवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद प्रदान की जायेगी। रु 10,000 का दान उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद को दिया गया जिसमे से रु 5,000 का दान स्थानीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस द्वारा दिया गया।

(सी) सी ए कोर्स का प्रसिद्धिकरण

श्री ए. के. मजूमदार तथा श्री एस जी. पटेल द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय तथा गुजरात विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिए गए। जिसका उद्देश्य सी ए में जीवनवृत्त संबंधी उज्ज्वल भविष्य के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराना है। विवरणिका जिसका शीर्षक "प्रोफाइल आफ ए प्रोफेशन" है, का पुनः संशोधन और सी ए कोर्स के वर्तमान परिवर्तित पाठ्यक्रम के संदर्भ में तथा प्रवेश संबंध नियमों के सन्दर्भ में इसे अद्यतन रूप दिया जा रहा है।

(डी) माडल सैलेबस

बी ए कोर्स के लिए माडल सैलेबस जिसमें सभी विषय समाहित हैं को कमेटी ने अन्तिम रूप दे दिया है।

(ई) यू जी सी तथा एसोशियशन आफ इण्डियन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज के साथ संबंध

कमेटी उक्त दोनों संस्थाओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहती है हाल ही में इंस्टीट्यूट के प्रेसीडेंट को यू जी सी की टेक्नीकल एजूकेशन एंड रिसर्च के पैनल में सम्मिलित किया गया।

3.12 आडिटर्स के अवैध हटाये जाने के मामलों के लिए गठित कमेटी : वर्ष पर्यन्त कमेटी ने आडिटर्स को गलत ढंग से हटाये जाने के 11 मामले प्राप्त किए जिनमे से 6 मामले कम्पनी के आडिटरशिप से हटाने के 5 मामले बैंकों, सरकारी विभागों, ट्रस्टों तथा एक सोसायटी से सम्बन्धित था ये मामले कमेटी को चलाने के लिए कौंसिल द्वारा गठित प्रक्रिया के प्रकाश में कमेटी के साथ निपटाये गये।

3.13 एडीटोरियल बोर्ड :

जर्नल की किस्म तथा नियन्त्रण को सुधारने के लिए अनेकों कदम उठाये गए।

4 अन्य मामले

4.1 श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु—प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को 31 अक्तूबर 1984 को हुई दुखद मृत्यु पर आदर प्रदान दिया गया। प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट तथा सेक्रेटरी 2 नवम्बर 1984 को तीन मूर्ति भवन में गए जहां प्रधान मंत्री का पार्थिव शरीर रखा गया था और संस्थान तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के व्यवसाय की ओर से फूल माला चढ़ाई गयी। 7 नवम्बर 1984 को इंस्टीट्यूट में एक शोक सभा हुई जिसमें प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट भूतपूर्व प्रेसीडेंट, कौंसिल के सदस्य नार्दर्न इण्डिया रीजीनल कौंसिल तथा सदस्यों की बड़ी संख्या स्टाफ और विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधान मंत्री की हत्या के अगले दिन कौंसिल की बैठक हुई उसमें कौंसिल के सदस्यों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दो मिनट का मौन रखा तथा निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया जो श्री राजीव गांधी के पास भेजा गया।

"इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया की कौंसिल प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 31 अक्तूबर 1984 को हुई दुखद हत्या पर गहन दुःख व्यक्त करती है। श्रीमती गांधी निस्संदेह सम्पूर्ण देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थी। किन्तु उनका आदर विश्व भर मे किया जाता था। और उन्हें सुना जाता था देश की प्रगति की ओर ले जाने मे उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रीमती गांधी राष्ट्रीय एकता धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद के लिए कार्य करती रही तथा उन्होंने विश्व भर के कमजोर और असहाय लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया भारत के लिए यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है उनके स्थान की कमी भी नहीं भरा जा सकता।

राष्ट्रीय विपदा की उस घड़ी मे कौंसिल श्रीमती गांधी द्वारा दिखाये गए मार्ग पर चलते शान्ति बनाये रखते राष्ट्रीय एकता और देश को उज्वल भविष्य की ओर ले जाने के लिए कृत संकल्प हैं। कौंसिल श्री राजीव गांधी तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। और उस दुखद घड़ी को सहन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है।

कौंसिल एक बार फिर नये प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को देश की प्रगति के लिए किये गये उनके प्रयासों के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त करती है।

कौंसिल दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करती है।

इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं के लिए हिन्दी तथा दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का माध्यम:—जैसा कि गत रिपोर्ट मे उल्लेख किया गया कौंसिल ने (इंस्टीट्यूट को परीक्षा के लिए विकल्प के रूप मे हिन्दी को माध्यम को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है प्रवेश परीक्षा हिन्दी माध्यम को प्रस्तुत करने की स्वीकृति दो प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थियो को जून 1985 की परीक्षा से अपने उत्तर हिन्दी मे लिखने की अनुमति प्रदान की है। जून 1985 मे लिये गये प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र अंग्रेजी तथा हिन्दी मे छापे गये। तथा यह प्रक्रिया भविष्य में भी रहेगी। इण्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओ के विद्यार्थियों को हिंदी मे अपने उत्तर देने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

कौंसिल ने इंस्टीट्यूट की परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप मे क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचलन पर विचार करने के लिए एक 'क्षेत्रीय भाषा कमेटी' को नियुक्त किया है। इस कौंसिल तथा उनकी शाखाओं, विश्व विद्यालयों और विद्यार्थियों के पास इस विषय मे उनके विचार जानने के लिए उन्हे लिखा है। उनके प्रतिउत्तरो का विश्लेषण और अध्ययन किया जा रहा है।

(रिपोर्ट तैयार हो जाने के मामले मे उसका विस्तार करना तथा उसे कौंसिल के पास भेजा।)

4.3 विश्वास नगर दिल्ली मे भवन निर्माण कार्य—इंस्टीट्यूट को एन.टी आर सी आफिस तथा अन्य शैक्षिक गतिविधियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शाहदरा दिल्ली के निकट विश्वास नगर मे एक भूखण्ड आवंटित किया गया है। भूखंड प्राप्त कर लिया गया है और 11 जून 1985 मे श्री वीरेन्द्र पाटिल, केन्द्रीय उद्योग एव कम्पनी मामलों के मंत्री द्वारा नीव के पत्थर को रखा गया है। विश्वास नगर में इस भूखंड के आसपास कुछ अतिरिक्त भूखण्डों को प्राप्त करने के भी प्रयास किए जा रहे थे। विस्तृत बिल्डिंग प्लाट बनाए जा रहे तथा निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा। प्रस्तावित भवन में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी।

1. नेशनल एकेडेमी आफ एकाउन्टिंग
2. एन आई आर सी आफिस
3. एन आई सी ए सी ए आफिस
4. रीडिंग रूम मे सदस्यो तथा विद्यार्थियों के लिए लेक्चर रूम
5. नार्दन डी सेन्ट्रलाइज्ड आफिस

4.4 जन सम्पर्क कमेटी

(ए) जन सम्पर्क कमेटी इंस्टीटयूट के क्रियाकलापो को विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए अनेकों कार्यक्रम करेगी तथा इस व्यवसाय की अच्छी तस्वीर पेश करेगी।

(बी) 31 मार्च 1984 को समाप्त वर्ष में 35वी वार्षिक रिपोर्ट के कुछ अश विभिन्न समाचार पत्रो मे प्रकाशित हुए हैं।

(सी) प्रत्येक कौंसिल मीटिंग के बाद आई सी ए आई का प्रकाशन कार्य जारी है जिसका वितरण संसद सदस्यों, चैम्बर आफ कामर्स विश्वविद्यालयो तथा विभिन्न सरकारी विभागों, मे कौंसिल द्वारा जनहित मे किए गए कार्यों के लिए उनके विचार जानने के लिए किया जाता है।

(डी) "दी चार्टर्ड एकाउन्टेंटस एण्ड दी सोसायटी" का प्रकाशन लोगो मे वितरित करने के लिए किया जाता है इसे अब सशोधित और पुनः अग्रेजी में प्रकाशित किया जा रहा है। अन्य भाषाओ मे भी सशोधित रूप प्रकाशित हुए हैं।

(ई) जब भी आवश्यकता पड़ी गलतियों को सुधारने की पालिसी इश्यु को स्पष्ट करने के सम्बन्धों में समय-समय पर समचार पत्रो मे प्रत्युत्तर प्रकाशित किए गए ।

(एफ) टैक्स आडिट व्यवस्थाओं तथा व्यावसायिक कार्य के दूसरे नये क्षेत्रो पर प्रकाश डालने के लिए प्रेसीडेंट द्वारा प्रेस्कान्फ्रेंस की गई। जिन्हे प्रमुख समाचार पत्रो ने प्रकाशित किया। टैक्स आडिट के लाभ के ऊपर भी एक नोट प्रेस जारी किया गया।

(जी) प्रेसीडेंट और वाइस प्रेजीडेंट द्वारा विभिन्न क्षेत्रिय कौसिलों के दौरे की खबरे स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई।

(एच) सामान्य महत्व के मामलों तथा व्यवसाय सम्बन्धी मामलों के बारे मे कौसिल के विचार समय समय पर प्रेस स्टेटमेंट्स द्वारा प्रदर्शित किये गए ।

4.4 चार्टर्ड एकाउन्टेंटस रेगुलेशन मे परिवर्तन

(ए) इस वर्ष मे सी ए रेगुलेशन्स मे सरकार की स्वीकृति से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए ।

1. सी ए कोर्स की प्रवेश सम्बन्धी अपेक्षाए तथा पाठ्यक्रम,
2. सेन्ट्रल व रीजनल कौंसिलों के चुनाव से सम्बन्धित विनिमय,
3. अनुसूची 'सी' तथा 'डी' मे वर्णित पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के पाठ्यक्रम मे परिवर्तन तथा सी ए रेगुलेशन्स की अनुसूची "ई" के अन्तर्गत टैक्स मैनेजमेंट मे एक नये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लगाया।

(बी) नये आने वाले रेगुलेशन्स का आशय वर्तमान सी ए रेगुलेशन्स का सरलीकरण करना तथा प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब को कम करना है जिसके लिए सरकार की स्वीकृति ली जा रही है शीघ्र ही स्वीकृति के प्रयास किए जा रहे है।

4.5 नेशनल एकैडेमी आफ एकाउन्टिंग—कोसिल ने सिद्धांत रूप में एक नेशनल एकेडेमी आफ एकाउन्टिंग को स्थापित करने के लिए बोर्ड आफ स्टडीज के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है तथा उसका नाम, इस्टीटयूट के प्रथम प्रेसीटेंट स्व. श्री जी पी कपाडिया के नाम रखने का निश्चय किया है, एकेडमी का उद्देश्य और कार्य जैसा कि बोर्ड ने स्वीकृत किया है, निम्न प्रकार से है ।

(1) एकाउन्टिंग फाइनेन्स टैक्सेशन आडिटिंग और सम्बन्धित क्षेत्रों मे उच्च शिक्षा और शोध के लिए कार्य करना।

(2) शिक्षा को पार्टिसिपेटिंग मोड आफ लर्निंग के रूप में देना, आर्टिकुलेशन और कम्युनिकेशन सिकल्स का विकास, समस्याओं के समाधान के लिए अन्तर अनुशासनात्मक व्याख्यात्मक तरीके सुझाना तथा ज्ञान के विस्तृत किन्तु सम्बद्ध क्षितिज को उजागर करना ।

(3) एकाउंटिंग शिक्षा के क्षेत्रों मे विकासशील देशों की जरूरतों की पूर्ती करना ।

(4) सामान्यतः देश में एकाउंटिंग शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। ऐकेडेमी नयी दिल्ली में यमुनापार के विश्वास नगर क्षेत्र मे बनेगी जहां इस्टीट्यूट को कुछ भूमि अलाट हुई है। 11 जून 1985 को जी पी कपाड़िया नेशनल एकेडेमी आफ एकाउन्टिंग की आधारशिला केन्द्रीय उद्योग एवं कपनी मामलों के मंत्री ने रखी ।

बोर्ड ने श्री के जी सोमानी श्री टी एस विश्वनाथन, डा० कमलगुप्ता, टेक्नीकल डायरेक्टर तथा श्री ए के मजूमदार डायरेक्टर आफ स्टडीज को मिला कर एक सब कमेटी का गठन किया ।

बाद में तीन फैक्ट्री मैम्बर डी डी मी संचेती, डा. एन एल धमीजा तथा डा. ए० के० अग्रवाल को भी इस सब-कमेटी मे शामिल किया गया । इस सब-कमेटी का कार्य एकेडेमी के लिए एक ब्लू-प्रिंट तैयार करना है ताकि एकेडेमी निर्धारित समय पर स्थापित की जा सके। सब-कमेटी ने ब्ल्यू-प्रिंट तैयार किए जो अब कौसिल के विचाराधीन है ।

सब कमेटी का अनुमान है कि एकेडेमी की बिल्ड अप क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग फुट का होगा आरम्भिक रु० 90 लाख की पूंजी श्री जी पी कपाडिया नेशनल एकेडेमी आफ एकाउन्टिंग पर खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए पूंजी व्यवस्था अंशतः सदस्यों के योगदान से तथा अशतः इस्टीट्यूट के कोष से की जायेगी।

4.6 सदस्यों/विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर की ट्रेनिंग : सदस्यों तथा विद्यार्थियों को एकाउन्टिंग आडिटिंग तथा विजनिस डिसीजन मैकिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए कौसिल ने चुने हुए कुछ बडे शहरों में कम्प्यूटर केन्द्रो को खोलने का प्रस्ताव किया है। ये केन्द्र इस्टीट्यूट के चार क्षेत्रीय प्रधान कार्यालयों में खोले जायेंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारिया पूर्ण कर ली गई है।

4.7 कौसिल की वार्षिक बैठक : कौसिल की 35वी वार्षिक बैठक 15 सितम्बर 1985 को नई दिल्ली में श्री पी एन शाह की अध्यक्षता में हुई जो कि इस्टीट्यूट के भूतपूर्व प्रेसीडेंट थे। श्री टी एन चतुर्वेदी कम्प्टोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इडिया मुख्य अतिथि थे। उन्होने उन कम्पनियो तथा वित्तीय सस्थाओ को शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जिन्होने एकाउन्टस के सर्वाधिक प्रस्तुतीकरण की प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस अवसर पर इंस्टीट्यूट की परीक्षाओ में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को पुरस्कार और मैडल भी प्रदान किए गए ।

4.8 पुस्तकालय : इस वर्ष नयी दिल्ली स्थित सेन्ट्रल कौसिल लायब्रेरी में 557 नयी पुस्तके रखी गयी । जिनको मिल कर पुस्तको की कुल संख्या 19850 हो गई है। सदस्यो और विद्यार्थियो के प्रयोग मे यह बढोतरी हुई ।

4.9 बाहरी निकायो में प्रतिनिधित्व—इस्टीट्यूट अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से अनेको बाहरी निकायो में अपना प्रतिनिधित्व बनाए हैं। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व के विवरण परिशिष्ट 6 में है।

4.10 विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदो पर कार्यरत सदस्य : एकाउन्टिंग तथा फाइनेन्स के क्षेत्र में अपना उच्चतर डिग्री अनुभव तथा ज्ञान के कारण इस्टीट्यूट के सदस्य सार्वजनिक क्षेत्रो के विभिन्न पदो पर जिनमें लेजिस्लेटिव बाडीज, पब्लिक फाइनेन्शियल इस्टीट्यूशस, राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंक, शैक्षिक संस्थान तथा स्थानीय प्राधिकरण मे कार्यरत हैं।

4.11 महत्वपूर्ण व्यक्तियो के साथ प्रेसीडेंट तथा वाइस प्रेसीडेंट की मीटिंगे और शाखाओ का दौरा करना।

इस वर्ष प्रेसीडेंट तथा वाइस प्रेसीडेंट ने अनेक विशिष्ट व्यक्तियों, केन्द्रीय मत्रियो तथा अधिकारियो से मिले। वे अनेको विश्वविद्यालयो

के कुल पतियों चैम्बर्स आफ कामर्स के प्रेसीडेंटो, आयकर अपीलेट ट्राइब्यूनल के सदस्यों रिजर्व बैंक के अधिकारियों आदि से भी मिले ।

यहां वित्त मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री तथा कम्पनी मामलों के मंत्री और कम्पनी लॉ बोर्ड के सचिव के साथ हुई मीटिंगों का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए कम्पनी मामलों के मंत्री के साथ हुई मीटिंग के दौरान कम्पनी एक्ट के सरलीकरण तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों को युक्ति पूर्वक व्याख्या पर मंत्री महोदय ने बल दिया । इस विषय को गहराई से जांचने के लिए इंस्टीट्यूट ने एक छोटी कमेटी का गठन किया और अपनी सिफारिशें सरकार के पास भेजी। प्रेसीडेंट और वाइस प्रेसीडेंट ने रीजनल कौंसिलों और बड़ी संख्या में रीजनल कौंसिल की शाखाओं के दौरे किए और सदस्यों तथा विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक अवसरों और शैक्षणिक सुविधाओं से सम्बन्धित मामलों के बारे में पूछताछ की ।

4.12 चार्टर्ड एकाउन्टेंटस नेशनल रिलीफ फण्ड : चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स नेशनल रिलीफ फंड को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। तथा इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर छूट प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया । इस प्रकार इस फंड के लिए किया गया दान दाताओं के हाथों में आयकर से छूट सहित होगा । सदस्यों से एकत्रित किया गया धन ।

1. राष्ट्रीय विपदाओं के समय लोगों को सहायता पहुंचाने,
2. सहायता कार्य में लगी समितियों तथा संस्थाओं के लिए दान गृहण करना, तथा

3. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष . प्रधान मंत्री कोष और अन्य दूसरा निधियों जिन्हें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने स्थापित किया हो लोगों को सहायतार्थ अकाल, बाढ़, चक्रवात तथा अन्य विपदाओं के लिए स्थापित किया है, प्रयोग किया जायेगा सदस्यों से अनुरोध है कि इस महान कार्य के लिए अपना योगदान अवश्य दें ।

4.13 चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स बेनेवलट फण्ड : फण्ड की सदस्य संख्या 31-3-84 में 2050 से बढ़कर 31-3-1985 में 2112 हो गई कठिनाई में से सदस्यों या मृत सदस्यों के परिवारों की सहायतार्थ इस वर्ष रु. 59,100/- की राशि वितरित की गई 31 मार्च, 1985 तक इस फण्ड में रु० 217471.18 जमा थे जो कि मार्च 31, 1984 में रु. : 195006 थे ।

4.14 एस वैद्यनाथन अय्यर मैमोरियल फण्ड : इस फण्ड की सदस्य सं. 31 मार्च 1985 को 145 थी इस वर्ष छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति के रूप में रु. 3000/- की राशि वितरित की गई फण्ड में 31 मार्च 1985 तक रु० 59594.90 की राशि बकाया थी ।

4.15 कौंसिल तथा रीजनल कौंसिलों का चुनाव : इंस्टीट्यूट की 13 कौंसिलों का 12 रीजनल कौंसिलों का चुनाव अगस्त 1985 में हुआ सेन्ट्रल कौंसिल तथा रीजनल कौंसिल में निर्वाचित सदस्यों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए तथा "दि चार्टर्ड एकाउन्टेंट" के जर्नल में भी छपे (इस निमित परिशिष्ट 7 में देखें)

5 सदस्य

5.1 सदस्यता : इस वर्ष 3773 नये सदस्यों को जोड़ा गया जिनको मिलाकर 31-3-85 तक कुल सदस्य संख्या 36418 हो गई। इस वर्ष 1145 एसोशिएट्स फैलो के रूप में भर्ती किए गए (परिशिष्ट आठ में सदस्यता का वर्गीकरण दिया गया है)

5.2 अनुशासनात्मक कार्यवाही : धारा 21 के अन्तर्गत निपटाये गये मामले तथा सूचनाएं निम्नलिखित हैं ।

वर्ष में कौंसिल के समक्ष रखे गये मामलों की संख्या—75 वर्ष में अनुशासनात्मक कमेटी के पास भेजे गए मामले 41 वर्ष में अनुशासनात्मक कमेटी द्वारा निपटाए गये मामले 36

बाम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई एक याचिका में बम्बई उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि रिपोर्ट को अनुशासनात्मक कमेटी के विचार करने से पूर्व कौंसिल प्रतिवादी को सुनने का अवसर दें कि क्यों न कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाये। इंस्टीट्यूट ने एक अपील को सुप्रीम कोर्ट के पास भी भेजा जो कि पेंडिंग चल रही है । उपरोक्त अपील में सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए निर्णय का अनुशासनात्मक कमेटी को रिपोर्ट पर विचार करने के कार्य को स्थगित करने का निर्णय किया है इस दिशा में 31-8-1985 तक अनुशासनात्मक कमेटी को—87 रिपोर्ट शेष पड़ी हैं।

अनुशासनात्मक मामलों को संक्षिप्त विवरण जहां चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स धारा 21(6) के अंतर्गत कार्यवाहिया की गई परिशिष्ट 9 में है।

5.3 दिवंगत सदस्य

(ए) श्री ए पी टंडन इंस्टीट्यूट के भूतपूर्व प्रेसीडेंट के 3 मई 1985 को हुए निधन पर कौंसिल गहन दुख व्यक्त करती है।

(बी) कौंसिल उन सदस्यों की मृत्यु पर भी दुख व्यक्त करती है जिनका उल्लेख परिशिष्ट 10 में हैं

6. आर्टिकिल्ड व आडिट क्लर्क

6.1 पंजीकरण 31 मार्च 1985 को समाप्त वर्ष में पंजीकृत आर्टिकिल्ड क्लर्कों और आडिट क्लर्कों की संख्या निम्नलिखित है।

आर्टिकिल्ड व आडिट क्लर्क	1983-84	1984-85
	8710	925

6.2 आर्टिकल्ड/आडिट क्लर्कों को रोजगार सहायता : जिन विद्यार्थियों ने अपने आर्टिकल्ड/आडिट सेवाएं पूरी कर ली हैं तथा इंस्टीट्यूट की इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर ली हैं उन्हें रोजगार सहायता प्रदान की जाती है । इस निमित बम्बई, मद्रास कलकत्ता, कानपूर तथा नई दिल्ली में प्रत्येक रीजनल सेन्टर में विकेन्द्रीकृत कार्यालय द्वारा एक रोजगार रजिस्टर बनाया गया है। जो विद्यार्थी उपरोक्त विधा को लेना चाहें तथा जो उपरोक्त योग्यताएं पूरी करते हों वे विवरणों के फार्मों के लिए, जो भर कर इंस्टीट्यूट में जमा किये जायें, इंस्टीट्यूट के सम्बन्धित सहायक सचिव से मिले अथवा लिखे ।

6.3 बोर्ड आफ स्टडी : 1. 31 मार्च 1985 तथा 31 मार्च 1984 के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों की संख्या ।

कोर्स	1984-85	1983-84
इंटरमीडिएट	9289	8660
फाइनल	3573	3099

31 मार्च 1985 को हाजरी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 40052 थी जो कि 31 मार्च 1985 को 37983 थी । (परिशिष्टि XI देखें)

बी. इन्टरमीडिएट तथा फाइनेल कोर्स विद्यार्थियों के लिए रिवीजन क्लासें पहले की भांति रोजनल तथा अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों में लगायी गयीं हों ।

सी. 31 मार्च 1985 को समाप्त वर्ष में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं ।

1. मैरिट स्कौलरशिप

रु०: 75/- प्र. माह की दर से 10 विद्यार्थियों को अधिकतम 18 माह के लिए ।

रु०: 75/- प्रति माह की दर से 4 विद्यार्थियों को अधिकतम 18 माह के लिए ।

2. नीडवेस्ट स्कालर शिप

रु०: 50/- प्रतिमाह की दर से 84 विद्यार्थियों को अधिकतम 30 माह के लिए ।

3 पार्टिकल क्रीशिप

अर्थात् 73 विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की दूसरी किश्त में छूट देना ।

डी. यद्यपी बोर्ड को एन्ट्रेंस परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई पत्राचार पाठ्यक्रम नही दिया गया है उसने विद्यार्थियों की भलाई के लिए अध्ययन सामग्री तैयार की इस सामग्री के पूरे सैट की लागत रु०: 100/- है ।

ई. इन्कमटैक्स तथा कम्पनी मामलों के डायजैस्ट और वर्तमान पढ़ाई का योगदान देते हुए बोर्ड आफ स्टडीज जर्नल में लगातार योगदान करता आ रहा है ।

फ. बोर्ड ने इन्सटीट्यूट के स्टाफ के लिए एकाउन्टैन्सी तथा सम्बद्ध विषयों में फस्ट इन हाउस ट्रेनिंग की व्यवस्था की ।

जी. छठा अखिल भारतीय सी ए स्टूडैन्स सम्मेलन 2 व 3 मार्च 1985 को दिल्ली में हुआ । जिसमें विशेष व्याख्यान के 4 टैक्नीकल सत्र थे । जो कि उद्घाटन सत्र के अतिरिक्त थे । देश के लगभग 3000/- विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया । सम्मेलन का उद्घाटन न्यायाधीश श्री ई एस वैंकटरमया जज सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने किया श्री ए सी चक्रवर्ती इन्स्टीटयूट के प्रेसीडेंट ने अध्यक्षता की ।

इस सम्मेलन का मुख्य विषय "एमर्जिंग रोल आफ एकाउन्टिंग प्रोफेशन" था । जो इस टैक्नीकल सत्र में दो दिन तक चला और जिसमें निम्नलिखित विषय .—

1. इन्स्टीट्यूट द्वारा जारी एकाउन्टिंग स्टैण्डर्ड का अध्ययन,
2. मैनेजमैंट एकाउन्टिंग—ए टूल फार प्लानिंग एण्ड कन्ट्रोल,
3. कम्पयूटर द्वारा किये गये एकाउन्ट का आडिट,
4. इन्टरनल आडिट,
5. बिजनस इनकम में आगाह कटोती,
6. 1. कम्पनियों,
   2. गैर भारतीय नागरिकों के लिए कर छूट,
7. विद्यार्थियों के भविष्य विकास में प्रशिषण का महत्व,
8. इंस्टीट्यूट की शैक्षिक योजना का मूल्यांकन,
9. एकेडमी अफ एकाउन्टिंग-उसके लाभ ।
7. परीक्षा ए

7.1 एन्ट्रेन्स परीक्षा जून 1984 तथा दिसम्बर 1984/जनवरी 1985 मे देश में विभिन्न केन्द्रों में हुई चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट इन्टरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं दोनो ही नये व पुराने पाठ्यक्रमों के लिए पहले की भांति मई और नवम्बर 1984 मे देश भर मे विभिन्न केन्द्रो पर हुई जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और जो उत्तीर्ण हुए उनका विवरण परिशिष्ट 12 में दिया गया है ।

कौसिल को यह रिपोर्ट देते हुए खुशी है कि इन्सटीट्यूट के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रत्याशी कुमारी नंदिता शाह जो कि बम्बई की हैं ने नवम्बर 1983 की फाइनल परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया ऐसे ही दूसरी महिला बंगलौर निवासी कु. सी० वी० शकुन्तला ने मई 1984 को ली गई फाइनल परीक्षा में प्रथम अंक प्राप्त किये । इन्हें दोनों ही प्रत्याशियों को पुरस्कृत किया गया । तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमति इन्द्रिरा गांधी ने अपने निवास पर एक विशेष समारोह मे 18 सितम्बर 1984 को उन्हें आर्शीवाद दिया ।

7.2 पुरस्कार तथा योग्यता के प्रमाण पत्र

मई तथा नवम्बर 1984 को ली गई परीक्षाओं में पुरस्कार तथा योग्यता के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम परिशिष्ट 13 में हैं ।

7.3 परीक्षार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही

सात परीक्षार्थी जो परीक्षा में गलत प्रयोग करते हुए पाये गये उनपर विभिन्न अवधियों के लिए परीक्षा मे बैठने से रोक लगा दी गई ।

7.4 चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस रैगुलेशन्स 1964 की अनुसूची बी के अन्तर्गत फाइनल परीक्षा ।

जैसा कि कौसिल ने पहले निर्णय लिया था सी ए रैगुलेशन 1964 की अनुसूची बी के अन्तर्गत मई 1985 की परीक्षा के बाद किसी प्रकार की फाइनल परीक्षा नहीं ली जायेगी । अब कौसिल ने कथित परीक्षा को दो और सत्रों यथा नवम्बर 1985 और मार्च 1986 तक बढाने का निश्चय किय जो विद्यार्थी मई 1986 तक पुराने पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा पास नहीं कर पायेंगे उन्हें अंतिम वर्ष के नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शेष प्रश्न-पत्रों को पास करने की अनुमति दी जायेगी । फाइनल "नये पाठ्यक्रम" परीक्षा के सम्बन्ध, प्रश्नपत्र के सम्बन्ध में विवरण बाद में घोषित किये जायेंगे ।

7.5 एन्ट्रेन्स परीक्षा

परीक्षा पत्र हिन्दी में भी दिये जायेंगे जो जून 1985 में ली गयी एन्ट्रेन्स परीक्षा से प्रश्न पत्रों को हिन्दी में भी दिये जाने की व्यवस्था की गई ।

8. क्षेत्रीय कौसिल तथा क्षेत्रीय कौंसिलों की शाखाएं :

8.1 एकरूपता तथा प्रशासकीय सुविधा के लिए "कौंसिल ने फैसला किया की रीजनल कौंसिलों की शाखाओं की मैनेजिंग कमेटियों के चुनाव प्रत्येक तीसरे वर्ष किये जायेंगे जो उस वर्ष होंगे जिसमें कौसिल और रीजनल कौसिल के चुनाव होंगे इस सम्बन्ध में कौसिल के निर्देशक सिद्धांतों में आवश्यक संशोधन किये गये हैं । तथा उपरोक्त निर्वाचित क्षेत्रों को सलाह दी गई कि वह अपनी वार्षिक आम बैठक एक तथा 31 जुलाई 1985 के मध्य में बुलाएं और अपनी नई मैनेजिंग कमेटी के लिए सदस्यों को चुने इन परिवर्तनों को परिणाम स्वरूप वर्तमान मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल 15 सितम्बर 1985 को समाप्त हुआ और नई कमेटी 16 सितम्बर 1985 को अपना पद भी ग्रहण करेगी ।

8.2 रीजनल कौंसिलों की शाखाओं के लिए भवन

रीजनल कौसिलों को विशेष महत्व देने के उद्देश्य से कौंसिल ने उनको खुद का बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कौसिल ने एक स्कीम बनाई है जिसके अन्तर्गत शाखाएं, भवन के अधिग्रहण/फ्लैटों के निर्माण/भवनों के निर्माण के लिए चन्दा एकत्रित करेगी । जिसके लिए कौसिल कुछ प्रतिबन्धों सहित अनुदान प्रदान करेगी । इस योजना के अन्तर्गत दक्षिण भारत का रीजनल कौसिल का एर्नाकुलम शाखा के लिए कोचीन में एक भवन निर्माण के कार्य के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है । यह बिल्डिंग केरल के सी ए सोसाइटी के प्लाट पर बनेगी जो कौंसिल इस महान योगदान के लिए केरल को सी ए सोसाइटी के प्रति आभार प्रकट करता है जिसने इस्टीट्यूट को यह प्लाट हस्तान्तरित किया ।

8.3 रीजनल कौंसिल की सर्वोच्च शाखा को रोटेशन शील्ड

रीजनल कौसिलों की शाखाओं को अधिक कार्यकुशल बनाने के उद्देश्य से तथा यह आश्वस्त होने के लिए कि उनके अधिक से अधिक सदस्य बनें इस्टीट्यूट में रीजनल कौसिल की शाखाओं की न्यूनतम क्रिया कलापों के लिए कुछ नियम बनायें हैं इस योजना के अन्तर्गत शाखाओं को अपनी गतिविधियों/प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट जमा करानी होगी । इन शाखाओं को वर्ष में उनके कार्यकलापों तथा प्रगति के लिए सर्वोच्च शाखा को रोटेशन शील्ड प्रदान किया जायेगा । यह शील्ड 1984-85 वर्ष के लिए एस आई आर सी की कायम्बटूर शाखा को प्रदान किया गया । यह पुरस्कार सितम्बर 1985 को वार्षिक समारोह में दिया जायगा ।

8.4 रीजनल कौंसिल/शाखाएं

रीजनल कौंसिल/रीजनल कौंसिलों की शाखाओं के पते तथा इन्सटिट्यूट के अनुच्छेद जो भारत से बाहर है का उल्लेख परिशिष्ट 14 में किया गया है।

9 वित्त

31 मार्च 1985 को बैलन्सशीट तथा समाप्य वर्ष का आय व्यय का लेखा कौंसिल द्वारा स्वीकृत किया गया। आय और व्यय के लेखा में रु. 37.65 लाख का सर्पलस निकला जो कि पिछले वर्ष रु 41.27 लाख का था।

10. प्रशंसापत्र

ए कौंसिल इंस्टिट्यूट के उन सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने इन्सटिट्यूट की कमेटी के रूप में कार्य किया तथा उन नान-मेम्बर्स का भी आभार व्यक्त करती है जिन्होंने कौंसिल का इस वर्ष उसकी शैक्षणिक तथा तकनीकी गतिविधियों और उसकी परीक्षाओं में सहयोग प्रदान किया।

वी सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनवरत सहयोग व सहायता के लिए कौंसिल अपना आभार प्रकट करती है।

सी कौंसिल इन्सटिट्यूट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता है जिन्होंने अपने अथक प्रयास और ईमानदारी से वर्ष पर्यन्त कार्य किया।

वार्षिक रिपोर्ट का अनुलग्नक

परिशिष्ट 1

(संदर्भ: रिपोर्ट का पैरा 1-1)

कौंसिल के सदस्य 1984-85

बाला कृष्णन, आर	मद्रास
बनर्जी, भास्कर	कलकत्ता
बसल, एम के	नई दिल्ली
चक्रवर्ती, ए सी	कलकत्ता
चावला, ब्रजपाल	नई दिल्ली
डाजद, एस पी	बम्बई
दरडा, वी सी	बम्बई
दुआर, एस एम (डा.)	नई दिल्ली (=)
घोष, आर सी	जयपुर
होशिंग, वी आर	बम्बई (=)
कैरा, आई पी	बम्बई
जेम्स, जे. ए (1-4-84 से)	नई दिल्ली (=)
काले, वाई एम	बम्बई
खन्ना, एम एम	नई दिल्ली
कुम्भात, अशोक	मद्रास
नायर, पी ए	बम्बई
नन्द गोपाल, एस	मद्रास
नारायण स्वामी, जी	मद्रास
पटेल, मनुभाई जे	अहमदाबाद
पोद्दार, एन के	कलकत्ता
प्रेम कुमार एम (31-3-85 तक)	नई दिल्ली (=)
राव, के एन. (1-1-85 से)	नई दिल्ली (=)
राय चौधरी, ए	कलकत्ता
सम्पथ, कुमारन पी टी	मद्रास
सारदा, एन पी	बम्बई
शाह, पी एन	बम्बई
सिंघी, एम एल (16-9-84 तक)	कलकत्ता (=)
सिन्हा, आई बी (डा)	लखनऊ (=)
सोमानी, के जी	नई दिल्ली
सुरेश बाबू डी एल	बंगलौर
सूरी, आर सी (30-4-84 तक)	नई दिल्ली (=)
उन्नी नायर, एम एस (31-3-84 तक)	नई दिल्ली (=)
वैश्य, आर. सी (डा)	कानपुर

(=) केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउटैन्ट्स आफ इंडिया 1984-85 के लिए कमेटियों की सूची

ए स्टैंडिंग कमेटी

एक्जीक्यूटिव कमेटी

श्री ए सी. चक्रवर्ती, प्रेजीडेन्ट	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस प्रेजीडेंट	बम्बई
श्री भास्कर बनर्जी	कलकत्ता
श्री एम के बन्सल	नई दिल्ली
श्री पी टी सम्पथ कुमारन	मद्रास
श्री आर एल चोपड़ा (कमेटी के सैक्रेटरी)	

एक्जामिनेशन कमेटी

श्री ए सी चक्रवर्ती, प्रेजीडेंट	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वायस प्रेजीडेंट	बम्बई
श्री आर बालकृष्णन	मद्रास
डा. आई बी सिन्हा	लखनऊ
श्री के जी सोमानी	नई दिल्ली
श्री के कल्याणारमन (कमेटी के सैक्रेटरी)	

डिसीप्लिनरी कमेटी

श्री ए सी चक्रवर्ती, प्रेजीडेन्ट	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस प्रेजीडेन्ट	बम्बई
श्री एस एम दुआर	नई दिल्ली
श्री एस नंदगोपाल	मद्रास
श्री आर सी वैश्य	कानपुर
श्री जी डी खुराना (कमेटी के सेक्रेटरी)	

बी. नान-स्टैंडिंग कमेटी

रिसर्च कमेटी

श्री एम एम खन्ना, चेयरमैन	नई दिल्ली
श्री वाई एम काले, वाइस चेयरमैन	बम्बई
श्री ए सी चक्रवर्ती प्रेजीडेन्ट (एक्स आफिशियो)	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस प्रेजीडेन्ट (एक्स आफिशियो)	बम्बई
श्री भास्कर बैनर्जी	कलकत्ता
श्री पी एन शाह	बम्बई
श्री पी जी एन पाणिणकर	बम्बई
श्री वाई एच मलेगम } काप्टेड	बम्बई
श्री उदय खन्ना }	बम्बई
श्री के गणशन }	कलकत्ता
श्री अविनाश चन्द्र (कमेटी के सेक्रेटरी)	

आडिटिंग प्रैक्टिसिज कमेटी

श्री वाई एम काले, चेयरमैन	बम्बई
श्री ए सी चक्रवर्ती, वाइस चेयरमैन (एक्स आफिसियो)	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस प्रैसिडेन्ट (एक्स आफिसियो)	बम्बई
श्री भास्कर बनर्जी	कलकत्ता
श्री एम एम खन्ना	नई दिल्ली
श्री एन के राउ	नई दिल्ली
श्री पी आर खन्ना कोआप्टेड	नई दिल्ली

श्री वाई एच मलेगम	बम्बई
श्री समर घोष	कलकत्ता
श्री एन जे रलागर	मद्रास
श्री कमल गुप्ता (कमेटी के सेक्रेटरी)	

कन्टिन्युइंग प्रोफेशनल एजूकेशन कमेटी

श्री एन के पोद्दार चेयरमैन	कलकत्ता
श्री डी एस सुरेश बाबू वाइस चेयरमैन	बंगलोर
श्री ए सी चक्रवर्ती प्रेजीडेन्ट (एक्स आफिसियो)	कलकत्ता
श्री पी ए नायर वाइस प्रेजीडेन्ट (एक्स आफिसियो)	बम्बई
श्री आर सी धिया	जयपुर
श्री एम जी पटेल	अहमदाबाद
डा आर सी वैश्य	कानपुर
श्री एम भट्टाचार्य } कोआप्टेड	कलकत्ता
श्री एम दामानिया } कोआप्टेड	बम्बई
डा एन एल धमीजा (कमेटी के सैक्रेट्री)	

एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस बोर्ड

श्री एन पी सारदा, चेयरमैन	बम्बई
श्री भास्कर बेनर्जी, वाइस चेयरमैन	कलकत्ता
श्री एसी चक्रवर्ती (प्रेजीडेन्ट) एक्स आफिसियो	कलकत्ता
श्री पी ए नायर वाइस प्रेजीडेन्ड (एक्स आफिसियो)	बम्बई
डा एस एम दुगार	नई दिल्ली
श्री जी ए जेम्स	नई दिल्ली
श्री के एन राव	नई दिल्ली
श्री पी एन शाह	बम्बई
श्री पी ज एम पाण्डिणकर	बम्बई
श्री वी एल चावला	नई दिल्ली
श्री एस नन्द गोपाल	मद्रास
श्री पी एम नारियाला } (कोआप्टेड)	कलकत्ता
श्री महेन्द्र ए मारिवा } (कोआप्टेड)	बम्बई
श्री ए गांगुली } (कोआप्टेड)	नई दिल्ली
श्री जोसफ कुरियन } (कोआप्टेड)	मद्रास
श्री आर एस लोधा } (कोआप्टेड)	कलकत्ता
श्री कमल गुप्ता, (कम्पनी के सेक्रेटरी)	

प्रोफेशनल डवलपमैन्ट कमेटी

श्री पी एन शाह, (चेयर मैन)	बम्बई
श्री एन के पोडर, (वाइस चेयरमैन)	कलकत्ता
श्री ए सी चक्रवर्ती, प्रेसीडेन्ट, (एक्स आफिसियो)	कलकत्ता
श्री वी ए नायर, वाइस प्रेसीडेन्ट, (एक्स आफिसियो)	बम्बई
श्री आई सी जैन	बम्बई
श्री वी आर टोशिग	बम्बई
श्री जी नारायण स्वामी	मद्रास
श्री के एन रा	नई दिल्ली
श्री आर एन बंसल, (कोआप्टेड)	नई दिल्ली
श्री ए के चक्रवर्ती, (कोआप्टेड)	कलकत्ता
डा. एन एल धमीजा, (कमेटी के सेक्रेटरी)	

बोर्ड आफ स्टेडीज

श्री ए राय चौधरी, (चेयर मैन)	कलकत्ता
श्री वी सी धारक, (वायस चेयरमैन)	बम्बई
श्री ए सी चक्रवर्ती, प्रेसीडेन्ट (एक्स आफिसियो)	कलकत्ता
श्री आर बालकृष्णन	मद्रास
श्री एन पी सारदा	बम्बई
श्री के जी सोमानी	नई दिल्ली
श्री टी एस विश्वनाथ, (कोआप्टेड)	नई दिल्ली
श्री के सी मेहता, कोआप्टेड	बड़ौदा
श्री ए के मजूमदार, (बोर्ड के सैक्रेटरी)	

टैक्सेशन कमेटी

श्री जी नारायण स्वामी, (चेयरमैन)	मद्रास
श्री एम जी पटेल, वाईस चेयरमैन	अहमदाबाद
श्री ए सी चक्रवर्ती, प्रेसीडेन्ट (एक्स आफिसियो)	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस प्रेसीडेन्ट (एक्स आफिसियो)	बम्बई
श्री एस के बसल	नई दिल्ली
श्री जी ए जेम्स	नई दिल्ली
श्री एन के पोदार	कलकत्ता
श्री ए एच दलाल, (कोआप्टेड)	बम्बई
श्री जी वी रमन, (कोआप्टेड)	मद्रास
श्री सी आर टी वर्मा, (कम्पनी के सेक्रेटरी)	

कम्पनी ला कमेटी

श्री आर सी जैन, (चेयरमैन)	बंबई
श्री डी एन सुरेश बाबू, (वाईस चेयरमैन)	बंगलौर
श्री ए सी चक्रवर्ती, (प्रेसीडेंट एक्स आफिसियो)	कलकत्ता
श्री वी एल चावला	नई दिल्ली
डा. एस एम दुगर	नई दिल्ली
श्री एस नन्द गोपाल	मद्रास
श्री एम सी बफना, (कोआप्टेड)	नई दिल्ली
श्री एन टी दलाल, (कोआप्टेड)	बंबई
श्री एस के चक्रवर्ती, (कमेटी के सेक्रेटरी)	

इंटरनेशनल अफैयर्स कमेटी

श्री ए. सी. चक्रवर्ती, चेयरमैन	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाईस चेयर मैन	बंबई
श्री एम एम खन्ना	नई दिल्ली
श्री अशो कुम्भत	मद्रास
श्री एन के वोडर	कलकत्ता
श्री पी एन शाह	बंबई
श्री बी एल कोबरा, कोआप्टेड	बंबई
श्री बंसी एस मेहता, कोआप्टेड	बंबई
श्री वई एन मलेगम, कोप्टेड	बंबई
श्री कमल गुप्ता (कमेटी के सेक्रेटरी)	

एक्सपर्ट एडवाईसरी कमेटी

श्री बी एल चावला, चेयरमैन	नई दिल्ली
श्री एम एम खन्ना, वाईस चेयरमैन	नई दिल्ली
श्री पी ए नायर, वाईस प्रेसीडेन्ट (एक्स आफिसियो)	बंबई
श्री एस के बंसल	नई दिल्ली
श्री ए राय चौधरी	कलकत्ता
श्री के जी सोमानी	नई दिल्ली
श्री एस कुमार, काप्टेड	बंबई
श्री एस सी वासुदेव, काप्टेड	नई दिल्ली
श्री अविनाश चन्दर, कमेटी के सेक्रेटरी	

यूनिवर्सिटी सम्पर्क समिति

श्री एस पी छज्जड़, चेयरमैन	बम्बई
श्री आर सी धीया, वाइस चेयर मैन	जयपुर
श्री पी ए नायर, वाइस चेयर मैन (एक्स आफिसियो)	बंबई
श्री वी सी धारक	बंबई
श्री ए राय चौधरी	कलकत्ता
डा. आई बी सिन्हा, कोआप्टेड	लखनऊ
श्री पी मित्र, कोआप्टेड	कलकत्ता
श्री पी डी खन्ना, कोआप्टेड	
डा. एम. के. अग्रवाल, आफिशियेटिंग सैक्रेटरी टू द कमेटी	

जनरल परपजेस कमेटी

श्री ए सी चक्रवर्ती, चेयरमैन	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस चेयरमैन	बम्बई
श्री भास्कर बैनर्जी	कलकत्ता
श्री एस के वसन	नई दिल्ली
श्री पी टी सम्पत कुमारन	मद्रास
श्री आर एल चोपड़ा, सेक्रेटरी टू द कमेटी	

स्टूडियस स्टैण्डर्ड कमेटी

श्री ए सी चक्रवर्ती, चेयरमैन	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस चेयरमैन	बम्बई
श्री एस पी छज्जड़, वाइस चेयरमैन	बम्बई
डा एस एन डुगर	नई दिल्ली
श्री जी नारायण स्वामी	मद्रास
श्री पी टी सम्पत कुमारन	मद्रास
डा आर सी वैश्य	कानपुर
श्री आर बैनर्जी, कमेटी के सेक्रेटरी	

जन सम्पर्क समिति

श्री ए सी चक्रवर्ती, चेयर मैन	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस चेयर मैन	बम्बई
श्री आर सी धिया	जयपुर
श्री बी आर होशिंग	बंबई
श्री अशोक कुम्भत	मद्रास
श्री पी एन शाह	बंबई
श्री एम एम चितले, काप्टेड	बंबई
श्री पी एस कुमार, काप्टेड	बंबई
श्री आर एल चोपड़ा, कमेटी के सेक्रेटरी	

कमेटी फार अनजस्टीफाइड रिमूवल आफ आडीटर्स

श्री ए सी चक्रवर्ती, चेयर मैन	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस चेयर मैन	बंबई
श्री एस एम डुगर	नई दिल्ली
श्री जी डी खुराना, कमेटी के सेक्रेटरी	

एडीटोरियल बोर्ड

श्री ए सी चक्रवर्ती, एडीटर इन चीफ	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस एडीटर	बंबई
श्री आर बालकृष्णन	मद्रास
श्री डी सी धारक	बंबई
श्री पी एन शाह	बंबई
श्री के जी सोमानी	नई दिल्ली
श्री नारायण वर्मा, काप्टेड	बंबई
श्री रूसी बी दारूवाला, काप्टेड	बंबई
श्री आर एल चोपड़ा, कमेटी के सेक्रेटरी	

आई सी ए आई—आई सी डब्लू ए आई कार्डीनेशनल कमेटी

श्री ए सी चक्रवर्ती, लीडर	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, डिप्टी लीडर	बंबई
श्री बी एल जावला	नई दिल्ली
श्री एस बी छज्जड़	बंबई
श्री अशोक कुम्भत	मद्रास
श्री ए राय चौधरी	मद्रास
श्री आर एल चोपड़ा, कमेटी के सेक्रेटरी	

आई सी ए आई—आई सी एस आई कारडीनेशन कमेटी

श्री एस सी चक्रवर्ती, लीडर	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, डिप्टी लीडर	बंबई
श्री एस पी छज्जड़	बंबई
श्री के जी सोमानी	नई दिल्ली
डा आर सी वैश्य	कानपुर
श्री आर एल चोपड़ा, कमेटी के सेक्रेटरी	

क्षेत्रीय भाषाएं समिति

श्री ए सी चक्रवर्ती, चेयर मैन	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस चेयर मैन	बंबई
श्री एम एल खन्ना	नई दिल्ली
श्री जी नारायण स्वामी	मद्रास
श्री एम जी पटेल	अहमदाबाद
श्री पी एन शाह	बंबई
डा आई बी सिन्हा	लखनऊ
श्री डी एल सुरेश बाबु	बंगलौर
श्री आर एल चोपड़ा, कमेटी के सेक्रेटरी	

कमेटी फार रिव्यू आफ एजुकेशन एण्ड ट्रेनिंग

श्री ए सी चक्रवर्ती, चेयरमैन	कलकत्ता
श्री पी ए नायर, वाइस चेयर मैन	बंबई
श्री पी एन शाह	बंबई
श्री पी जे एम पानीकर	बंबई
श्री ए राय चौधरी	कलकत्ता
श्री अशोक कुम्भत	मद्रास
श्री एम जी पटेल	अहमदाबाद
श्री बी एम मेहता, काप्टेड	बंबई
श्री पी के मलिक, काप्टेड	कलकत्ता
श्री एस के अग्रवाल, काप्टेड	नई दिल्ली
श्री ए के मजूमदार, कमेटी के सेक्रेटरी	

परिशिष्ट - 3

संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3.8 (पट)

सी पी ई कमेटी द्वारा आयोजित सैमिनार/कोर्सों का विवरण :

क्रमांक	कार्यक्रम	स्थान	तिथि
1	"लेखों और अंकेक्षण में कम्प्यूटर प्रयोग" पर सैमिनार"।	मद्रास	6 और 7 अक्तूबर 1984
2.	"वित्तीय प्रबन्ध और प्रबन्ध लेखन पर कार्यक्रम" पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन रिफौर्मस डिपार्टमेन्ट भारत सरकार के साथ	नई दिल्ली	15 अक्तूबर 1984 से 3 नवम्बर 1984
3.	"वित्तीय प्रबन्ध और कर" पर सेमिनार	पूना	18 नवम्बर 1984
4.	सह प्रोफेशनल कार्यक्रम "एस्पैक्टस आफ कारपोरेट फाइनैन्स और ला" पर इन्स्टीट्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरी के साथ	मद्रास	4 और 5 मई 1985
5	"प्रबन्ध लेखांकन में नए आयाम" पर सैमिनार	बंगलौर	1 और 2 जून 1985
6	"लेखों और अंकेक्षण में कम्प्यूटर का प्रयोग" पर सैमिनार	बम्बई	10 और 11 अगस्त 1985

परिशिष्ट - 3

संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3.8 (बी)

मैनेजमैन्ट एकाउन्टैन्सी कोर्स (पार्ट) I परीक्षा के परिणाम

	मई 1984	नवम्बर 1984	मई 1985
दोनों ग्रुप			
प्रवेश लेने वाले प्रत्याक्षी	15	8	14
उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याक्षी	2	1	2
प्रतिशत	13.33	12.5	14.28
ग्रुप - 1			
प्रवेश लेने वाले प्रत्याक्षी	17	21	17
उत्तीर्ण हुए प्रत्याक्षी	5	7	2
प्रतिशत	29 41	33.33	11.76
ग्रुप - सैकेन्ड			
प्रवेश होने वाले प्रत्याक्षी	6	5	8
उत्तीर्ण हुए प्रत्याशी	6	2	2
प्रतिशत	100	40	25

परिशिष्ट - 4

संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3.8 (बी)

कारपोरेटिड मैनेजमैन्ट कोर्स पार्ट I/II इम्तहान का परिणाम

	मई 1984	नवम्बर 1984	मई 1985
पार्ट - I			
प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी	2	कोई परीक्षा नहीं हुई	
उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशी	--		
प्रतिशत	--		
पार्ट II	कोई परीक्षा नहीं ली गई		

परिशिष्ट - 5

संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 3.10 (सी)

प्रैक्टिस करने का सर्टीफिकेट धारक सदस्यों के लिए गाइड नोट जो कम्पनी में डायरैक्टरशिप स्वीकार करते हैं

कौंसिल का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि अनेकानेक कम्पनियां अपने बोर्ड में चार्टर्ड एकाउन्टैंटों को डायरैक्टर के रूप में नियुक्त कर रही हैं । ऐसी कम्पनियों द्वारा जारी प्रोस्पैक्टसों तथा सार्वजनिक घोषणाओं में अक्सर चार्टर्ड एकाउन्टैन्टों को सुविज्ञत, विशेषज्ञता और किसी विशेष क्षेत्र में अनुभव का विवरण प्रकाशित किया जाता है अथवा उनके नाम के आगे उपाधि अथवा विशेषण जोड दिया जाता है । ऐसे सदस्यों का ध्यान चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स एक्ट की प्रथम अनुचची के क्लाज (6) और (7) की व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया जाता है । जो निम्नांकित हैं :--

"प्रैक्टिस कर रहा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व्यावसायिक दुराचार का दोषी माना जाएगा, यदि वह--

---

---

6. सरकूलर, विज्ञापन, व्यक्तिगत सम्पर्क अथवा साक्षात्कार अथवा अन्य किसी साधन से क्लाइंट्स अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में व्यावसायिक कार्य प्राप्त करता है ।

7. अपनी व्यावसायिक उपलब्धियां अथवा सेवाओं का विज्ञापित अथवा व्यावसायिक दस्तावेजों, विजिटिंग कार्ड, लैटर हैड अथवा साईन बोर्ड में चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स के अलावा कोई पदनाम अथवा अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना भारत में कानून के अंतर्गत की गई है, की डिग्री न हो, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता मिली हो, अथवा इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य इन्स्टीट्यूशन अथवा कौंसिल द्वारा मान्यताप्राप्त उपाधि/टाइटिल न हो ।"

यह जानने के लिए कि ऐसी कम्पनियों द्वारा, जिनमें सदस्य डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहा हो, जारी प्रोस्पैक्ट्स अथवा सार्वजनिक घोषणाओं में इन्स्टीट्यूट के सदस्य का नाम सम्मिलित नहीं होता है, यह आवश्यक है कि सदस्य आवश्यक पद उठाये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे प्रोस्पैक्ट्स अथवा सार्वजनिक घोषणायें अथवा सार्वजनिक सूचनाओं में उसकी व्यावसायिक उपलब्धियां निज्ञापित नहीं की जाती है, साथ ही ऐसे प्रोस्पैक्ट्स अथवा सार्वजनिक घोषणाओं अथवा सार्वजनिक सूचनाओं से सदस्य द्वारा व्यावसायिक कार्य के लिए क्लाइंट प्राप्त करने का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अर्थ न निकलता हो । यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई कठोर नियम बनाना कठिन है फिर भी सदस्यों को अपने विवेकपूर्ण निर्णय में जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित हो, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त व्यवस्थाओं का अक्षरशः और अभिप्राय दोनों रूपों में पालन किया जाता है ।

सदस्य के लिए यह उचित होगा कि जैसे ही वह कम्पनी के बोर्ड में डायरैक्टर नियुक्त होता है, वह कम्पनी के मैनेजमैन्ट का उपर्युक्त व्यवस्थाओं के बारे में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध करे कि ऐसे प्रोस्पैक्ट्स अथवा सार्वजनिक घोषणायें अथवा सार्वजनिक सूचनायें, जिसमें सम्मिलित सदस्य के नाम का उल्लेख हो, जारी करने से पूर्व, सम्बन्धित सदस्य से सम्बन्धित सामग्री को, जहां तक सम्भव हो, उससे अनुमोदित करा लिया जाए ।

'चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट' की अभिव्यक्ति के प्रयोग की अनुमति है । फिर भी सदस्य को यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि उसकी सुविज्ञता, विशेषज्ञता और किसी विशेष क्षेत्र में उसकी जानकारी अथवा उपाधि अथवा विशेषण को उसके नाम के साथ प्रकाशित नहीं किया जाता है । किसी अन्य कम्पनियों में डायरेक्टशिप रखने का विवरण सदस्य दे सकता है, परन्तु चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स की फर्म का नाम जिसमें सदस्य एक पार्टनर है, नहीं देना चाहिए ।

सदस्यों का ध्यान चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रैगुलेशन्स के परिशिष्ट 10 के साथ पठित रैगुलेशन 16 की ओर भी आकर्षित किया जाता है, विशेषकर मैनेजिंग डायरैक्टर अथवा कम्पनी के पूर्णकालिक डायरैक्टर के रूप में कार्यभार सभालने सम्बन्धी कौंसिल के रिजोलूशन 3 के पैरा (बी) के सम्बन्ध में इस प्रकार के मामले में, कोई भी सदस्य मैनेजिंग डायरैक्टर अथवा पूर्णकालिक डायरैक्टर के पद का भार प्रत्येक मामले में कौंसिल की विशेष अनुमति से ही संभाल सकता है । सदस्यों का ध्यान कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 2 (26) की व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अधीन किसी व्यक्ति को मैनेजिंग डायरैक्टर अथवा पूर्णकालिक डायरैक्टर के रूप में नामित नहीं किया जाता, उसे मैनेजिंग डायरैक्टर अथवा पूर्णकालिक डायरैक्टर के रूप में नामित किया जा सकता है यदि उसे कम्पनी के कार्यकलापों का पूर्ण अथवा पूर्ण कार्य का पर्याप्त भार सौंपा जाता है । यह भी उल्लेखनीय है कि कोई सदस्य एक कम्पनी में मैनेजिंग डायरैक्टर अथवा पूर्ण कालिक डायरैक्टर के पद का कार्यभार स्वीकार और उसे सम्भाल नहीं सकता यदि ऐसी कम्पनी में सदस्य और/अथवा उसके सम्बन्धी का पर्याप्त हित हो, शब्दों की व्याख्या परिशिष्ट सं. 10 में दी हुई है । इस व्याख्या के अनुसार 'सम्बन्धी' का अर्थ है उस सदस्य का पति, पत्नी, भाई अथवा बहन अथवा लेनियल पूर्वज अथवा वंशज किसी भी कम्पनी के मामले में 'पर्याप्त हित' का अर्थ है शेयर

रखना (लाभांश की निश्चित दर के लिए ग्राहण नहीं) वोटिंग पावर 20 % से कम न हो और जो सदस्य के नाते द्वारा अथवा सदस्य द्वारा सयुक्त रूप से अपने सम्बन्धी अथवा व्यवसाय में जिसमें कि उल्लिखित व्यक्ति का प्रयोजन-हित निहित हो, लाभ ग्राही हों।

यह भी नोट किया जाना चाहिए कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट 1949 की प्रथम अनुसूची की व्यवस्थायें केवल प्रैक्टिस कर रहे सदस्यों पर ही लागू होंगी और तदनुसार यह गाइड नोट प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट धारी सदस्यों के लिए ही हैं।

परिशिष्ट 6

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 4.9)

बाहरी संस्थाओं में नामांकन

निम्नलिखित सदस्यों ने इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व विभिन्न संस्थाओं में किया

1.	जनरल कौंसिल आफ दी इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च	श्री एम सी चक्रवर्ती
2.	इनफोरमल एडवाइजरी कमेटी आफ दी डिपार्टमेंट आफ कम्पनी अफार्स आन मैटर्स रिलेटिंग टू कास्ट एकाउंटिंग रिकार्ड रूल्स	श्री ए सी चक्रवर्ती
3.	कमेटी आन कारपोरेट रिपोर्टिंग विद एसोचाम	श्री वी. राजा रमन श्री बंसी एस मेहता श्री वाई एच मलेगम श्री पी एम नारियलवाला श्री पी एन शाह श्री के पी भार्गव
4.	नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल	श्री ए सी चक्रवर्ती
5.	फार्म एकाउन्टस सैक्शनल कमेटी डी सी 49 आफ दी इंडियन स्टैण्डर्ड्स इस्टीट्यूशन	श्री एस एम खन्ना
6.	बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कन्ट्रोलर आफ केपिटल इश्यूज	श्री ए सी चक्रवर्ती
7.	सेन्ट्रल एडवाइजरी कमेटी आफ डायरेक्ट टैक्सेज	श्री ए सी चक्रवर्ती
8.	आल इंडिया बोर्ड आफ मैनेजमेंट स्टडीज	श्री पी ए नायर
9.	कौंसिल आफ दि इन्टरनेशनल फैडरेशन आफ एकाउन्टेन्टस (आई एफ ए सी)	श्री बी. एल कावरा
10.	इन्टरनेशनल आडिटिंग प्रैक्टिसिज कमेटी आफ आई एफ ए सी	श्री वाई एच मलेगम
11.	एजूकेशन एण्ड ट्रेनिंग सब कमेटी आफ सी ए पी ए	श्री बन्सी एस मेहता
12.	एजूकेशन कमेटी आफ आई एफ ए सी	श्री बन्सी एस मेहता (चेयरमैन)
13.	साउथ एशियन फैडरेशन आफ एकाउन्टैन्टस	श्री ए सी चक्रवर्ती

परिशिष्ट-7

संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 4.15

इंस्टीट्यूट की तेरहवीं कौंसिल के लिए चुने गए सदस्यों के नाम

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र गोआ दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली सम्मिलित हैं।

1. श्री छाजेद, सोहन राज पुखराजी
2. श्री चिताले, मुकुन्द मनोहर
3. श्री दलाल, अरविन्द हरसुख राय
4. श्री जैन, इन्दर चन्द
5. श्री काले, यशोधन मधु सूदन
6. श्री नायर, पुलिक्कल अच्युतन
7. श्री पटेल, मनुभाई मोहन भाई
8. श्री राठी, आनन्द किशोर

निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिल नाडु राज्य तथा संघ-क्षेत्र पांडिचेरी और लक्कादीप, मिनिकाय और अमिनदीव समूह सम्मिलित हैं।

1. श्री बालकृष्णन आर
2. श्री लक्ष्मी निवास शर्मा
3. श्री नन्द गोपाल, एस
4. श्री नारायण स्वामी, गोपाल कृष्ण
5. श्री राव, बी. पी.
6. श्री सुन्दर राजन, नल्लन चक्रवर्ती

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें असम, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य और संघ-क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं।

1. श्री बनर्जी, भास्कर
2. श्री चक्रवर्ती, अमल कुमार
3. श्री दास गुप्ता, सन्तोष कुमार
4. श्री पोद्दार, निर्मल कुमार

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सम्मिलित हैं।

1. श्री भंडारी, सुरेन्द्र सिंह
2. डा. वैश्य, रमेश चन्द्र

निर्वाचन क्षेत्र जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर और पंजाब राज्य तथा संघ-क्षेत्र दिल्ली और चन्डीगढ़ सम्मिलित हैं।

1. श्री अग्रवाल, के एम
2. श्री सोमानी, कृष्ण गोपाल
3. श्री वासुदेव, सुभाष चन्द्र
4. श्री विश्व नाथ, टी एस

2. इंस्टीट्यूट की विभिन्न रीजनल कौंसिल में चुने गये सदस्यों के नाम.

वैस्टर्न इंडिया रीजनल कौंसिल

(गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा संघ क्षेत्र गोवा, दमन, दीव तथा दादर एवं नगर हवेली)

1. श्री अग्रवाल, ओम प्रकाश शिव चन्द
2. श्री भिडें, वामन शंकर
3. श्री बंडग, अशोक कुमार किशन गोपाल जी
4. श्री चतुर्वेदी, मदन मोहन
5. श्री दोशी, प्रकाश जयन्ती लाल
6. श्री छदियाली, पंकज चिमन लाल
7. श्री गोयल, गोविन्द प्रसाद
8. श्री हरि भक्ति, शैलेश विष्णु भाई
9. श्री जोशी, प्रदीप दिनकर
10. श्री खरे, राम गणेश
11. श्री पंत चिमार, रूपिन रमेश चन्द्र
12. श्री पटल, चन्द्र कान्त फुलाभाई
13. श्री राठी, जुगल किशोर श्री निवास जी
14. श्री सारदा, जे मोहन
15. श्री शाह, दिलीप महेन्द्र भाई
16. श्री ठक्कर, सुरेश शान्ति लाल
17. श्री जावरे, शिवाजी भीकाजी

सदर्न इंडिया रीजनल कौंसिल

(आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य और संघ-क्षेत्र पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप मिनिकाय और अमन द्वीव द्वीप समूह)

1. श्री अर्जुन राज, ए
2 श्री बबाल सुब्रमणियम् ए
3. श्री पाट मिट्टूर भ मा
4. श्री भयर लाल, नाहर ए.
5. श्री देवदास, के. सी.
6. श्री कटेश्वर राव, एम एस आर
7. श्री ओस्टावल, जीव राज
8. श्री पाहो करन, जोसे
9. श्री रामासुब्रह्मणियम. के. एन.
10. श्री राम कुमार पी. टी.
11. श्री सथाना कृष्णन, पी. वी.
12. श्री विजय राघवन, एस

ईस्टर्न इंडिया रीजनल कौंसिल

(असम मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य तथा संघ-क्षेत्र अरुणाचल, मिजोरम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह)

1. श्री भट्टाचार्य जी, अरविन्द
2 श्री चौधरी, अमिताभा दत्ता
3. श्री गंगोपाध्याय, अरुण ज्योति
4. श्री जैन, कैलाश चन्द
5. श्री खण्डेलवाल, काशी प्रसाद
6. श्री खन्ना, राजेश कुमार
7. श्री राय चौधरी, सदीप कुमार

सैन्ट्रल इंडिया कौंसिल

(उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य)

1. श्री बदी, सुदर्शन कुमार
2. श्री चौधरी, दिगम्बर
3. श्री धून, कृष्ण कुमार
4. श्री गोयल, सुनील
5 श्री कसेरा, राजेश

नर्दन इंडिया रीजनल कौंसिल

(हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा पंजाब राज्य तथा संघ-क्षेत्र दिल्ली और चंडीगढ़)

1. श्री चोपड़ा अमर जीत
2. श्री गुलाटी, सुनील कुमार
3. श्री गुप्ता, एन. डी.
4. श्री जैन, नेम चन्द
5. श्री खन्ना, अनिल कुमार
6 श्री मनु चड्ढा
7. श्री मेहरा विवेक
8. श्री सिन्धी, राजेन्द्र सिंह

परिशिष्ट 8

(संदर्भ रिपोर्ट का पैरा 5.1)

दिनांक 1-2-1985 को सदस्यों की सांख्यिकीय

फैलोज	पूर्ण कालीन प्रैक्टिस में	9,529	
	अंश कालीन प्रैक्टिस में	1,429	
	प्रैक्टिस में नहीं	1,059	12,017
एसोसियेट्स	पूर्ण कालीन प्रैक्टिस में	9,580	
	अंश कालीन प्रैक्टिस में	4,520	
	प्रैक्टिस में नहीं	10,301	24,401
		कुल योग	36,418

फैलोज				एसोसियेट्स
	प्रैक्टिस में			
क्षेत्र	पूर्णकालीन प्रैक्टिस में	अंश कालीन प्रैक्टिस में	प्रैक्टिस में नहीं	कालम 2, 3, 4 का योग
1	2	3	4	5
1.	3,125	616	379	4,120
2	2,332	273	228	2,833
3	1,453	199	189	1,841
4.	0,947	152	72	1,171
5	1,672	189	191	2,052
योग	9,529	1,429	1,059	12,017

	पूर्ण कालिक प्रैक्टिस में	अंश कालिक प्रैक्टिस में	प्रैक्टिस में नहीं	कालम 6, 7, 8 का योग	कालम 5 और 9 का कुल योग
	6	7	8	9	10
1.	3,322	2,190	2,960	8,472	12,592
2	2,049	0,841	3,376	6,266	9,099
3.	0,993	0,489	1,986	3,468	5,309
4.	0,980	0,503	0,693	1,976	3,147
5.	2,236	0,697	1,286	4,219	6,271
योग	9,580	4,520	10,301	24,401	36,418

परिशिष्ट-9

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 5.2)

सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

रैगुलेशन 32बी के अनुसार आर्टिकिल्ड क्लर्कों को वृत्तिका (स्टिपेंड) अदा न करना।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐक्ट 1949 की धारा 21 के साथ पठित इसी ऐक्ट की द्वितीय अनुसूची के भाग 2 के अर्थ में एक सदस्य को व्यावसायिक दुराचार का दोषी पाया गया. (ए) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रैगुलेशन, 1964 के रैगुलेशन 32बी के उपबन्धों के अनुसार अपने आर्टिकिल्ड क्लर्क को वृत्तिका (स्टिपेंड) अदा करने में असफल रहने के लिए तथा (बी) उपर्युक्त रैगुलेशन के अधीन नियत उसके कार्य घण्टों का रैगुलेट न करने के लिए। कौंसिल ने हाई कोर्ट को सिफारिश की कि रैस्पोंडेन्ट का रिप्रीमाण्ड किया जाये। हाई कोर्ट ने कौंसिल के इस निष्कर्ष को बहाल रखा कि रैस्पोंडेंट ने चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स रैगुलेशन्स, 1964 के रैगुलेशन 32बी का उल्लंघन किया है और सदस्य को रिप्रीमाण्ड कर दिया।

विस्तृत विवरण के लिए 'चार्टर्ड एकाउन्टेंट' के अंक मई 1985 के पृष्ठ 912 व 915 देखें।

परिशिष्ट-10

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 5.3)

वर्ष 1984-85 के दौरान सदस्यों के रजिस्टर से हटाये गये नामों का विवरण

ए. निधन के कारण

क्रमांक	संख्या	नाम	स्थान	हटाने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	171	बी. सी. जयकर	बम्बई	10-7-84
2.	258	के वेंकटसुब्बय्या नायडू	मद्रास	4-4-84

1	2	3	4	5
3	317	वी जस्लावल्लल् नायडु	मद्रास	21-10-84
4.	370	सुशील कुमार मुखोपाध्याय	कलकत्ता	7-3-84
5.	390	बा डी जोखाकार	बम्बई	13-2-84
6.	418	के वी राजरत्नम चेट्टी	मद्रास	19-12-84
7.	498	ए एम ठक्कर	बम्बई	1-6-84
8.	624	एम बी भट्ट	बम्बई	25-11-84
9.	685	ए०के० घोष	कलकत्ता	13-2-84
10.	875	एम के शाह	कलकत्ता	17-7-84
11.	966	एम डी देसाई	बम्बई	26-3-84
12.	987	ए के सम्बाशिव अय्यर	मद्रास	2-10-84
13.	1035	पी एन मुखर्जी	कलकत्ता	22-10-84
14.	1071	आर डी देसाई	बम्बई	25-7-84
15.	1157	वी एम मोट्टा	बम्बई	21-4-84
16	1163	के डी राय	कलकत्ता	19-11-84
17.	1344	एस सी सुडावला	बम्बई	21-2-84
18.	1415	एस बी मडल	कलकत्ता	4-1-85
19.	1486	एन एस रामनाथन	बंगलौर	9-12-84
20.	1611	वी जी दफारिया	रतलाम	1-7-84
21.	1813	पी के कृष्णाराव	मद्रास	11-10-84
22.	1916	विलियम मार्टिस	सिथपुर	1-2-83
23.	1972	टी एस वैद्यनाथ अय्यर	त्रिचूर	17-4-84
24.	2604	एन शंकरन	तिरुनेलवेली	13-11-84
25.	2605	जी वेनुगोपाल कामथ	कोचीन	17-6-84
26.	2990	एम एस रामनाथन	दपोह (बल्नू) मलेशिया	5-9-83
27	3145	वी एम वस्तावाला	बम्बई	26-12-83
28.	3235	सी वी वरक्की	हैदराबाद	6-8-84
29.	3301	पुनचा वेंकट राम शर्मा	सिकन्दराबाद	13-12-84
30.	3315	पशुपति नाथ झा	कलकत्ता	13-1-85
31.	3420	एस बाल सुब्रामणि	मद्रास	30-12-84
32.	3500	डी एस निरुपन देसाई	हुबली	27-5-84
33.	3589	के टी जेकोब	कोचीन	12-1-84
34.	4237	सी वी शर्मा	हैदराबाद	28-5-84
35.	4583	के वी सेशागिरी राव	हैदराबाद	6-9-84
36.	4641	एन सी रायचौधरी	कलकत्ता	9-3-84
37.	8557	डी आर ठक्कर	बम्बई	11-11-83
38.	4961	के आर नागार्जुन	क्विलोन	16-3-84
39.	4972	एन के डांगका	जयपुर	6-3-84
40.	5000	आर पी बासु	कलकत्ता	12-10-84
41.	5208	आर पी बनर्जी	बम्बई	12-2-84
42.	5294	एम एम भारतिया	परवानवर	7-11-84
43	5314	पी वेंकटराव	बंगलौर	27-11-84
44.	5557	दिलीप कुमार दास	कलकत्ता	31-8-83
45.	6133	जी डी मिश्रो	बम्बई	7-11-84
46.	6934	के एस सक्सेना	फरीदाबाद	4-3-84
47.	7376	टी आर कृष्णामूर्ति	मद्रास	21-7-84
48.	7407	विनोद कुमार खिडारिया	नई दिल्ली	16-3-84
49.	7568	सी जी उमान	बड़ौदा	25-11-84
50.	7761	टी व जी श्रीनिवास राव	निजामाबाद	17-10-84
51.	7987	आर के जैन	कलकत्ता	1-10-84
52.	8048	बी एन घोष	कलकत्ता	3-9-84
53.	13384	के एल बासु	कलकत्ता	11-1-84
54.	14282	नरिन्द्र कुमार समरवाल	नई दिल्ली	21-10-84
55.	14582	आर एन कामरा	मंदसौर	19-10-84
56.	15058	सी जी सम्भोग	पाणाजी गोआ	5-9-84
57.	15223	डी आर बोहरा	जयपुर	29-4-84
58.	17130	सी एम ठाकुर	पुणे	26-8-84
59.	20093	पारस मल कटारिया	बंगलौर	24-7-84
60.	20733	जी वेंकटारेड्डी	विशाखापतनम	22-1-85
61.	34944	आर एल पिंगे	बड़ौदा	18-4-84
62.	50494	विनोद कुमार पारीक	कलकत्ता	26-4-84
63.	70061	ए के बोस	कलकत्ता	7-8-84
64	81610	एस एन नागराज	बंगलोर	7-7 84

परिशिष्ट-11

संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 6.3 (ए)

	इंटर	फाइनल 1	फाइनल 2	फाइनल 3
प्रशिक्षार्थियों की संख्या जो 1-4-84 को एनराल थे	23470	15374	15358	12809
वर्ष 1984-85 के दौरान एनराल किये गये	9289	3513	3513	3513
	32,759	18,887	18,871	16,322
विद्यार्थियों की सं० जिन्होंने 1984-85 में ट्यूशन पूरा किया (मई और नवम्बर 84 परीक्षा)	(–) 7496	3213	3214	3221
शेष	25,263	15,674	15,657	13,101

परिशिष्ट-12

(संदर्भ : रिपोर्ट का पैरा 7.1)

परिणामों का सारांश

मई/जून 1984 में हुई परीक्षाएं

1. एन्ट्रेन्स परीक्षा—जून, 1984

1. परीक्षार्थियों की कुल संख्या	4561
सफल घोषित परीक्षार्थियों की कुल सं० . .	639
प्रतिशत	14.01

2. इंटरमीडिएट (नया सिलेबस) परीक्षा मई, 1984

1. ग्रुप फर्स्ट में बैठे परीक्षार्थियों की कुल संख्या	11263
ग्रुप फर्स्ट में सफल घोषित परीक्षार्थियों का सं० .	1770
प्रतिशत	15.72
2. ग्रुप सेकेन्ड में बैठे परीक्षार्थियों की कुल संख्या	14267
ग्रुप सेकेन्ड में सफल घोषित परीक्षार्थियों की सं०	2107
प्रतिशत	14.77
3. दोनों ग्रुपों में बैठे परीक्षार्थियों की कुल सं०	5485
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित परीक्षार्थियों की सं०	396
प्रतिशत .	7.22

3 फाइनल (पुराना सिलेबस) परीक्षा मई 1984

1 ग्रुप फस्ट मे बैठे परीक्षार्थियों की कुल स०	1512
ग्रुप फस्ट मे सफल घोषित परीक्षार्थियो की स०	146
प्रतिशत	9 66
2 ग्रुप सेकेन्ड मे बैठे परीक्षार्थियो की कुल स०	1192
ग्रुप सेकेन्ड मे सफल घोषित परीक्षार्थियो की स०	99
प्रतिशत	8 31
3 दोनो ग्रुपो मे बैठे परीक्षार्थियो की कुल स०	19
दोनो ग्रुपो मे सफल घोषित परीक्षार्थियो की स०	3
प्रतिशत	72

4 फाइनल (नया सिलेबस) परीक्षा मई 1984

1 ग्रुप फस्ट मे बैठे परीक्षार्थियो की कुल स०	3892
ग्रुप फस्ट मे सफल घोषित परीक्षार्थियो की स०	1987
प्रतिशत	51 05
2 ग्रुप सेकेन्ड मे बैठे परीक्षार्थियो की कुल स०	4715
ग्रुप सेकेन्ड मे सफल घोषित परीक्षार्थियो की स०	1626
प्रतिशत	34 49
3 ग्रुप थर्ड मे बैठे परीक्षार्थियो की कुल स	5285
ग्रुप थर्ड मे सफल घोषित परीक्षार्थियो की स०	2089
प्रतिशत	39 53
4 सभी ग्रुपो मे बैठे परीक्षार्थियो की कुल सख्या	1140
सभी ग्रुपो मे सफल घोषित परीक्षार्थियो की सख्या	150
प्रतिशत	13 16

परिशिष्ट-13

(सदर्भ रिपोर्ट का पैरा 7 2)

फाइनल परीक्षा के पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र 1984 वर्ष के लिए सर्वोत्तम विद्यार्थी

श्री सुनील धीरजलाल शाह को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये गये

1 जी पी कापडिया (प्रथम प्रेजीडेन्ट) पुरस्कार
2 दि रामचन्द्र सिंह पुरस्कार सर्वोत्तम अभ्यर्थी के लिए
3 दि जी बासु फाउन्डेशन पुरस्कार सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए
4 दि एन एन दास पुरस्कार सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए
5 दि केरला वर्मा पुरस्कार ग्रुप फस्ट मे सर्वोत्तम के लिए अभ्यर्थी
6 दि यू सी मजूमदार पुरस्कार और एस एस शाह पुरस्कार कम्पनी ला पर सर्वोत्तम पेपर के लिए
7 दि पी एन घोष मेमोरियल पुरस्कार ग्रुप सेकेन्ड मे सर्वोत्तम अभ्यर्थी के लिए
8 योग्यता प्रमाण पत्र प्रथम श्रेणी

इटरमीडिएट परीक्षा

1984 वर्ष का सर्वोत्तम विद्यार्थी

श्री जयन्त बी पानेकर को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये गये

1 दि जी पी कापडिया (प्रथम प्रेजिडेंट) पुरस्कार
2 दि सूरी मेमोरियल पुरस्कार वर्ष 1984 के सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए ।
3 योग्यता प्रमाण पत्र—प्रथम श्रेणी

फाईनल परीक्षा

		मई 1984	नवम्बर 1984
1	2	3	4
1	दि जी पी कापडिया (फस्ट प्रेसीडेंट) पुरस्कार	सुश्री सी बी सकुन्तला	सुनील धीरज लाल शाह
2	दि राम चन्द्र सिंह पुरस्कार सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए	सुश्री सी बी सकुन्तला	सुनील धीरज लाल शाह
3	दि सर शापूर ज बिल्लीमोरिया पुरस्कार एकाउन्टेन्सी मे सर्वोत्तम पेपर के लिए	केशव प्रसाद	समीर कुमार के पडया
4	दि जे के दोष पुरस्कार फाईनेंशियल मैनेजमैन्ट मे सर्वोत्तम पपर के लिए	सुरजकान्त	वैराग चन्द वैसाल
5	दि ए एफ फर्गुसन पुरस्कार तथा आर वेन्कटेसन मेमोरियल पुरस्कार आडिटिंग मे सबसे सर्वोत्तम पेपर के लिए	आलोक सेठी	बी श्रीकान्त
6	दि केरला वर्मा पुरस्कार ग्रुप-1 सर्वोत्तम विद्यार्थी के लिए	श्री रग मोरेश्वर	सुनील धीरजलाल शाह
7	दि यू सी मजूमदार पुरस्कार तथा दि एस एस शाह पुरस्कार—कला मे सर्वोत्तम पेपर के लिए	के वेंकटरमन निवराठी ओर चन्द्र सेकरन	सुनील धीरज लाल शाह
8	दि एन एम शाह पुरस्कार तथा सूर मेमोरियल पुरस्कार डायरेक्ट टैक्सलाज मे सर्वोत्तम पेपर के लिए	सुश्री सी बी सकुन्तला	बाल सुब्रमणियम गणेशन अय्यर
9	दि वेकटाचलम मोहन पुरस्कार अर्थ शास्त्र मे सर्वोत्तम पेपर के लिए	अनुपम हलदर	ए नागेश्वरन
10.	दि पी एन घोष मैमोरियल पुरस्कार ग्रुप दो मे सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए	निनिन भास्कर कर्वे	सुनील धीरज लाल शाह
11	दि जयन्ती लाल के ठक्कर मैमोरियल पुरस्कार सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए जिसने फाईनल परीक्षा मे दूसरे स्थान पर सर्वाधिक अक प्राप्त किये ।	सुमन्त चड्ढा	वी. श्रीकान्त
12	दि आर वी के उमरजी पुरस्कार कास्ट एकाउन्टिंग मे सर्वोत्तम पेपर के लिए ।	कामिनी नैय्यर ओर नलिन भडारी	बाल सुब्रमणियम गणेशन अय्यर
13	दि जी आर शिवमाली पुरस्कार सबसे अच्छे महिला प्रत्याशी के लिए ।	सुश्री सी बी सकुन्तला	सुश्री अमाल अजना
14	दि जी सी बासु फाउन्डेशन पुरस्कार वर्ष 1984 के लिए सर्वोत्तम प्रत्याशी ।	—	सुनील धीरज लाल शाह
15	एन एन दास पुरस्कार एकाउन्टेंसी ग्रुप मे वर्ष 1984 मे सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए	—	सुनील धीरज लाल शाह

नवम्बर-दिसम्बर, 1984 मे सम्पन्न परीक्षाए

(1) प्रवेश परीक्षा दिसम्बर, 1984

कुल विद्यार्थी सख्या	10993
सफल घोषित किये गये विद्यार्थियो की सख्या	2315
प्रतिशत	21.07

(2) इन्टरमीडिएट (नया सलेबस) परीक्षा नवम्बर-1984

1 ग्रुप एक मे प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियो की कुल सख्या	12936
ग्रुप एक मे सफल घोषित प्रत्याशियो की सख्या	3261
प्रतिशत	25.21

2 ग्रुप दो में प्रविष्ट प्रत्याशियों की संख्या	16597
ग्रुप दो में सफल घोषित प्रत्याशियों की संख्या	2992
प्रतिशत	18.03
3 दोनों ग्रुपों में प्रविष्ट हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या	6903
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित विद्यार्थियों की संख्या	900
प्रतिशत	13.04
(3) फाईनल (पुराना सिलेबस) परीक्षा नवम्बर-1984	
1 ग्रुप एक में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या	1580
ग्रुप एक में सफल घोषित किये गये विद्यार्थियों की संख्या	322
प्रतिशत	20.37
2 ग्रुप दो में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों की संख्या	1197
ग्रुप दो में सफल घोषित किये गये विद्यार्थियों की संख्या	116
प्रतिशत	9.69
3 दोनों ग्रुपों में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों की संख्या	468
दोनों ग्रुपों में सफल घोषित विद्यार्थियों की संख्या	7
प्रतिशत	1.49
(4) फाईनल (नया सिलेबस) परीक्षा नवम्बर-1984	
1. ग्रुप नं. 1 में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों की संख्या	3819
ग्रुप एक में सफल घोषित विद्यार्थियों की संख्या	1708
प्रतिशत	44.72
2 ग्रुप दो में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों की संख्या	4629
ग्रुप दो में सफल घोषित हुए विद्यार्थियों की संख्या	1656
प्रतिशत	35.77
3 ग्रुप तीन में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों की संख्या	5287
ग्रुप तीन में सफल हुए विद्यार्थियों की संख्या	2605
प्रतिशत	49.27
4 सभी ग्रुपों में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों की संख्या	1236
सभी ग्रुपों में सफल विद्यार्थियों की सं.	289
प्रतिशत	23.38

अपेन्डिक्स-14

(सन्दर्भ पैरा 8.4)

रीजनल कौन्सिल

वैस्टर्न इंडिया रीजनल कौन्सिल
"अन्वेशक" 27, कफ़ी परेड
कालाबा, बम्बई-400005

साउदर्न इंडिया रीजनल कौन्सिल
122, नगम्बाक्कम हाई रोड
पो. बा. नं. 3314
मद्रास-600034.

ईस्टर्न इंडिया रीजनल कौन्सिल
7 रसेल स्ट्रीट,
कलकत्ता —700001.

सैन्ट्रल इंडिया रीजनल कौन्सिल
16/77, सिविल लाईन्स
बिहाइन्ड रिजर्व बैंक आफ इंडिया
दि माल, कानपुर—208001.

नौदर्न इंडिया रीजनल कौन्सिल
पांचवीं मंजिल "अनैक्सी"
दि इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इंडिया
इन्द्राप्रस्थ मार्ग
पो. बा. नं. 7100
नई दिल्ली—110001.

पते दी ब्रांचिस आफ रीजनल कौन्सिलस

वैस्टर्न रीजनल

अहमदाबाद ब्रांच
बी-1, कैपिटल कमर्शियल सैन्टर
पास सन्यास आश्रम
आश्रम रोड
अहमदाबाद 380009.

गोआ ब्रांच
दत्ता प्रसाद तीसरी मंजिल
ए. अल्बुकुरक रोड
पंजिम-गोआ

कोल्हापुर-ब्रांच
1604, ई वार्ड, दत्ता प्रसाद
राजाराम पुरी, पांचवी लेन
कोल्हापुर-416002

नागपुर ब्रांच
डा. भागवतकर्स बंगला
धंतोली, पार्क कोर्नर
नागपुर-440012.

नासिक ब्रांच
द्वारा श्री एम एन कुलकर्णी
59, मेन रोड, शेन्ड बिल्डिंग
नासिक —422001.

पूना ब्रांच
द्वारा मै. कीर्तन एण्ड पंडित
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
576. सदाशिव पेंठ लक्ष्मी रोड,
पूना-411030

राजकोट ब्रांच
दूसरी मंजिल कामधेनु
पास मोती टकी
राजकोट-360001.

बड़ोदा ब्रान्च
10 सदन बिल्डिंग
दूसरी मंजिल, पास संदर भवन
रावपुरा बड़ौदा-390001.

सूरत ब्रान्च
द्वारा मैं वाई बी देसाई एण्ड कम्पनी
"वासुधरा" चैम्बर, 3
तीसरी मंजिल, पारसी शेरी
नवापुरा
सूरत-395003.

साउदर्न रीजन
एलेप्पी ब्रांच
डिस्ट्रिक्ट को आपरेटिव बैंक बिल्डिंग के पीछे
पैलस रोड
एलेप्पी-688001.

सोलापुर ब्रान्च
द्वारा श्री डी एन तुलपूले
654/1, साउथ कस्बा
सोलापुर-413007.

बंगलोर ब्रांच
नं. 19. फस्ट क्रास
सैकेन्ड फ्लोर,
लाल बाग फोर्ट रोड
बंगलौर-560004

बेलगाम ब्रान्च
दूसरी मंजिल हुरी मन्दिर,
मारस्त्रन समाज बिल्डिंग,
समादेवी गली,
बेलगाम 590002.

कालीकट ब्रांच
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया
"ज्ञानसुधा" पथियारा
कालकुट 673004

कोयम्बतूर ब्रांच
एम एम एम मैमोरियल बिल्डिंग,
नं. 1, दीवान बहादुर रोड,
कोयमूबत्तूर 641002

एर्नाकुलम ब्रांच
23 / 204, मरारम्बिल बिल्डिंग,
महात्मा गांधी रोड,
एर्नाकुलम कोचीन 682011.

गुनटूर ब्रांच,
श्रीनिवास बिल्डिंग
अरूंडेलपेट,
गुन्टूर 522002.

हैदराबाद ब्रांच
द्वारा एफ ए पी सी सी आई, 11-6-841.
रैड हिल्स पो बा. नं. 14,
हैदराबाद–500004.

कोट्टायाम ब्रांच
यूनियन बिल्डिंग,
म्युनिसिपल जंक्शन
कोट्टायाम–686001

कुम्बाकोनाम ब्रांच
गोपाल राव लाईब्रेरी कोम्पलैक्स,
टाउन हाल रोड,
कुम्बाकुनाम 612001.

मदुरई ब्रांच
50-बी, पैचीमान पदियुरई स्ट्रीट,
मदुरई 625001.

मंगलौर ब्रांच
उदय प्रिन्टर्स बिल्डिंग,
मंगलौर-575003

मैसूर ब्रांच
4581, नरसीमहराज मोहल्ला,
मैसूर-570007

सलेम ब्रांच
टाउन रेलव स्टेशन रोड,
सलेम-636001

तिरुचिरापल्ली ब्रांच
नं. 35, चिन्नकादाई स्ट्रीट,
तीसरी मंजिल कमरा नं. 3,
तिरुचिरापल्ली-620002

तिरुनविली ब्रांच
द्वारा श्री पी.वी. राम वरन,
12, श्रीपुरम
तिरुनविली-627001

त्रिचुर ब्रांच
भारद्वाज आश्रम,
पतुरईकाल,
त्रिचूर

त्रिवेन्द्रम ब्रांच
उनसेब मदम बिल्डिंग,
नार्थ आफ पदमनभा स्वामी टैम्पल,
फोर्ट, त्रिवेन्द्रम 695023

विजयवड़ा ब्रांच
26-13-31, सत्यासीराजु स्ट्रीट,
गांधी नगर,
विजयवाड़ा – 520003.

विशाखापट्टनम ब्रांच
श्रीपुरम,
विशाखापट्टनम – 530003.

ईस्टर्न रीजन

आसनसोल ब्रांच
जी. टी. रोड़ (वैस्ट एण्ड),
अपोजिट एल आई सी बिल्डिंग
आसनसोल, डिस्ट्रिक्ट बर्दवान

भुवनेश्वर ब्रांच
प्लाट नं. 265,
शहीद नगर,
भुवनेश्वर -751007

गोहाटी ब्रांच
अम्बारी
गोहाटी -781001

आगरा ब्रांच
9/12, सिनार गली,
मोती कटरा,
आगरा

भोपाल ब्रांच
111, मालविया नगर,
भोपाल-462003.

गाजियाबाद ब्रांच
द्वारा मै. रवी कुमार एण्ड कम्पनी,
पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक बिल्डिंग,
गाजियाबाद-201001

इन्दौर ब्रांच
123, जवाहर मार्ग,
इन्दौर-452002.

जयपुर ब्रांच
19, युधिष्टर मार्ग,
सी-स्कीम,
जयपुर-302001

जमशेदपुर ब्रांच
91, स्ट्रट माइल रोड,
सक्ची, जमशेदपुर-831001

जोधपुर ब्रांच
अपोजिट स्टेडियम ग्राउंड,
जोधपुर

लखनऊ ब्रांच
रेड हाल,
लखनऊ क्रिश्चन कौलेज,
गोला गंज,
लखनऊ

पटना ब्रांच
द्वारा आर एन मिश्रा एण्ड कम्पनी,
रिजवी हाउस, जमाल रोड़,
पटना-800001

रायपुर ब्रांच
द्वारा . जे एस अग्रवाल एण्ड कम्पनी,
चार्टड एकाउन्टेंट्स,
बागाधिया मैन्शन, जवाहर नगर,
रायपुर-492001

उदयपुर ब्राच
66, पचशील मार्ग,
नौपेर टाउन हाल,
उदयपुर 313001

इलाहाबाद ब्रांच
द्वारा . श्री एस एच जैन,
जनरल मैनेजर (फाइनैन्स),
भारत पम्प एण्ड कम्प्रैशर्स लि.
नैनी,
इलाहाबाद-211010

नार्दर्न रीजन

अमृतसर ब्रांच
102, जे एण्ड के बैंक बिल्डिंग,
शास्त्री मार्किट,
अमृतसर

चंडीगढ़ ब्रांच
द्वारा अरन दास एण्ड कम्पनी,
एस. सी ओ., 89–91, कुशल बिल्डिंग,
सैक्टर 17-डी, चंडीगढ़-160017

फरीदाबाद ब्रांच
द्वारा मैं० एल एन चौधरी एण्ड कम्पनी,
7, नीलम चौक, पहली मंजिल,
फरीदाबाद-121001

जालन्धर ब्रांच
द्वारा वी पी . विज एण्ड कम्पनी,
समक्ष गवर्नमैंट हायर सैकेन्डरी स्कूल,
सिविल लाइन्स, जालन्धर सिटी-144001

लुधियाना ब्रांच
द्वारा जैन सुभाष एण्ड कम्पनी,
बी-1–645/3, कुन्दनपुरी,
डा० विन्द्राबन रोड़, सिविल लाइन्स,
लुधियाना-141001

चैप्टर्स

दोहा चैप्टर्स आफ दी इंस्टिट्यूट
पोस्ट बाक्स नं. 164
दोहा क्वाटर

दुबई चैप्टर आफ दि इंस्टिट्यूट
पोस्ट बाक्स न. 1961
दुबई-यू ए ई

आबू-धाबी चैप्टर आफ दि इंस्टिट्यूट
द्वारा श्री रामा माधवा
मैं० एम आर बाटली बौय एण्ड कम्पनी,
पोस्ट बाक्स नं. 7365,
आबू-धाबी यू.ए.ई.

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया
नई दिल्ली
31 मार्च 1985 को समाप्त वर्ष
के लेखे

सितम्बर 1985
लेखा विभाग

आडीटरों को रिपोर्ट

सभी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया को 31 मार्च 1985 तक की सलग्न बैलेन्सशीट और निधि को समस्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखों के सलग्नों जिसमे क्षेत्रीय कोंसिलो, स्टूडेंट्स एसोसियेशन और शाखाओं के लेखों को सम्मलित किया गया है, का आडिट किया है और निम्न प्रकार रिपोर्ट देते हैं।

1. हम सभी सूचनाऐं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के साथ आडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक है

2 बैलेन्स शीट और आय एवं व्यय लेखे जो इस रिपोर्ट में लिये गये हैं वह लेखे को फुरदर्शी के अनुरुप है ।

3 हमारी राय मे लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक्ट 1949 की आवश्यकता के अनुसार रखे गये है ; और

4. हमारी राय और पूर्व सूचनाओ और हमे दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार विवरण और अनुसूचियो जो उनके साथ है सही और उचित स्थिति प्रकट करती है :

(1) 31 मार्च, 1985 तक की बैलेन्स शीट और कार्य के मामले में और

(2) उस निधि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखे के अधिक्य के मामले में ।

नई दिल्ली;

एम आर वेंटरामन
सी पी पेहरा
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया, नई दिल्ली
लेखा नीति

1. मूल्य ह्रास अचल पूंजी ऐतिहासिक लागत आधार पर दिखाई गई है और उसका मूल्य ह्रास ह्रासमान लेख तरीको से किया गया है, केवल लाईब्रेरी पुस्तको की जो मुख्य कार्यालय में है पर मूल्य ह्रास सीधी रेखा पद्धति से किया से गया है ।

2. फैलसदस्यो से प्रवेश शुल्क और एसोसिएट सदस्यों स प्राप्त प्रवेश शुल्क का अधिकतम भाग को पूंजीगत मान लिया है । विद्यार्थी क्रियाकलापों से होने वाले अधिशेष के उपयुक्त भाग को शिक्षा कोष में स्थानान्तरित कर दिया गया है और आरक्षित पूजी मे उपयुक्त होने वाले कोष का पूंजीगत रिजर्व स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

3. अध्ययन सामग्री और प्रकाशकों का इन्वैस्टरीज को कम लागत और विक्रय प्राप्त होने वाली लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकन किया गया है इस उद्देश्य के लिए लागत को सीधी लागत प्रणाली पर आंका गया है।

4 कर्मचारियों के लिए ग्रेजुयटी की व्यवस्था संभूति आधार पर की गयी है ग्रेच्यूटी तथा ग्रुप इंश्योरेंस पालिसी,लाइफ इंशोरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया से लिये गये हैं। ग्रेच्युटी में कोई भी कमी हो को भुगतान वाले वर्ष में डाला गया है ।

5. निर्देशों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया गया है।

6 सेमिनारों, सिम्पोजियम्स और कान्फ्रेंसों से आय को नगद आधार पर लिया गया है।

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1985 वर्ष के लिए बैलेंस रिपोर्ट

अनुसूची	31-3-1985		31-3-1984	
	रु.	रु	.	रु.
नियुक्त कोष				
(1) स्थाई पूंजी	2,1058,627		1,88,10,935	
कुल ब्लाक	7477,244		64,23,231	
घटायें मूल्यह्रास				
निविल ब्लाक (ए)		1,35,81,383		1,23,87,704
(2) उचिष्ट निवेष (बा)		48,73,388		50,38,233
(3) अन्य निवेष				
ए. सावधी जमा बैंक मे	1,69,84,268		1,56,77,64 8	
बी. सरकारी प्रतिभूती	2,506		2,506	
		1,69,86,774		1,56,80,154
(4) निविल चालू पूंजी (सी)		(–) 3,84,221		(–) 37,27,808
योग		3,50,57,324		2,93,78,26 2
वित्तीय सहायता द्वारा				
(1) पूंजीगत जमा (डी)		1,87,76,877		1,49,97,879
(2) सामान्य जमा (ई)		99,20,632		78,78,052
(3) अन्य जमा (एफ)		14,86,427		14,64,119
(4) निर्दिष्ट कोष (जी)		48,73,388		50,38,233
		3,50,57,324		2,93,78,285

नोट —31 मार्च के लेखो का पार्सिग माग एक स्टूडेन्ट ऐसोसियेशन और 6 शाखाओं के लेखे प्राप्त नही हुए हैं, आरक्षित पूंजी और देयताओं के नवीनतम आकडो, जो प्राप्त/प्रदा किया शुल्क अथवा देय के समन्जन को सम्मिलित कर लिया गया है।

आर एल चोपड़ा
सचिव

ए सी चक्रवर्ती
अध्यक्ष

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
(सी पी मेहरा)
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

पी सी जैन
उप सचिव

पी ए नादर
उपाध्यक्ष

नई दिल्ली

वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया नई दिल्ली
31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

	1984–85	1983–84
	रु.	रु.
1. आय—अनुसूची एच	1,02,60,411	89,71,051
(ए) सदस्य		
(1) रेगुलेटरी		
(2) व्यावसायिक विकास एवं अनुसंधान	94,76,081	8,61,923
(बी) विद्यार्थी	1,17,36,492	98,32,974
	2,16,97,222	1,75,37,953
योग	3,34,33,714	2,73,70,927
2. व्यय अनुसूची "1"		
(ए) सदस्य	34,95,376	25,61,130
(1) रेगुलेटरी		
(2) व्यावसायिक विकास एवं अनुसंधान	79,04,983	66,13,419
(बी) विद्यार्थी	1,14,00,359	91,74,549
	1,82,68,688	1,40,69,183
योग	2,96,69,047	2,32,43,732
(सी) वर्ष के लिए अधिक्य	17,14,267	17,34,385
(1) शिक्षा कोष को स्थानान्तरण	20,50,400	23,92,810
(2) सामान्य कोष को स्थानान्तरण	37,64,667	41,27,195
	3,34,33,714	2,73,70,927

आर एल चोपड़ा पी सी जैन — ए सी चक्रवर्ती पी. ए नायर उपाध्यक्ष

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार (एम आर वेंकटारमन) (सी पी मेहरा) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया नई दिल्ली

अनुसूची (ए)—आरक्षित पूंजी

(राशि रुपयों में)

क्रमांक पूंजी	1-4-1984 को लागत	शाखाओं से संबंधित समायोजन	वर्ष के दौरान जोड़	31-3-1985 को लागत	31-31-985 को अवक्षयण	31-3-1985 को निवल मूल्य	31-3-1985 को किताबी मूल्य
1. भूमि	4,58,241	—	3,56,832	8,15,373	—	8,15,073	4,58,241
2. भवन	94,77,965	—	2,80,630	97,58,595	16,27,723	80,70,872	79,97,186
3. विद्युत इंस्टालेशन एण्ड फिटिंग्स	11,58,859	—	81,774	12,40,633	6,83,945	5,56,688	5,42,360
4. एयर कंडीशन इंसटालेशन	12,27,428	—	2,53,689	14,81,117	8,06,799	6,74,318	5,42,172
5. लिफ्टस	2,84,041	—	—	2,84,041	1,45,701	1,38,340	1,53,711
6. फर्नीचर एण्ड फिक्चर	24,17,224	(–) 5,802	5,95,733	30,07,155	13,09,382	16,97,773	13,12,840
7. आफिस सामान	11,00,984	356	1,82,303	12,83,643	7,46,558	5,37,085	4,59,554
8. वाहन	76,985	—	—	76,985	37,569	39,416	49,270
9. पुस्तकालय	26,09,208	(–) 484	5,02,681	31,11,385	20,59,567	10,51,818	8,72,370
योग	1,08,10,935	(–) 5,930	22,53,632	2,10,58,627	74,77,244	1,35,81,383	1,23,87,704

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

अनुसूची 'बी' उद्दिष्ट निवेश

(राशि रुपयों मे)

	सावधी जमा बैंक से		अन्य बैंक मे शेष		सरकारी प्रतिवित्तिया		योग	
	31-3-1985	31-3-1984	31-3-1985	31-3-1984	31-3-1985	31-3-1984	31-3-1985	31-3-1984
योग (अ)	26,30,413	31,38,726	—	—	—	—	26,30,413	31,38,726
1. शिक्षा कोष निवेश								
2. अन्य उद्देश्य निवेश	6,80,250	6,78,994	—	(–) 567	—	—	6,80,250	6.78,487
अ. अनुसधान कोष								
ब. बैंडल और पुरस्कार कोष	1,95,534	1,57,117	25,088	23,970	80,025	80,025	3,00,647	2,61,112
स. वैज्ञानिक अनुसधान कोष	2,24,654	2,24,654	4,028	4,028	—	—	2,28,682	2,28,682
द. अन्य	9,81,155	7,13 668	52,241	17,618	—	—	10,33,396	7,31,286
योग (ब)	20,81,593	17,74,433	81,357	45,049	80,025	80,025	22,42,975	18,99,507
कुल योग (अ+ब)	47,12,006	49,13,159	81,357	45,049	80,025	80,025	48 73,388	50,38,233

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया नई दिल्ली

अनुसूची 'सी' निवल चालू पूंजी

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-85		31-3-84	
चालू पूंजी :				
अ. प्रकाशन अध्ययन सामग्री और स्टेशनरी		20,66,936		20,45,443
ब प्राप्य राशि				
1. ऋण पर ब्याज	8,61,230		7,83,537	
2. हाउसिंग और वाहन				
ऋण पर ब्याज	5,32 603		—	
अन्य	18,83,708	32,77,541	18,73,476	26.57,013
स. ऋण और अग्रिम राशि				
1. कर्मचारियों को गृह एवं वाहन पर अग्रिम	30,68,489		22,16,822	
अन्य	64,570		42,554	
	31,33,059		22,59,376	
2. ऋण छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को	4,03,934		4,37,804	
3 अन्य	5,68,955	41,05,948	6,21,903	33,19,083
द नकद और बैंक शेष	52,42,235		35,36,018	
इक्ट्ठा करने वाले बैंकों के नाम में	10.89,806	63,32,041	4,47,600	39,83,618
योग		1,70,57,536		1,24,62,181
घटायें चालू देयताएं :				
अग्रिम प्राप्त फीस		1,22,13,679		1,33,54,675
व्यय के लिए ऋण दाता		28,59,948		17,05,254
अन्य देयताएं		23,68,130		11,30,060
योग		1,74,41,757		1,61,89,989
निवल चालू पूंजी	(–)	3,84,221	(–)	37,27,808

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया नई दिल्ली

अनुसूची "डी" पूंजी रिजर्व

(राशि रुपयों मे)

विवरण	31-3-85	31-3-84
अ.		
ए. सामान्य गत लेखों के अनुसार	1,26,66,252	1,17,72,852
जोड़ें प्रवेश शुल्क और नियत एन्ट्रेस शुल्क	10,38,600	8,93,400
जोड़ें मद्रास भवन अतिरिक्त हेतु प्राप्त दान	3,72,398	—
योग (अ)	1,40,77,250	1,26,66,252
ब. शिक्षा		
(बी) गत लेखों के अनुसार शेष	23,31,627	23,31,627
जोड़ें शिक्षा कोष से स्थानान्तरण	23,68,000	—
योग	46,99,627	23,31,627
कुल योग (ए+बी)	1,87,76,877	1,49,97,879

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया नई दिल्ली

अनुसूची "ई" सामान्य रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-85	31-3-84
गत लेखों के अनुसार शेष	78,78,052	54,85,242
जोड़ें आय व्यय खाते से स्थानान्तरित अधिशेष	20,50,400	25,92,810
	99,28,452	78,78,052
घटायें अन्य रिजर्व को स्थानान्तरित	(-) 7,820	—
योग	99,20,632	78,78,052

अनुसूची (एफ) अन्य रिजर्व

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-85	31-3-84
गत लेखों के अनुसार शेष	14,64,119	16,66,849
जोड़ें वर्ष के दौरान निवल एक्रिशन	1,50,308	1,10,903
	16,14,427	17,77,752
घटायें सामान्य रिजर्व से ट्रासफर	(-) 1,28,000	(-) 3,13,633
योग	14,86,427	14,64,119

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस आफ इंडिया नई दिल्ली

अनुसूची "जी"

(राशि रुपयों में)

विवरण	31-3-1985	31-3-1984
ए. शिक्षा कोष		
गत लेखों के अनुसार शेष		
आय और व्यय खाते से स्थानान्तरण	31,38,726	14,89,963
आय और व्यय खाते से स्थानान्तरण	17,14,267	17,34,385
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	1,72,285	1,21,697
	50,25,278	33,46,045
घटाये पूंजीगत रिजर्व के स्थानान्तरित	(-) 23,68,000	—
समायोजन	26,865	(-) 2,07,319
योग (ए)	26,30,413	31,38,726
बी. अन्य निश्चित कोष		
ए अनुसंधान कोष	6,80,250	6,78,427
बी मैडल और पुरस्कार कोष		
गत वर्ष के लेखे के अनुसार	2,61,112	2,59,859
जोड़ें वर्ष के दौरान	38,549	—
वर्ष में आय	21,004	17,852
	3,20,665	2,77,711
घटायें दिये गये मैडलों और पुरस्कारों की लागत	(-) 20,018	(-) 16,599
	3,00,647	2,61,112
सी वैज्ञानिक अनुसंधान कोष	2,28,682	2,28,682
गत वर्ष के लेखे के अनुसार		
डी अन्य		
1. गत खोता का शेष	7,31,286	2,99,216
2. वर्ष के दौरान जोड़ें	1,10,000	81,139
3. सामान्य रिजर्व से स्थानान्तरण	7,820	—
4. सामान्य रिजर्व से स्थानान्तरण	1,23,000	3,13,633
जोड़ें वर्ष के दौरान अर्जित आय	57,446	40,024
	10,34,552	7,34,012
घटायें : वर्ष के खर्चे	(-) 1,156	(-) 2,726
	10,33,396	7,31,286
योग (बी)	22,42,975	18,99,507
कुल योग (ए+बी)	48,73,388	50,38,233

वि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया नई दिल्ली अनुसूची (एच)

31 मार्च 1985 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुलग्नक

(राशि रुपयों में)

	योग		सदस्य				विद्यार्थी	
		रेगुलेटरी		व्यावसायिक विकास और अनुसंधान				
	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84
1. आय								
1. प्रवेश शुल्क (नियमित)	4,00,200	3,42,000	4,00,200	3,42,000	—	—	—	—
2. सदस्यता शुल्क	86,73,345	75,66,205	86,73,345	75,66,205	—	—	—	—
3. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुल्क	15,900	20,700	—	—	15,900	20,700	—	—
4. विद्यार्थी पंजीकरण शुल्क	12,04,440	11,32,600	—	—	—	—	12,04,440	11,32,600
5. विद्यार्थी ऐसोसियेशन शुल्क	92,560	87,100	—	—	—	—	92,560	87,100
6. कोचिंग शुल्क	99,44,208	66,72,817	—	—	—	—	90,44,208	66,72,817
7. परीक्षा शुल्क	77,66,382	74,63,317	—	—	—	—	77,66,382	74,63,317
8. जर्नल और न्यूज लेटर	3,48,360	2,57,262	—	—	—	—	3,48,360	2,57,262
9. प्रकाशन	31,63,679	19,05,724	—	—	9,28,183	4,42,406	22,35,496	14,63,318
10. निवेशों पर ब्याज	1,67,195	1,55,076	—	—	98,422	89,673	68,773	66,403
11. केन्द्रीय व क्षेत्रीय कौंसिलों के लिए नामांकन शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—
12. अन्य	3,96,871	4,45,279	5,686	4,568	2,39,174	3,09,144	1,52,011	1,31,567
उप-योग	3,12,73,140	2,60,48,080	90,79,231	79,12,773	12,81,679	8,61,923	2,09,12,230	1,72,73,384
13. सामान्य कोष से आय निवेश (नियमित)	17,71,770	13,22,847	11,81,180	10,58,278	—	—	5,90,590	2,64,569
उप-योग	3,30,44,910	2,73,70,927	1,02,60,411	89,71,051	12,81,679	8,61,923	2,15,02,820	1,75,37,953
14. समय से पहले के समायोजन	3,88,804	—	—	—	1,94,402	—	1,94,402	—
योग	3,34,33,714	2,73,70,927	1,02,60,411	89,71,051	14,76,081	8,61,923	2,16,97,222	1,75,37,953

दि इस्टाट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट आफ इण्डिया नई दिल्ली अनुसूची-आई

31 मार्च 1985 के समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुलग्नक (राशि रुपयों मे)

	योग		सदस्य				सदस्य	
			रेगुलेटरी		व्यावसायिक विकास और अनुसधान			
	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84
11. खर्चे								
1. वेतन और कर्मचारी व्यय	96,76,106	78,89,021	18,75,171	14,27,422	21,43,814	19,31,540	56,57,121	45,30,059
2. छपाई और स्टेशनरी	10,12,590	9,09,042	1,24,120	85,782	4,72,378	3,72,967	4,16,092	4,50,293
3. प्रकाशन	22,20,092	14,54,989	4,20,910	2,39,356	6,60,075	4,16,197	11,39,107	7,99,436
4. जर्नल और न्यूज लेटर	21,68,455	16,50,415	—	—	18,44,279	14,03,048	3,24,176	2,47,367
5. कोचिंग (कर्मचारियो के वेतन के खर्चो को छोड़कर)	30,33,957	22,45,135	—	—	—	—	30,33,957	22,45,135
6. एकजामिनेशन (कर्मचारियों के वेतन और खर्चो को छोड़कर)	49,67,875	37,18,390	—	—	—	—	49,67,875	37,18,390
7. डाक तार व टेलीफोन	9,30,918	7,60,092	2,07,667	1,65,522	2,82,855	2,39,026	4,40,396	3,55,544
8. किराया दर और कर	11,56,165	5,99,566	2,41,627	1,13,153	3,83,870	2,23,369	5,30,668	2,63,044
9. रिपेयर और रखरखाव	3,79,338	4,94,093	87,182	1,10,557	1,10,139	1,49,456	1,82,017	2,34,080
10. अवक्षयण	9,91,300	8,56,248	2,47,826	2,14,063	2,47,825	2,14,061	4,95,649	4,28,124
11. यात्रा और परिवहन								
ड. कौसिल सदस्य	9,91,249	8,89,166	1,85,107	1,39,790	4,94,766	4,92,720	3,11,376	2,56,656
ब. कर्मचारी और अन्य	3,69,174	2,08,400	56,012	37,228	1,27,930	79,109	1,85,232	92,063
12. पुस्तकालय रखरखाव	48,970	68,681	—	—	29,528	33,661	19,442	35,020
13. विदेशीय सम्बन्ध	3,63,866	4,40,578	—	—	3,63,866	4,40,578	—	—
14. व्यावसायिक शुल्क	2,72,298	1,22,165	42,459	16,110	1,17,588	51,946	1,12,241	54,109
15. चुनाव	7,295	12,147	7,295	12,147	—	—	—	—
16. अन्य	10,79,409	9,25,604	—	—	6,26,070	5,65,741	4,53,339	3,59,863
योग	296,69,047	232,43,732	34,95,376	25,61,130	79,04,983	66,13,419	182,68,688	140,69,183

दि इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

वर्ष 1984-85 हेतु सदस्यों के व्यय का विवरण

एक्सपेंडिचर

क्रमांक	विवरण	1984-85	1983-84
		रु.	रु.
1.	ए. सदस्यों की संख्या	36,254	32,237
	ब. कुल खर्च	11,400	9,175
2.	प्रति सदस्य कुल व्यय	314	285
3.	रेगुलेटरी कुल खर्च	3,405	2,561
	प्रति सदस्य कुल व्यय	96	80
	प्रतिशत	34%	28%
4.	ए. कुल खर्च*	7,905	6,613
	ब. प्रति सदस्य व्यय	218	205
	स. प्रतिशत	70%	72%

*रुपये हजार में

दि इन्स्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया, नई दिल्ली

31 मार्च, 1985 को समाप्त वर्ष में वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण—

	लाख रुपये में	
	1984-85	1983-84
कोषों का स्रोत		
निवेशों सम्पत्ति कोषों से निवल आय (पूंजी और राजस्व पर)	21.73	16.43
पूंजीगत प्राप्तियां प्रवेश शुल्क, डोनेशन आय के रूप में	16.86	08.79
चालू पूंजी में कमी (नीचे विवरण देखें)	—	31.93
	38.59	57.15
वर्ष का अधिशेष बिना मूल्य ह्रास चार्ज किये तथा निवेशों और सम्पत्ति से अपरिवर्जित राजस्व आय पर विचार करते हुए	28.80	35.80
योग	67.39	92.95
कोषों का विनियोग		
चल पूंजी में बढ़त	33.44	—
अचल पूंजी का अधिग्रहण	22.53	20.42
निवेशों का अधिग्रहण	11.42	72.53
योग	67.39	92.95

चल पूंजी में परिवर्तन का विवरण (लाख रुपये में)

चालू सम्पत्तियां		
प्रकाशन तथा सामग्री एवं स्टेशनरी	08.40	04.35
प्राप्य राशि . ब्याज	00.78 } 05.33 }	02.16
अन्य	00.10	00.83
सी. ऋण और अग्रिम		
1. कर्मचारियों को अग्रिम	08.74	04.36
2. विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	(—)00 34	(--)02.38
3. अन्य	(--)00.53	(--)00.27
डी. नकद और बैंक अधिशेष	23.48	(--)04.75
योग	45.96	04.30
चालू देयताएं		
ए. अग्रिम प्राप्त शुल्क	(--)11.41	42.72
बी. व्यय के लिए ऋण दाता	11.55	00.79
सी. अन्य देयतायें	12.38	(--)07.28
योग	12 52	36.23
चालू पूंजी में निवल वृद्धि/कमी	33.44	(--)31.93

आर. एल. चोपड़ा, सचिव

New Delhi, the 27th September, 1985

NOTIFICATION

(Chartered Accountants)

1-CA(5)/036/85 : In pursuance of sub-section (5) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the Report and the audited accounts of the Council for the year ended 31st March, 1985 is hereby published for general information.

36TH ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1985

In accordance with the provisions of Section 18(5) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council has pleasure in presenting its 36th Annual Report. The Report not only covers the activities of the Institute for the year ended March 31, 1985 but also refers to some of the significant activities up to the date of its issue.

1. THE COUNCIL

1.1 Members of the Council and of its Various Committees

The 12th Council constituted on September 17, 1982 will hold office till 16th September, 1985. The

Council consists of 24 members of the Institute elected from five regional constituencies and 6 members nominated by the Central Government. The position of the Council and its committees, constituted from September 17, 1984, for a term of one year, is given in Appendix I.

1.2 President and Vice-President

Shri P.N. Shah and Shri A.C. Chakrabortti continued as President and Vice-President respectively until September 16, 1984. Shri A.C. Chakrabortti and Shri P.A. Nair were elected as President and Vice-President respectively for a term of one year with effect from September 17, 1984.

1.1 Council Meetings

During the year 1984-85, the Council held four meeting—109th on April 10, 11 & 12, 1984; 110th on July 18, 19, 20 & 21, 1984, 111th on September 14, 15 & 16, 1984 and 112th on December 20, 21 & 22, 1984.

2. INTERNATIONAL RELATIONS

2.1 International Federation of Accountants

(a) The Institute continues to be a member of the International Federation of Accountants (IFAC) and India continues as an elected member of the IFAC Council as well as that of the International Auditing Practices Committee, the Education Committee and the Financial and Management Accounting Committee.

(b) Shri B. L. Kabra (past President of the Institute) continues to represent India on the Council of the IFAC.

(c) Shri Y.H. Malegam (past President of the Institute) continues as the Indian representative on the International Auditing Practices Committee (IAPC) of the IFAC.

(d) Shri Bansi S. Mehta (past President of the Institute) continues to be the Chairman of the Education Committee of the IFAC. Shri Mehta was elected as the Chariman of the Education Committee for a second term in succession.

2.2 The International Accounting Standards Committee (IASC)

Shri P.A. Nair, Vice President of the Institute, has been nominated as a member of the Steering Committee of the IASC formed to formulate a standard on disclosures in financial statemnts of banks.

2.3 Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA)

India continues to be represented on the Executive Committee of the CAPA through our sister Institute, the Institute of Cost & Works Accountants of India.

2.4 The South Asian Federation of Accountants (SASA)

The South Asian Federation of Accountants, a sub-regional body of Accountants in the South Asian Region, was formed in August, 1984 with the object of developing a co-ordinated accountancy profession in this region. The headquarters of SAFA for the current year have been located at New Delhi in the office of the Institute. Shri P.N. Shah, the immediate past President of the Institute, has been elected as the first President and Shri Kamal Gupta, Technical Director of the Institute, is the Secretary of SAFA.

The first formal meeting of the Assembly (Governing Council) of SAFA was held in Karachi, Pakistan on May 13 & 14, 1985 under the Chairmanship of Shri P.N. Shah, Shri A.C. Chakrabortti, President of the Institute, and Shri Kamal Gupta Secretary of SAFA attended this meeting. Ways and means of achieving the objectives of SAFA were worked out at the above meeting.

The above meeting was followed by the first SAFA Seminar hosted by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and the Institute of Cost and Management Accountants of Pakistan. The Seminar was attended by members of accountancy profession from Pakistan.

The first conference under the auspicies of SAFA will be held at Colombo in Sri Lanka in the first week of December, 1985, The theme of the Conference is "Accountancy Profession : Perspectives and Prospects."

Papers on topics of common interest to members of accountancy profession in South Asian Countries will be discussed at this Conference.

SAFA issued its first Newsletter in December, 1984 and the second in August, 1985.

2.5 Asian and Pacific Conference on Accounting Education for Development

A conference on Accounting Education for Development jointly organised by the International Federation of Accountants, the World Bank and the Asian Development Bank was held at Manila, Philippines between November 11-16, 1984. The Conference focussed its attention on the need for raising the levels of accounting and accountability in the context of developing countries and considered

the ways and means of doing the same. About 150 representatives from 40 countries participated in the Conference. Our Institute was represented by five members, led by the President of the Institute.

2.6 11th CAPA Conference

For the 11th CAPA Conference scheduled to be held in Australia in 1986, India has been allotted a paper on "Accountants—their professional and social responsibilities today and tomorrow". Shri Bhashar Banerjee, a member of the Council, has been nominated as the paper-writer on the aforesaid topic.

2.7 ICAI International Seminar

The Institute held an international seminar at Sharjah, UAE, on June 27,28, 1985. The faculty for the Seminar comprised Shri A.C. Chakrabortti Dr. R.C. Vaish, Shri Y.H. Malegam and Shri Kamal Gupta. The Seminar provided a forum for discussing important aspects of accounting, auditing and taxation.

2.8 Responses to International Technical Documents

The Institute continues to respond to various international technical documents.

2.9 Request of Royal Government of Bhutan

On a consideration of the request of the Royal Government of Bhutan that a limited number of graduates from Bhutan be provided facilities for pursuing the chartered accountancy course in India, the Institute has agreed to admit a maximum of six graduates from Bhutan to the course.

3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES

3.1 General

The following paragraphs give a brief review of the professional development activities of the various non-standing committees constituted by the Council of the Institute, during the Council year, i.e., September 17, 1984 to September 16, 1985. The review does not include the activities of the period from April 1, 1984 to September 16, 1984, as they have already been included in the 35th Annual Report submitted last year. It does not also include details of the activities of the Regional Councils and their branches.

3.2 Accounting Standards Board

(a) Since the issuance of the preface to the Statements of Accounting Standards in January, 1977, the Council has issued the following eight definitive Accounting Standards :

(i) Accounting Standard—1 on "Disclosure of Accounting Policies" (AS—1)—November, 1979

(ii) Accounting Standard—2 on "Valuation of Inventories" (AS—2)—June, 1981.

(iii) Accounting Standard—3 on "Charges in Financial Position" (AS—3)—June, 1981.

(iv) Accounting Standard—4 on "Contingencies and Events occurring after the Balance Sheets Date" (AS—4)—November, 1982.

(v) Accounting Standard—5 on "Prior Period and Extraordinary Items and Changes in Accounting Policies" (AS—5)—November, 1982.

(vi) Accounting Standard—6 on "Depreciation Accounting" (AS—6)—November, 1982.

(vii) Accounting Standard—7 on "Accounting for Construction Contracts" (AS—7)—December, 1983.

(viii) Accounting Standard—8 on "Accounting for Research and Development" (AS—8)—January, 1985.

Apart from the above, the Board has also issued a guidance note on "Terms Used in Financial Statements" in September, 1983.

(b) Two draft Accounting Standards, namely "Revenue Recognition (AS—7) and "Accounting for Fixed Assets" (AS—10) submitted by the Board in light of the comments received on the respective Exposure Drafts have been considered by the Council and same are expected to be issued shortly as the definitive Accounting Standards 9 and 10.

(c) *Implementation of Accounting Standards*

The council is anxious to implement a phased programme for introduction of Accounting Standard and for this purpose, various ways and means relevant thereto are under consideration. The matter has also been taken up with the Trade & Industry as well as with the Government.

(d) With a view to help the members in adopting the Accounting Standards in the preparation and presentation of financial statements, two Guidance Notes on "disclosure of Accounting Policies" (AS—1) and "Valuation of Inventories" (AS—2) are being prepared by the Board.

(e) As a measure to give wide publicity about the utility of Accounting Standards, a publicity brochure is being prepared by the board. The brochure gives details about the composition of the Board, its objectives, procedure for developing of Accounting Standards etc.

(f) Standards on the following subjects are under formulation :

(i) Accounting for Taxes on Income.

(ii) Accounting for Retirement Benefits in the Financial Statements of Employers,

(iii) Accounting for the effects of changes in Foreign Exchange Rates,

(iv) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

3.3 Auditing Practices Committee

(a) During the year the committee finalised the following three Statements on Standard Auditing Practices and submitted the same to the Council for its approval. Accordingly, the same have now been issued under the authority of the Council.

(i) Statement on Standard Auditing Practice—1, "Objective and Scope of the Audit of Financial Statements".

(ii) Statement on Standard Auditing Practices—2, "Basic Principles Governing an Audit".

(iii) Statement on Standard Auditing Practices—3, "Documentation".

(b) The committee issued a guidance note on "Audit of Fixed Assets" which supersedes the auditing aspects of Chapter 3 of the existing "Statement on Auditing Practices".

(c) At the request of the Reserve Bank of India, the committee submitted a draft of the questionnaire regarding long form audit reports in the case of audit of head offices and regional offices of banks. Another questionnaire dealing with long form reports in the case of audit of bank branches was also submitted by the committee. These have been finalised by the Reserve Bank. The questionnaire concerning head offices and regional offices has already been implemented in respect of 1984 audits.

(d) At the request of the Indian Banks' Association (IBA), the Committee designed the formats of financial statement and audit report under the IBA scheme of recommending transport operators to member banks. The IBA has decided to publish them for the use of the member banks.

(e) The committee organised a series of meetings with past Presidents and other eminent members of the Institute at the regional centres to discuss the matter of implementation of the pronouncements of the Institute. These meetings proved to be very fruitful.

The Council has considered this matter and decided to caution the members that non-observance of the requirements of Statements of Standard Auditing Practices, Statement on Auditing Practices, Statement on Qualifications in Auditors' Report and Statement on Manufacturing and Other Companies (Auditors' Report) Order, 1975, issued by the Institute would be regarded as a departure from the generally accepted procedure of audit within the meaning of Clause (9) of Part I of the Second Schedule. The members should invite attention to any material departure therefrom in their audit reports in order not to contravene the provisions of the said clause.

(f) The Committee submitted its suggestions, as approved by the council, for the revision of the existing Manufacturing and Other Companies (Auditors' Report) Order, 1975, to the Government for consideration.

(g) The Study Groups of the committee at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi are engaged in developing preliminary drafts of the Statements on Standard Auditing Practices and guidance notes on the basis of the international Auditing Guidelines issued by IAPC, and the existing Statement on Auditing Practices.

(h) A Group of the Committee at New Delhi is engaged in the task of preparing initial responses to various documents issued by the different committees of the IFAC from time to time.

(i) The Committee is developing drafts on the following subjects :

— Study on "Letter to Management by an auditor"

— Revision of the existing Statement on "Responsibility of joint auditors".

— Revision of the existing publication on "Audit of banks".

3.4 Research Committee

(a) *Published Literature*

The following Guidance Note/Guide were published during the year :

(i) Guidance Note on Audit of Accounts of Members of Stocks Exchanges.

(ii) Accountants' Guide to Law of Central Excise.

(b) *Studies in the process of publication* :

(i) Compendium of Guidance Notes (Containing Guidance Notes on Accounting, Auditing, Company law etc. issued by the Institute).

(ii) Trends in Published Accounts (a revised version of existing 'Precedents in published Accounts').

(iii) Accounting and Auditing Technical Guide on Fertiliser Industry.

(iv) Guidelines on Internal Auidt—Construction Industry.

(v) Guidelines on Internal Audit—Sugar Industry.

(c) *Research Studies/Guidance Notes/Guidelines under finalisation of the Council/Committee :*

(i) Study on Use of Finanaical Information for Determination of Sickness in Industry.

(ii) Research Study on Zero base Budgeting.

(iii) Accounting and Auditing Technical Guides on :

(a) Automobile Industry

(b) Drug and Pharmaceutical Industry.

(iv) Research Study on Accounting for Leases.

(v) Study on Insurance Audit—GIC.

(d) *Projects in Progress :*

(i) Statistical Sampling Techniques—An Aid to Audit Practices,

(ii) Guidelines on Internal Audit—Textile Industry.

(iii) Accounting and Auditing Technical Guide—Hotel Industry.

(iv) Impact of the pronouncements of the Institute on the financial statements.

(v) Studies on :

(a) MRTP Act.

(b) Effects of Inflation on Corporate Finance.

(c) Foreign Exchange Regulations Act.

(d) Insurance Audit—LIC.

(e) Internal Audit of Banks.

(f) Audit of Public Trusts.

(g) Hospital Accounting and Management Control Systems.

(h) Accountants' Guide to Law of Customs.

(e) *Existing Publications under Revision :*

(i) Revision of Statement on "Treatment of Retirement Gratuity in Accounts".

(ii) The Payment of Bonus Act 1965—An Accountants' Study.

(iii) Technical Guide for Audit of Educational Institutions.

(iv) Technical Guide for Audit of Cooperative Societies.

(v) Study on Share Valuation.

(vi) Price Fixation in Indian Industries.

(vii) Guidance Note on "Accounting Treatment for Excise Duties".

(f) *Study Group Formed :*

A Study Group at Bombay has been preparing comments on the documents issued by the IASC.

(g) *Shield Panel :*

The Shield Panel of the Institute have adjudged the Annual Report and Accounts of

INDIAN OIL CORPORATION LIMITED

(for the year ended March 31, 1984)

as the best and awarded the Silver Shield to this Corporation.

The Panel also highly commended the Annual Reports and Accounts* of the following companies and awarded the Plaques to

ENGINEERS INDIA LIMITED

(for the year ended March 31, 1984)

HMT LIMITED

(for the year ended March 31, 1984)

*The listing of the companies whose accounts have been highly commended is alphabetical and it does not denote any ranking on the basis of merit.

THE MINERALS AND METALS TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(for the year ended March 31, 1984)

The Panel also considered the Annual Reports and Accounts of Banks and Financial Institutions and awarded the Silver Shields to the following Institutions being the joint winners in this competition :

EXPORT IMPORT BANK OF INDIA

(for the year ended December, 31, 1983)

and

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

(for the year ended June 30, 1983)

The Panel separately considered the Accounts of entities such as Public Trusts, Cooperative Societies, Research and Educational Institutions and adjudged the Annual Reports and Accounts of

THE BOMBAY ELECTRIC SUPPLY AND TRANSPORT UNDERTAKING

(for the year ended March 31, 1984)

as the best among the entries received and awarded the Plaque to it.

3.5 Professional Development Committee

(i) Empanelment procedures and other matters relating to audit of accounts of branches of nationalised banks

At the request of the concerned authorities, the Committee collected information from practising members of the Institute for empanelment as auditors of public sector banks and their branches for the year 1984 in accordance with the guidelines indicated by the aforesaid authorities. The information given by about 8,600 members who submitted their applications for the purpose was computerised and the same was sent to the concerned authorities. Similar information for audit of accounts of branches of

public sector banks for the year 1985 has been collected from the practising members of the Institute and the same is being processed on the computer for preparing a list in accordance with the guidelines indicated by the authorities. The list will be sent to the concerned authorities.

(b) Scale of remuneration to statutory and branch auditors of public sector banks

The study relating to the fixation of remuneration and reimbursement of expenses to statutory and branch auditors of public sector banks was entrusted for a working group set up by the Govt. The working group included a nominee of the Institute. The group submitted its Report in June, 1984. The Govt. has approved the recommendations of the working group with effect from 1984 and appointment of auditors for the year 1984 has been made as per the enhanced remuneration as recommended by the working group.

(c) Audit of Accounts of borrowers enjoying credit limits exceeding Rs. 10 lakhs and designing suitable formats of audit report and accounts to meet the requirements of financial banks.

RBI has accorded its approval to the formats prepared by the Institute and finalised by the Indian Banks Association and has issued a circular suggesting that non-corporate entities enjoying aggregate working capital credit limit of Rs. 10 lakhs or more from the banking system should get their accounts audited by chartered accountants. A guidance note explaining the new requirements of audit of accounts of bank borrowers has been published by the Institute.

(d) Members in Industry

A Committee for Members in Industry has been constituted (i) to consider matters affecting members in service; (ii) to consider ways and means to enhance participation of members in service in the affairs of the Institute, (iii) to provide employment service—both for the benefit of the members seeking employment in Industry and the prospective employers, and (iv) to explore and develop fresh avenues for members in industry. The members of the above Committee are actively associated with various industries. In pursuance of the decision of the Committee, a series of articles is being published in the Journal with a view to provide guidance to members regarding employment opportunities in various sectors of the economy and in foreign countries. The committee has also conducted a survey of members in industry. The survey seeks to find out the distribution of chartered accountants in various industries and the functional areas in which they work.

(e) Continuing Education Programme

Following three Residential Courses were organised by the Committee :

— Residential Course on Internal Audit at Mahabalipuram, Madras from December 20 to 23, 1984.

— Residential Course on Internal Audit at Srinagar from April 18 to 21, 1985

— Residential Course for Members in Industry at Darjeeling from May 9 to 13, 1985.

(f) Seminars on Tax Audit and audit of non-corporate entities.

A sub-committee of the Professional Development Committee organised 88 seminars on Tax Audit and audit of non-corporate entities at headquarters of the Regional Councils, branches and other important cities having 30 or more members. The seminars covered the following subjects :

(i) Audit of Accounts under Section 44AB of the income-tax Act.

(ii) Audit of Accounts of bank borrowers.

(iii) Audit of Accounts of the Members of Stock Exchanges.

The seminars were held during March-May, 1985, and were of one-day duration each. Approximately 10,700 members and students participated in these seminars. Background material covering the aforesaid subjects was prepared for distribution in advance free of charge to the participants attending the seminars.

The faculty for the seminars was drawn from among the past and present members of the Central and Regional Councils. At each seminar two faculty members led the discussion on the above subjects.

20,000 copies of Guidance Note on Tax Audit printed by the Institute were despatched to all Regional Councils and Branches. Considering the demand for this guidance note 7,500 copies were printed again for the sale at various centres. Guidance note on audit of accounts of Stock Brokers has also been published by the Institute.

(g) Internal Audit

A committee on Internal Audit has been constituted to consider matters relating to internal audit work and to streamline the role of chartered accountants as internal auditors.

The fifth All India Conference on Internal Auditing was held at Bombay on September 7-8, 1985. The main objective of the conference was to discuss the various aspects of the internal audit function and to deliberate on the expanding role of the Internal Auditor. Hon'ble Mr. Arif Mohd. Khan, Minister of State for Industry and Company Affairs and Home Affairs inaugurated the conference. There were four technical sessions in the conference to discuss the various aspects of the Internal Auditing through twelve papers.

3 6 Company Law Committee

(a) The Seventeenth All India Seminar on Taxation and Company Law was held jointly by the Taxation and Company Law Committees in New Delhi from April 26 to 28, 1985 [details given in para 3.7 (c)].

(b) A clarificatory note on the issue of 'Revision/ Rectification of accounts after adoption at the annual general meeting was published at page 655 of the February, 1985 issue of the Journal. Accordingly, if a company revised the accounts and placed the same before the auditor, he should *inter-alia* in his report bring out the facts that as per the views of the Institute and those of the Department of Company Affairs rectification of accounts after adoption at the annual general meeting was not permissible.

(c) A note in respect of 'Depreciation on Energy Saving Pollution Controlling Devices' was published in the March, 1985 issue of the Journal clarifying that if any company is facing any hardship by the applicability of revised rates of depreciation under the Income-tax Act, for certain assets, it can apply to the Company Law Board for relaxation under Section 205(1)(c) of the Companies Act, 1956, if the company wants to declare dividend.

(d) A guidance note on 'Accounting of Depreciation consequent to changes in Depreciation Rates' was published at page 439 to 441 of the November, 1984 issue of the journal. Two alternative methods for recomputation of the specified period under Section 205(5) of the Companies Act, 1956 were recommended by the Institute. On this issue, the Department of Company Affairs issued a Circular No. 1/85 dated 10-1-1985. The Council decided to advise the members to follow the methods suggested by the Department of Company Affairs. A note in this behalf was published in the April, 1985 issue of the Journal. However the question whether aforesaid circular needs a revision is still under the consideration of the Government.

Shri Arif Mohammad Khan, Union Minister of State for Industry and Company Affairs is seen browsing through the Institute's memorandum on simplification and rationalisation of the Companies Act while Shri A.C. Chakrabortti, President, Dr. Kamal Gupta, Technical Director and Shri K.L. Chopra, Secretary look on.

(e) A memorandum on 'Simplification of the Companies Act' has been submitted to Hon'ble Shri Arif Mohd. Khan, Union Minister of State for Industry and Company Affairs on July 22, 1985 for their consideration.

(f) A guidance note on 'Auditors Report in Prospectus' has been finalised and will be published shortly.

3.7 Taxation Committee

(a) Under the sponsorship of the Taxation Committee the Calicut Branch organised a one-day seminar on Taxation at Calicut on February 23, 1985.

(b) In association with the Professional Development Committee, Seminars on Tax Audit were organised at various places in the country.

(c) The Seventeenth All India Seminar on Taxation and Company Law organised jointly with the Company Law Committee was held in New Delhi from April 26 to 28, 1985. The Seminar was inaugurated by Shri L.K. Jha, Chairman, Economic Administration Reforms Commission. The six technical sessions were chaired by S/Shri G.A. James, Member, CBDT, Dr. S.M. Dugar, Member, Company Law Board, Rameshwar Thakur, M.P., B.L. Kabra, past President, G. Krishnamurthy, Senior Vice-President, Income-Tax Appellate Tribunal and M.S. Unnayar, Member, Appellate Tribunal for Forfeited Properties, respectively, Shri C.G. Somiah, Secretary, Ministry of Company Affairs, delivered a special address to the delegates. 200 delegates from different parts of the country attended the Seminar. S/Shri M.P. Puri, P.R. Khanna, K.S. Mehta, M.G. Patel, N.K. Poddar and N. Khaitan acted as the rapporteurs of the technical sessions, which discussed 12 technical papers relating to areas such as Corporate Taxation, Corporate disclosure, Simplification of Companies Act, Anti-monopolies legislation, Valuation of assets for tax purposes, Taxation of non-business income, Central Excise and Central Sales Tax Act.

The Eighth Residential Course on Taxation was held at Hotel Fernhill Palace, Ooty, from June 5 to 8, 1985. 41 delegates from different parts of the country attended the Course.

(d) A special sub-committee has been constituted to go through the suggestions made by various Expert Committees appointed by the Government so far to consider the question of Tax Laws and their reforms and also the suggestions made by the Institute from time to time and to prepare a report for submission to the Government outlining the suggestions which could be implemented as part of the proposed new fiscal policy.

(e) The Institute made its contributions to the Committee constituted by the CBDT for the preparation and introduction of new consolidated and simplified return forms for three direct tax laws.

(f) *Publication* :

(i) The Guidance Note on Tax Audit under Section 44 AB of the Income-tax Act was brought out and released to the members soon after the final Notification of the Audit Report forms by the CBDT.

(ii) The Second revised Edition of the Monograph on Compulsory Maintenance of Accounts was brought out.

(g) As usual, Pre-Budget and Post-Budget Memorandum were submitted to the Finance Minister and other authorities.

(h) A note containing suggestions on some of the major issues covered by the Taxation Laws (Amendment) Bill, 1984 was submitted to the Chairman, CBDT, and other relevant authorities.

(i) Other representations submitted during the year:

(i) A representation containing Institute's comments on the draft Income-tax Rules prescribing forms of Audit Report and additional particulars under Section 44AB of the Income-tax Act was submitted to the CBDT soon after the issue of draft rules. The Final Notification issued by the Board has taken into account many of the suggestions made by the Institute.

(ii) A representation was submitted to the CBDT suggesting certain amendments in the relevant provisions of the Fourth Schedule to the Income-tax Act regarding definition of 'beneficiary' under an approved superannuation scheme.

(iii) A representation was made to the Chairman, Central Board of Excise & Customs pointing out the useful role that Chartered Accountants could play by certifying the goods removed under the Self-Removal Procedure scheme and thus helping the Administration in speeding up assessment of excise commodities, and relieving the excise officials of the routine check that they are required to exercise at present.

(v) A memorandum was submitted to the Jha Committee on Change in Financial Year.

(j) A Memorandum on Long Term Fiscal Policy outlining the recommendations of the Institute was submitted to the Finance Minister, the Chairman, Central Board of Direct Taxes and other Government authorities.

(k) The Central Government has notified the Institute for the purposes of sub-clause (iv) of clause (23 C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961, for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88. Efforts are being made to get the benefit of the notification extended to earlier years also.

3.8 Continuing Professional Education Committee

(a) Under the Continuing Education Programme, a number of seminars and courses were organised during the year. For details please see Appendix II.

(b) Examinations of the Management Accountancy Course (Part I) were held in November 1984, and May, 1985. The summarised results of the examinations held in May, 1984 November, 1984 and May 1985 are given in Appendix III.

(c) Examination of the Corporate Management Course was held in May, 1984. No examinations were held in November, 1984 and May, 1985. The summarised result of the examination held in May 1984 is given in Appendix IV.

(d) Amendments in schedules 'C'&'D' relating to Management Accountancy Course and Corporate Management Course respectively and new Schedule 'E' relating to introduction of Post Qualification Course in Tax Management have been approved by the Government Authorities, and Gazette Notifications in respect thereof have been issued. The examinations for the above Post Qualification Courses will be held under the revised/new schedules in November, 1985.

(e) Merit scholarships of Rs. 500 each were granted to 10 candidates for purchase of books under the incentive schemes of the Management Accountancy Course.

(f) Since September, 1984—4 issues of the Management and Economic Quarterly Digest have been brought out. This publication is now being printed and is being subscribed to by about 2,000 members.

(g) The number of candidates registered for practical training under Part II of the Management Accountancy Course during the financial year was 21.

(h) Shri Ashish Kumar Bhattacharyya (M. No. 15414) completed both parts of the Management Accountancy Course.

3.9 Expert Advisory Committee

(a) Since the last report in September, 1984, the Committee received 28 queries, and replied to 18 of them. 10 queries are under consideration.

(b) The "Compendium of Opinions"—Volume IV—containing the opinions of the Committee between September, 1983 and September, 1984 along with a composite subject-wise alphabetical index on the opinions contained in all the earlier three volumes, has been released for sale.

(c) Brief versions of important opinions of the Committee are being published in every issue of The Chartered Accountant for information of all readers.

3.10 Ethical Standards Committee

The Committee is engaged in the task of revising the Code of Conduct and incorporating therein various changes decided upon by the Council, as also the changes arising out of the Statements and Exposure Drafts issued by the Ethics Committee of IFAC. The

Council has considered some of the matters and the following changes have been announced in the Code of Conduct:

(a) Responding to tenders relaxation in the existing restrictions.

On a review of the restrictions imposed through the "Code of Conduct" on the question of responding to tenders, and in consideration of the fact that the organised sector of the economy of preference to avail the various services of chartered accountants on a competitive basis by issuing tenders, it has been decided that while no relaxation should be given in the matter of responding to tenders in the audit field which is exclusive to chartered accountants, in other areas where members have to compete with outsiders, the existing restrictions be relaxed. Furthermore members be permitted to respond to tenders even in audit field outside the country, if permitted under the local laws of outside countries provided the pro- fessional fees are received in such cases in foreign currency.

(b) Self-Regulatory Measure—Ceiling on the fees

The Council has decided to place a ceiling on the gross professional fees which a member in practice or his firm may receive from a particular client or a group of clients, so that his professional independence does not appear to be hampered by undue association with or over dependence on particular client or a group of clients.Accordingly , the following self regulatory measure has been approved by the Council to be observed by the members of the Institute.

"To ensure that a member in full time or part time practice is not over dependent on one or more clients or companies under the same management where his professional independerce was likely to jeopardised, he should as far as possible, take care to see that the professional fees for audit and other service received by the firm in which he is a partner, by him and his partners individually and by the firm or firms in which he or his partner are partners.from one or more clients or companies under the same management does not exceed 40% of the gross annual fees of the firm, firms and partners referred to above. 'Companies under the same management' here would refer to the definition of this expression as provided in Section 370 (I-B) of the Companies Act, 1956.

Provided that no such ceiling of 40% on the gross annual professional fees of a member or the firm would be applicable where such fees do not exceed Rs. 2 lakhs in respect of a member of firm including fees received by the member or firm or other services rendered through the medium of a different firm or firms in which such member of firm may be a partner or proprietor.

Provided further that no such ceiling of 40% on the gross annual professional fees of a member or the firm would beaxplicale in the case of audit of Government companies, public undertakings, nationalised banks public financial institutions or where appointment of auditors are made by the Government."

(c) Accepting Directorship in Companies

More and more companies are appointed chartered accountants as directors on their Boards. The prospectus or public announcemets issued by. these companies often publish descriptions about the expertise, specialisation and knowledge of the chartered accountants in particular fields or appellations or adjectives to their names which might contravene the provisions of clauses (6) & (7) of Part I of the First Schedule to C.A. Act. The members should therefore draw specific attention of the management of companies appointing them as Directors, to the ethical requirements of the profession and ensure that the material for publication in the prospectus or public announcements is first approved by them. A detailed guidance note on this subject is given at Appendix V.

3.11 **University Liaison Committee**

Three Seminars were organised during the year. The first one was held at Jodhpur on February 16 and 17, 1985 in collaboration with the Jodhpur University. The key note address at the seminar was delivered by the President, Shri A. C. Chakraborti. The second seminar was held at Bagalore on March 23 and 24, 1985 in collaboration with the University of Bangalore. The key note address at this seminar was delivered by the Vice-President, Shri P.A. Nair. At both the seminars the main theme of discussion was professionalising commerce education Another seminar was held at Calcutta on April 27, 1985 at which the key note address was delivered by the President of the Institute.

(b) Endowments

An endowment of Rs. 5,000 has been made to the Jodhpur University for award of a prize in the name of the Institute of Chartered Accountants of India to a student who secures the highest marks in accountancy paper at B.Com. (Hons), B.Com.(Pass) course of the University. Another endowment of Rs. 10,000 has been given to the Bangalore University for the award of a gold medal in the name of the Institute. In this endowment a sum of Rs. 5000 was collected by local Chartered Accountants. Further endowments of Rs 5 000 each have been disbursed to the Ravi Shankar University, Raipur, Punjab University, Chandigarh and North Bengal University, Darjeeling. An endowment of Rs 5,000

has been offered to the S.N.D.T. Women's University, Bombay and the amounts would be released after completion of the necessary formalities. An endowment of Rs. 10,000 has been granted to Osmania University, Hyderabad, out of which a sum of Rs. 5,000 will be donated by the local Chartered Accountants.

(c) Popularisation of the C.A. Course

Talks were delivered by Shri A.K. Majumdar and Shri M.G. Patel at Delhi University and Gujarat University respectively. The purpose was to familiarise the students with the career prospects in the C.A. course. The brochure entitled "Profile of a Profession" is being revised and updated in the light of recent changes in the Syllabi of C.A. Course, rules of admission etc.

(d) Model Syllabus

A model syllabus for the B.Com. Course covering all the core subjects has been finalised by the Committee.

(e) Liaison with U.G.C. and the Association of Indian Universities.

The Committee is trying to establish better liaison with both these bodies. Recently, the President of the Institute has been included in the panel on Technical Education and Research of the U.G.C.

3.12 Committee for Dealing with Cases of Unjustified Removal of Auditors

During the year, the Committee received 11 cases of unjustified removal from auditorship. Out of these 11 cases, 6 cases related to removal from auditorship of companies and 5 cases related to Banks, a Government Department Trust and a Society. These cases were dealt with by the Committee in the light of the procedure settled by the Council for functioning of the Committee.

3.13 Editorial Board

A number of steps were taken for improving the quality, contents and get-up of the Journal.

4. OTHER MATTERS

4.1 Death of Smt. Indira Gandhi

Reference needs to be made to the said and tragic assassination of the Prime Minister of India, Smt. Indira Gandhi on October 31, 1984. The President accompanied by the Vice President and the Secretary visited the Teen Murti House on November 2, 1984. Where the Prime Minister's body lay in State and placed a wreath on behalf of the Institute and the profession of chartered accountants. A condolence meeting was held in the Institute on November 7, 1984 which was attended by the President, the Vice-President, past Presidents, Members of the Council, Members of the Northern India Regional Council and a large number of members, staff and students of the Institute. When the Council met next after the assassination, before the business of the meeting was taken up, the members of the Council paid homage to the departed soul, observed silence for two minutes and passed the following Resolution which was forwarded to Shri Rajiv Gandhi:

> "The Council of the Institute of Chartered Accountants of India is deeply shocked and grieved over the assassination of the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi on October 31, 1984 at New Delhi.
>
> Smt. Gandhi was, no doubt, a beloved national leader of the entire country but she was also heard and respected all over the world. Her contribution towards the advancement of the down-trodden in the country and taking the Nation towards prosperity has been immense. Smt. Gandhi stood for national integration, secularism and socialism and above all for improving the lot of down-trodden and the less fortunate people of the world. For India it is a tragedy beyond tears. The void left by her would be difficult to fill.
>
> In this hour of national crisis, the Council resolves to tread the path shown by Smt. Gandhi by maintaining peace, national unity and greater effort fortaking the country forward on the path of prosperity.
>
> The Council sends its sincere condolences to Shri Rajiv Gandhi and other members of the bereaved family with the prayer that God Almighty may give them strength to bear this irrepairable loss.
>
> The Council further pledges its whole-hearted cooperation and support to the new Prime Minister in his efforts to meet the country's goals and objectives.
>
> The Council also prays that the departed soul may rest in peace in heaven.

4.2 Hindi and other Regional Languages as Alternate Media for the Examinations of the Institute.

As has been mentioned in the earlier reports, the Council has accepted the introduction of Hindi as an alternate medium for the Institute's examinations. The students of the Entrance Examination are permitted to write their answers in Hindi since June 1984 examination. The question papers for the Entrance

Examination held in June, 1985 were printed in English and Hindi and this practice will be continued in future. Further, the tudents for the Intermediate and Final examinations would be allowed, in a phased manner, to answer their papers in Hindi.

The Council has appointed a "Regional Languages Committee" for considering the feasibility of introducing regional languages also as alternate media for the Institute's examinations. This Committee has issued questionnaires to the past Presidents and Council members of the Institute, Regional Councils and their branches, universities and the students, for eliciting their opinion on the subject. The Committee has since completed the assignment and submitted its report to the Council.

4.3 Construction of Building at Vishwas Nagar, Delhi

The Institute has been allotted a plot of land by the Delhi Development Authority in the Institutional Area in Vishwas Nagar near Shahdara, Delhi for NIRC office and other educational activities. The physical possession of the plot was obtained and the foundation-stone for the building was laid on July 11, 1985 by Hon'ble Shri Veerendra Patil, Union Minister for Industry and Company Affairs. Efforts are being made to get some additional land, allotted in the vicinity of the plot in Vishwas Nagar. Detailed building plans are being drawn up and the construction work would soon be started. It is proposed to locate the following facilities in the proposed building.

1. National Academy of Accounting
2. NIRC Office
3. NICASA Office
4. Reading Rooms, Lecture Rooms for members and students
5. Northern Decentralised Office.

4.4 Committee on Public Relations

(a) The Committee on Public Relations undertook several programmes to promote a wider understanding of the functions of the Institute and project a better image of the profession.

(b) An extract of the 35th Annual Report for the year ended March 31, 1984 was published in several leading newspapers.

(c) The publication of ICAI newsletter after every Council meeting was continued. It is distributed among members of Parliament, Chambers of Commerce, Universities and various Government departments to help in forming informed opinion about the policies framed by the Council which serve public interest. Eight issues have been published far so.

(d) The publication "The Chartered Accountant and the Society" meant for distribution among the public has been revised and reprinted in English. Publication of the revised script in other languages has been taken up.

(e) Rejoinders were issued from time to time in daily newspapers to correct wrong impressions or to clarify policy issues, whenever called for.

(f) Press conferences were held by the President to project the viewpoint of the Institute on the Tax Audit provisions and other new areas of professional work. These were well attended and the views of the Institue were carried by leading newspapers. A Press Note explaining the advantages of Tax Audit was also issued.

(g) Visits of the President and Vice-President to various regional councils and branches were covered by the local press.

(h) Institute's views on matters concerning profession and matters of general importance were explained through press statements from time to time

4.5 Change in the Chartered Accountants Regulations

(a) During the year, the following major changes were made in the C.A. Regulations with the approval of Government:

(i) Entry requirements and syllabi of C.A. Course;

(ii) regulations pertaining the elections to the Central and Regional Councils, and

(iii) revision in the syllabi of Post-Graduate Courses referred to in Schedules 'C' & 'D' as also the introduction of a new Post-Graduate Course in Tax Management under Schedule 'E' to the C.A. Regulations.

(b) The codified regulations intended to simplify and rationalise the present C.A. Regulations, remove anomalies and inconsistencies and to minimise procedural delays are awaiting approval of the Government. Efforts are being made to secure early approval.

4.6 National Academy of Accounting

The Council has accepted, in principle, the recommendation of the Board of Studies to establish the National Academy of Accounting, and has decided to name it after the First President of the Institute, Late Shri G.P. Kapadia. The aims and objectives of the Academy, as approved by the Board, are as under:

(1) To serve as a seat of higher learning and research in Accounting, Finance, Taxation, Auditing and allied disciplines.

(2) To impart education on the basis of participative mode of learning, development of

articulation and communication skills, harnessing inter-disciplinary attitude to problem solving and exposing to wider but relevant horizons of knowledge.

(3) To cater to the needs of the developing countries in the area of accounting education.

(4) Generally to upgrade the level of accounting education in the country.

The Academy will come up on the land located at Vishwas Nagar, in trans-Yamuna area in New Delhi where the Institute has been allotted some land. On July 11, 1985 the foundation-stone of the G.P. Kapadia National Academy of Accounting has been laid by the Hon'ble Union Minister for Industry and Company Affairs, at the above site.

The Board also constituted a sub-committee consisting of Shri K.G. Somani, Shri T.S. Vishwanath, Dr. Kamal Gupta, Technical Director and Shri A.K. Majumdar, Director of Studies. Later on three faculty members, Dr. D.C. Sanchcti, Dr. N.L. Dhameja and Dr. N.K. Agrawal, were also included in the sub-committee. The sub-committee was entrusted with the work of preparing a blue-print for the Academy at the earliest possible time so that the Academy could be established on a time bound programme. The sub-committee has prepared the blueprint and the same is under consideration of the Council.

The sub-committee has estimated that the Academy may require a built up area of about 22,000 sq. ft. In terms of the scheme prepared by the sub-committee, an initial capital outlay of Rs. 90 lakhs may be required to set up the G.P. Kapadia National Academy of Accounting. The capital outlay is planned to be met by partly raisin contribution from the members and patrly by applying Institute's funds

4.7 Computer Training for Members/Students

In order to provide training to the members and students in computer applications in accounting auditing and business decision making, the Council has approved a proposal to open comupter centres in selected metropolitan cities. To begin with these centres would be opened at four regional headquarters of the Institute. The necessary details in this regard are being finalised.

4.8 Annual Meeting of the Council

The 35th annual meeting of the Council was held on September 15, 1984 at New Delhi under the chairmanship of Shri P.N. Shah, the then President of the Institute. Shri T.N. Chaturvedi, Comptroller & Auditor General of India, was the Chief Guest at the function. He presented shields and plaques to the companies and financial institutions which had won the awards for their entries in the contest for best presented accounts. Prizes and medals were also given to the meritorious students in the examinations of the Institute.

4.9 Library

During the year 557 books were added to the Central Council Library at New Delhi bringing the total number of books to 19850. Increasing use of the library was made by members and students.

4.10 Representation on Outside Bodies

The Institute continues to be represented on several outside bodies through its representatives. Appendix VI gives details of such representation.

4.11 Members in Important Positions in Different Walks of Life

Members of the Institute, on account of their high degree of expertise and knowledge in the field of accounting and finance, have come to occupy very important positions in different walks of public life including legislative bodies, public financial institutions, nationalised and other banks, educational institutions and local authorities.

4.12 Meetings of the President and the Vice-President with Important Dignaries and Visits to the Branches.

The President and the Vice-President met various dignitaries, Central ministers and officials of the Government Departments during the year under report. They also met Vice-Chancellors of several universities, presidents of chambers of commerce, members of the Income-tax Appellate Tribunals, authorities of Reserve Bank etc. A special mention may be made here of the meetings held with the Finance Minister, the Minister of State for Industry and Company Affairs and the Secretary of the Company Law Board. During the meeting with the Minister for Company Affairs, the need for simplifying the Companies Act and rationalising the rules framed thereunder was emphasised by the Hon'ble Minister. The Institute constituted a small committee to examine this matter in depth and recommendations were submitted to the Government. The President and the Vice-President visited all the Regional Councils and a large number of branches of the Regional Councils and discussed matters concerning the development of professional opportunities and educational facilities for the members and students.

4.13 Chartered Accountants National Relief Fund

The "Chartered Accountants National Relief Fund" has been registered as a public trust and has

also been granted tax exemption certificate under Section 80G of the Income Tax Act, 1961. Thus, the donations made to the Fund will be exempted in the hands of the donors for Income tax purposes The monies collected from the members will be used 'inter alia' for (i) providing relief to human beings during times of national calamities; (ii) making; donations to societies or institutions engaged in relief work; and (iii) making donations to the National Defence Fund, the Prime Minister's Relief Fund and any other funds established by the Central Government or any other Government for the purposes of providing relief to human beings or rehabilitating them in times of famine, floods, cyclone or other calamities. The members are requested to please send their contributions to this trust set up for a noble cause.

4.14 Chatered Accountants Benevolent Fund

The membership of the Fund has increased from 2050 as at 31-3-1984 to 2112 as at 31-3-1985. A sum of Rs. 59,100 was disbursed during the year to members in distress or the families of the deceased members. The balance to the credit of the Fund at March 31, 1985 was Rs. 2,17,471.18 as against Rs. 1,95,006 as at March 31, 1984.

4.15 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The membership of the Fund is 145 as at March 31, 1985. An amount of Rs. 3,000 was disbursed during the year by way of scholarships to students. The balance to the credit of the Fund was Rs. 59,594.90 as at March 31, 1985.

4.16 Elections to the Council and the Regional Councils

The elections to the 13th Council and the 12th Regional Councils of the Institute were held in August, 1985. The names of the members elected to the Central Council and the Regional Councils have been notified in the Gazette of India and have also been published in the Journal *The Chartered Accountant* For facility of references these names are given in Appendix VII.

5. MEMBERS

5.1 Membership

3773 new members were enrolled during the year bringing the figure of membership as on 31-3-1985 to 36418. During the year, 1145 Associates were admitted as Fellows as compared to 1995 Fellows admitted in the previous year. Appendix VIII gives the details of the classification of membership.

5.2 Disciplinary Action

The number of "complaints" and "information" cases dealt with under Section 21 is given below:

No. of cases placed before the Council during the year	75
No. of cases referred to Disciplinary Committee for enquiry during the year	41
No. of reports finalised by the Disciplinary Committee during the year	36

The Bombay High Court inter alia, had observed in a writ petition filed before it that before considering the report of the Disciplinary Committee, the Council should give an opportunity of being heard to the Respondent as to why the report of the Committee should not be accepted. The Institute preferred an Appeal to the Supreme Court which is pending. The Council decided to postpone consideration of the reports of the Disciplinary Committee pending decision of the Supreme Court in the above Appeal. For this reason, 87 reports of Disciplinary Committee were pending for consideration of the Council as on 31-3-1985.

Brief details about disciplinary matters where action under Section 21 (6) of the Chartered Accountants Act has been taken, since the last report, are given in Appendix IX.

5.3 Deceased Members

(a) The Council records with deep regret the sad demise of Shri A.B. Tandan, a former President of the Institute on May 3, 1985.

(b) The Council also records with deep regret the demise, during the year, of the members whose names are listed in Appendix X.

6. ARTICLED AND AUDIT CLERKS

6.1 Registration

The following is the figure of articled and audit clerks registered during the year ending March 31, 1985 with the corresponding figure for the previous year.

Articled & Audit Clerks	1983-84	1984-85
	8,710	9,256

6.2 Employment Assistance to Articled/Audit Clerks

Employment assistance service is continued to be provided to all students who have completed their period of articled/audit service and have also passed the Intermediate Examination of the Institute. For this purpose, an Employment Register is being maintained by the decentralised offices at each of the regional centres at Bombay, Madras, Calcutta, Kanpur and New Delhi. Students desirous of

availing of the above facility and fulfilling the requirements can contract personally or write to the concerned Assistant Secretary of the Institute for the form of particulars to be submitted to the Institute.

6.3 Board of Studies

(a) The number of students enrolled during the year ended March 31, 1985 and March 31, 1984 are as under:

Course	1984-85	1983-84
Intermediate	9289	8660
Final	3513	3099

The total number of students on the rolls as at March 31, 1985 was 40,052 as against 37,983 as at March 31, 1984. The details of such enrolments are given in Appendix XI.

(b) Revision classes for the Intermediate and Final Course students were as usual, conducted at the regional and other important centres.

(c) During the year ended March 31, 1985, the following scholarships have been granted :

(i) Merit Scholarships:

@ Rs. 75 p.m. to 10 students for a maximum of 18 months.

@ Rs. 75 p.m. to 4 students for a maximum of 12 months.

(ii) Need-based Scholarships @ Rs. 50 p.m. to 84 students for a maximum period of 30 months.

(iii) Partial Freeship viz., waiver of the second instalment of tuition fee to 73 students.

(d) Though the Board is not providing any correspondence course for the students of Entrance Examination, it has prepared study material for the benefit of students. The complete set of this material is priced at Rs. 100. This material is popular among the students.

(e) The Board of Studies continued to make regular contribution to the Journal by giving digest of Income-tax and Company cases and current readings.

(f) The Board conducted the first in-house training in Accountancy and allied subjects for the staff of the Institute.

(g) The Sixth All India CA Students' Conference was held on March 2 and 3, 1985 in Delhi. There were four technical sessions of special lectures, besides the inaugural session. About 300 students from all over the country participated in the conference. The conference was inaugurated by Hon'ble Mr. Justice E.S. Venkataramiah, Judge, Supreme Court of India. Shri A.C. Chakrabortti, President of the Institute, presided over the function.

The theme of the Conference 'Emerging Role of Accounting Profession' was expounded at the four technical sessions spread over two days through the following topics:

(1) A Study of Accounting Standards issued by the Institute.

(2) Management Accounting—A Tool for Planning & Control.

(3) Audit of Computerised Accounts.

(4) Internal Audit.

(5) Inadmissible Deductions in Business Income.

(6) Tax Incentives for (i) Companies (ii) Non-Resident Indians.

(7) Role of Training in Career Development of Students.

(8) A Review of Educational Scheme of the Institute.

(7) Academy of Accounting—Its usefulness.

7. EXAMINATIONS

7.1 The Entrance Examination was held in June, 1984 and December, 1984/January, 1985 at various centres in the country. The Chartered Accountants Intermediate and Final Examinations for both the syllabi (Old and New) were held as usual in May and November, 1984 at various centres all over India. The statistics relating to the number of candidates who appeared and who were declared successful in the said examinations are given in Appendix XII.

The Council is happy to report that for the first time in the history of the Institute a lady candidate Miss Nandita Shah from Bombay secured the first position in November 19 3 Final Examination. This performance was repeated by another lady candidate Miss C.V. Sakuntala from Bangalore who secured the first position in the Final Examination held in May 1984. Both these candidates were duly honoured by the award of prizes and also blessed by the then Hon'ble Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, at a special function held at her residence on September 18, 1984.

7.2 Prizes and Certificates of Merit

The names of candidates who were awarded prizes and certificates of merit in the examinations held in May and November, 1984 are given in Appendix XIII.

7.3 Action Against Examinees

Seven candidates who were found to have resorted to or attempted to resort to unfair means were debarred from appearing in the examinations for varying periods.

7.4 Final Examination under Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations 1964

As per decision taken earlier by the Council, no Final examination under Schedule 'B' to the C.A. Regulations, 1964, was to be held after examination in May 1985. The council has now decided to extend the holding of the said examination for two more terms namely Nov. 1985 and May 1986. Students who are not able to complete the examination under the old syllabus by May 1986 would be allowed to clear the remaining papers under the new syllabus of the Final Examination. Details with regard to the exemptions from corresponding papers of the Final (New Syllabus) Examination will be notified in due course.

7.5 Entrance Examination—Question Papers also to be provided in Hindi

Commencing from the Entrance Examination to be held in June, 1985, arrangement has been made to provide question papers in English and Hindi.

8. REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES OF REGIONAL COUNCILS

8.1 The Council has decided that for the sake of uniformity and administrative convenience, the elections to the Managing Committees of the Branches of Regional Councils should be held every three years in the year in which the elections to the Council and Regional Councils are held. Necessary amendments to the directions of the Council in this regard have been made and the above constituents were advised to hold their annual general meetings between July 1 and 31, 1985 and to elect members of their new Managing Committees. As a result of these changes, the term of the existing Managing Committees would end on September 15, 1985 and the new committees would take charge of their offices with effect from September 16, 1985 so as to be co-terminus with the life of the Regional Councils.

8.2 Buildings for Branches of Regional Councils

With a view to giving impetus to the activities of the branches of regional councils, the Council has decided to encourage them to have buildings of their own. The Council has formulated a scheme under which the branches may collect donations for the acquisition/construction of flats/buildings and the Council will give them a matching grant for this purpose, subject to certain limits. Under this scheme, a proposal for construction of a building at Cochin for the Ernakulam branch of Southern India Regional Council has already been approved. This building will be constructed on a plot of land belonging to the Kerala C.A. Society which has very graciously agreed to transfer the land in the name of the Institute by way of lease in perpetuity. The Council places on record its appreciation for the kind gesture of Kerala C.A. Society in transferring the land in the name of the Institute.

8.3 Rotating Shield for the Best Branch of the Regional Council

In its effort to activate the branches of Regional Councils and to ensure greater involvement of members of the branches in the affairs of the profession, the Institute has set up certain norms for minimum performance of the branches of Regional Councils. under this scheme, the branches are required to submit quarterly reports of their activities/performance. A Rotating Shield would be awarded annually to the branch which is adjudged to be the best during that year on the basis of their performance and activities undertaken. This shield has been awarded to the Coimbatore branch of S.I.R.C. for the year 1984-85, and this award would be presented at the annual function in September 1985.

8.4 Regional Council/Branches

The addresses of the Regional Councils, the branches of the Regional Councils and the Chapters of the Institute outside India are given in Appendix XIV.

9. FINANCE

The balance-sheet as at March 31, 1985 and the income expenditure & account for the year ended on that date have been approved by the Council. The income and expenditure account shows a surplus of Rs. 37.65 lakhs as against the surplus of Rs. 41.27 lakhs in the preceeding year.

10. APPRECIATION

(a) The Council is grateful to all members of the Institute who functioned as co-opted members of the Institute's committees and non-members who assisted the Council during the year in the conduct of its educational and technical activities and in its examinations.

(b) The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support of the Government and its nominees on the Council, throughout the year.

(c) The Council would also like to acknowledge its appreciation of the sincere and devoted efforts put in throughout the year, by all the officers and staff of the Institute.

R.L. Chopra **P.A. Nair** **A.C. Chakrabortti**

Secretary Vice-President President

New Delhi:

Dated : September 16, 1985

APPENDICES TO THE ANNUAL REPORT

APPENDIX I

(Ref Para 1 1 of the Report)

MEMBERS OF THE COUNCIL—1984-85

Balakrishnan, R	Madras
Banerjee, Bhaskar	Calcutta
Bansal, S K	New Delhi
Chakrabortti, A C	Calcutta
Chawla, Brij Lal	New Delhi
Chhajed, S P	Bombay
Darak, V C	Bombay
*Dugar S M (Dr)	New Delhi
Ghiya R C	Jaipur
*Hoshing, V R	Bombay
Jain, I C	Bombay
*James, G A (From 1-4 1984)	New Delhi
Kale, Y M	Bombay
Khanna M M	New Delhi
Kumbhat, Ashok	Madras
Nair, P A	Bombay
Nandagopal, S	Madras
Narayanaswamy, G	Madras
Patel, Manubhai G	Ahmedabad
Poddar, N K	Calcutta
*Prem Kumar, M (Upto 31-3-1985)	New Delhi
*Row K N (From 1-4-85)	New Delhi
Roy Chowdhury, A	Calcutta
Sampath Kumaran, P T	Madras
Sarda, N P	Bombay
Shah, P N	Bombay
*Singhi, M L (Upto 16 9-1984)	Calcutta
*Sinha, I B (Dr)	Lucknow
Somani, K G	New Delhi
Suresh Babu, D L	Bangalore
*Suri, R C (Upto 30-4-1984)	New Delhi
*Unninayar, M S (Upto 31 3-1984)	New Delhi
Vaish, R C (Dr)	Kanpur

*Nominated by Central Government

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA—LIST OF COMMITTEES FOR 1984-85

A. STANDING COMMITTEES

Executive Committee

Shri A C Chakrabortti, President	(Calcutta)
Shri P A Nair, Vice-President	(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee	(Calcutta)
Shri S K Bansal	(New Delhi)
Shri P T Sampath Kumaran	(Madras)
Shri R L Chopra (Secretary to the Committee)	

Examination Committee

Shri A C Chakrabortti, President	(Calcutta)
Shri P A Nair, Vice-President	(Bombay)
Shri R Balakrishnan	(Madras)
Dr J B Sinha	(Lucknow)
Shri K G Somani	(New Delhi)
Shri K Kalyanaraman (Secretary to the Committee)	

Disciplinary Committee

Shri A C Chakrabortti, President	(Calcutta)
Shri P A Nair, Vice President	(Bombay)
Dr S M Dugar	(New Delhi)
Shri S Nandagopal	(Madras)
Dr R C Vaish	(Kanpur)
Shri G D Khurana (Secretary to the Committee)	

B. NON-STANDING COMMITTEES

Research Committee

Shri M M Khanna Chairman		(New Delhi)
Shri Y M Kale, Vice Chairman		(Bombay)
Shri A C Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P A Nair Vice President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee		(Calcutta)
Shri P N Shah		(Bombay)
Shri P J M Panikar		(Bombay)
Shri Y H Malegam	Co-opted	(Bombay)
Shri Uday Khanna	Co-opted	(Bombay)
Shri K Ganesan	Co-opted	(Calcutta)
Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee)		

Auditing Practices Committee

Shri Y M Kale, Chairman		(Bombay)
Shri A C Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P A Nair, Vice President		(Ex officio)
Shri Bhaskar Banerjee		(Calcutta)
Shri M M Khanna		(New Delhi)
Shri K N Row		(New Delhi)
Shri P R Khanna	Co-opted	(New Delhi)
Shri Y H Malegam	Co-opted	(Bombay)
Shri Samir Ghosh	Co-opted	(Calcutta)
Shri N J Ratnagar		(Madras)
Shri Kamal Gupta (Secretary to the Committee)		

Continuing Professional Educational Committee

Shri N K Poddar, Chairman		(Calcutta)
Shri D L Suresh Babu, Vice-Chairman		(Bangalore)
Shri A C Chakrabortti, President (Ex officio)		(Calcutta)
Shri P A Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri R C Ghiya		(Jaipur)
Shri M G Patel		(Ahmedabad)
Dr R C Vaish		(Kanpur)
Shri S Bhattacharyaya	Co opted	(Calcutta)
Shri H M Damania	Co opted	(Bombay)
Dr N L Dhameja (Secretary to the Committee)		

Accounting Standards Board

Shri N P Sarda, Chairman		(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee, Vice Chairman		(Calcutta)
Shri A C Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P A Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Dr S M Dugar		(New Delhi)
Shri G A James		(New Delhi)
Shri K N Row		(New Delhi)
Shri P N Shah		(Bombay)
Shri P J M Panikar		(Bombay)
Shri B L Chawla		(New Delhi)
Shri S Nandagopal		(Madras)
Shri P M Nanicivala	Co-opted	(Calcutta)
Shri Mahendra A Parikh	Co-opted	(Bombay)
Shri A Ganguli	Co-opted	(New Delhi)
Shri Joseph Kurian	Co-opted	(Madras)
Shri R S Lodha	Co-opted	(Calcutta)
Shri Kamal Gupta (Secretary to the Committee)		

Professional Development Committee

Shri P N Shah, Chairman		(Bombay)
Shri N K Poddar, Vice-Chairman		(Calcutta)
Shri A C Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P A Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri I C Jain		(Bombay)
Shri V R Hoshing		(Bombay)
Shri G. Narayanaswamy		(Madras)
Shri K N Row		(New Delhi)
Shri R N Bansal	Co-opted	(New Delhi)
Shri A K Chakraborty	Co-opted	(Calcutta)
Dr. N L. Dhameja (Secretary to the Committee)		

Board of Studies

Shri A. Roy Chowdhury, Chairman		(Calcutta)
Shri V.C. Darak, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri A.C. Chakraborti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri R. Balakrishnan		(Madras)
Shri N.P. Sarda		(Bombay)
Shri K.G. Somani		(New Delhi)
Shri T.S. Vishwanath	Co-opted	(New Delhi)
Shri K C. Mehta	Co-opted	(Baroda)

Shri A.K. Majumdar (Secretary to the Board)

Taxation Committee

Shri G. Narayanaswamy, Chairman		(Madras)
Shri M.G. Patel, Vice-Chairman		(Ahmedabad)
Shri A.C. Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri S.K. Bansal		(New Delhi)
Shri G.A. James		(New Delhi)
Shri N.K. Poddar		(Calcutta)
Shri A.H. Dalal	Co-opted	(Bombay)
Shri G.V. Raman	Co-opted	(Madras)

Shri C.R.T. Verma (Secretary to the Committee)

Company Law Committee

Shri I.C. Jain, Chairman		(Bombay)
Shri D.L. Suresh Babu, Vice-Chairman		(Bangalore)
Shri A.C. Chakrabortti, President (Ex-officio)		(Calcutta)
Shri B.L. Chawla		(New Delhi)
Dr. S.M. Dugar		(New Delhi)
Shri S. Nandagopal		(Madras)
Shri S.C. Bafna	Co-opted	(New Delhi)
Shri N.T. Dalal	Co-opted	(Bombay)

Shri S.K. Chakravertty (Secretary to the Committee)

International Affairs Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri M.M. Khanna		(New Delhi)
Shri Ashok Kumbhat		(Madras)
Shri N.K. Poddar		(Calcutta)
Shri P.N. Shah		(Bombay)
Shri B.L. Kabra	Co-opted	(Bombay)
Shri Bansi Mehta	Co-opted	(Bombay)
Shri Y.H. Malegam	Co-opted	(Bombay)

Shri Kamal Gupta (Secretary to the Committee)

Expert Advisory Committee

Shri B.L. Chawla Chairman		(New Delhi)
Shri M.M. Khanna, Vice-Chairman		(New Delhi)
Shri P.A Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri S.K. Bansal		(New Delhi)
Shri A. Roy Chowdhury		(Calcutta)
Shri K.G. Somani		(New Delhi)
Shri S. Kumar	Co-opted	(Bombay)
Shri S.C. Vasudeva	Co-opted	New Delhi))

Shri Avinash Chander (Secretary to the Committee)

University Liaison Committee

Shri S.P. Chhajed, Chairman		(Bombay)
Shri R.C. Ghiya, Vice-Chairman		(Jaipur)
Shri P.A. Nair, Vice-President (Ex-officio)		(Bombay)
Shri V.C. Darak		(Bombay)
Shri A. Roy Chowdhury		(Calcutta)
Dr. I.B. Sinha		(Lucknow)
Shri P. Mitra	Co-opted	(Calcutta)
Shri P.D. Khanna	Co-opted	(Bombay)

Dr. N.K. Aggrawal (Officiating Secretary to the Committee)

General Purposes Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman	(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman	(Bombay)
Shri Bhaskar Banerjee	(Calcutta)
Shri S.K. Bansal	(New Delhi)
Shri P.T. Sampath Kumaran	(Madras)

Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Ethical Standards Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman	(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman	(Bombay)
Shri S.P. Chhajed	(Bombay)
Dr. S.M. Dugar	(New Delhi)
Shri G. Narayanaswamy	(Madras)
Shri P.T. Sampath Kumaran	(Madras)
Dr. R.C. Vaish	(Kanpur)

Shri G. Banerjee (Secretary to the Committee)

Committee on Public Relations

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri R.C. Ghiya		(Jaipur)
Shri V.R. Hoshing		(Bombay)
Shri Ashok Kumbhat		(Madras)
Shri P.N. Shah	Co-opted	(Bombay)
Shri M.M. Chitale	Co-opted	(Bombay)
Shri P.S. Kumar	Co-opted	(Madras)

Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Committee for Unjustified Removal of Auditors

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman	(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman	(Bombay)
Dr. S. M. Dugar	(New Delhi)

Shri G.D. Khurana (Secretary to the Committee)

Editorial Board

Shri A.C. Chakrabortti, Editor-in-Chief		(Calcutta)
Shri P.A. Nir, Joint Editor		(Bombay)
Shri R. Balakrishnan		(Madras)
Shri V.C. Darak		(Bombay)
Shri P.N. Shah		(Bombay)
Shri K.G. Somani	Co-opted	(New Delhi)
Shri Narayan Varma	Co-opted	(Bombay)
Shri Rusi J. Daruwala	Co-opted	(Bombay)

Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

I.C.A.I.—I.C.W.A.I. Co-ordination Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Leader	(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Deputy Leader	(Bombay)
Shri B.L. Chawla	(New Delhi)
Shri S.P. Chhajed	(Bombay)
Shri Ashok Kumbhat	(Madras)
Shri A. Roy Chowdhury	(Calcutta)

Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

I.C.A.I.—I.C.S.I. Co-ordination Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Leader	(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Deputy Leader	(Bombay)
Shri S.P. Chhajed	(Bombay)
Shri K.G. Somani	(New Delhi)
Dr. R.C. Vaish	(Kanpur)

Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)

Regional Language Committee

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman	(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman	(Bombay)
Shri M.M. Khanna	(New Delhi)

Shri G. Narayanaswamy		(Madras)
Shri M.G. Patel		(Ahmedabad)
Shri P.N. Shah		(Bombay)
Dr. I.B. Sinha		(Lucknow)
Shri D.L. Suresh Babu		(Bangalore)
Shri R.L. Chopra (Secretary to the Committee)		

Committee for Review of Education & Training

Shri A.C. Chakrabortti, Chairman		(Calcutta)
Shri P.A. Nair, Vice-Chairman		(Bombay)
Shri P.N. Shah		(Bombay)
Shri P.J.M. Panikar		(Bombay)
Shri A. Roy Chowdhury		(Calcutta)
Shri Ashok Kumbhat		(Madras)
Shri M.G. Patel		(Ahmedabad)
Shri Bansi S. Mehta	Co-opted	(Bombay)
Shri P.K. Mallik	Co-opted	(Calcutta)
Shri S.K. Agarwal	Co-opted	(New Delhi)
Shri A.K. Majumdar (Secretary to the Committee)		

APPENDIX II

(Ref. Para 3.8(a) of the Report)

DETAILS OF THE SEMINARS/COURSES ORGANISED BY THE C.P.E. COMMITTEE

Sr. No.	Programme	Place	Date
1.	Seminar on "Computer Applications in Accounts and Audit".	Madrs	6th & 7th October 1984.
2.	Programme on "Financial Management and Management Accounting" in collaboration with Department of Personnel and Administrative Reforms, Govt. of India.	New Delhi	15th October 1984 to 3rd Nov. 1984
3.	Seminar on "Financial Management and Taxation".	Poona	18th November, 1984
4.	Joint Professional Programme on "Aspects of Corporate Finance & Law" in collaboration with the Institute of Company Secretaries of India.	Madras 4.	4th & 5th May, 1985
5.	Seminar on "New Dimensions in Mna Management Accounting".	Bangalore	1st & 2nd June, 1985
6.	Seminar on "Computer Applications in Accounts and Audit".	Bombay	10th & 11th August, 1985

APPENDIX III

(Ref. Para 3.8(b) of the Report)

RESULTS OF MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (PART I) EXAMINATION

	May 1984	November 1984	May 1985
Both Groups			
Candidates appeared	15	8	14
Candidates passed	2	1	2
Percentage	13.33	12 5	14.28
Group I			
Candidates appeared	17	21	17
Candidates passed	5	7	2
Percentage	29.41	33.33	11.76
Group II			
Candidates appeared	6	5	8
Candidates passed	6	2	2
Percentage	100	40	25

APPENDIX IV

(Ref. Para 3.8(c) of the Report)

RESULTS OF CORPORATE MANAGEMENT COURSE (PART I/II) EXAMINATION

	May 1983	November 1984	May 1985
Part I			
Candidates appeared	2	No examination was held	
Candidates passed	—		
Percentage	—		
Part II		No examination was held	

APPENDIX V

(Ref. Para 3.10(c) of the Report)

GUIDANCE NOTE FOR MEMBERS HOLDING CERTIFICATE OF PRACTICE ACCEPTING DIRECTORSHIPS IN COMPANIES

The Council's attention has been drawn to the fact that more and more companies are appointing chartered accountants as Directors on their Boards. The prospectus or public announcements issued by those companies often publish descriptions about the chartered accountants' expertise, specialisation and knowledge in any particular field or add appellations or adjectives to their names. Attention of the members in this context is invited to the provisions of Clauses (6) and (7) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, which are reproduced hereunder :

"A Chartered Accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct, if he—

(6) solicits clients or professional work directly or indirectly by circular, advertisement, personal communication or interview or by any other means;

(7) advertises his professional attainments or services, or uses any designation or expression other than chartered accountant on professional docments visiting cards, letter heads or sign boards, unless it be degree of a University established by law in India or recognised by the Central Government or a title indicating membership of the Institute of Chartered Accountants or of any other institution that has been recognised by the Central Government or may be recognised by the Council".

In order that the inclusion of the name of a member of the Institute in the prospectus or public announcements or other public communications issued by the companies in which the member is a Director do not contravene the above noted provisions, it is necessry that the members should take necessary steps to ensure that such prospectus or public announcements

Ref. No. AR-II|37EE|10277|84-85.—Whereas, I, LAXMAN DAS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 100,000|- and bearing Flat No. 602, 6th floor, MINOO MINAR, Veera Desai Road, Andheri (West), Bomabay-58, and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred and the agreement is registered under section 269AB of the Income-tax Act, 1961, in the Office of the Competent Authority at Bombay on 25-8-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said Instrument of Transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or ;

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for acquisition of the aforesaid property by the issue of notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

1. M|s. Minoo Builders (Transferor)
2. Mrs. Shashikala C. Kotwal (Transferee)
3. ———— (Person in occupation of the property)
4. ———— (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Flat No 602, 6th floor, MINOO MINER, Veera Desai Andheri (W), Bombay-58.

The agreement has been registered by the Competent Authority, Bombay under Serial No. AR-II| 37EE|10277|84-85 on 25-8-1984.

Date : 2-4-1985.

SEAL

*Strike off where not applicable.

निर्देश स. आई-2/37/ईई/10281/84-85.—अतः, मुझे, लक्ष्माण दास आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है और जिसकी स फ़्लैट नं. 501 जो , 5 वी मंजिल, "बी" विंग, बो-इमारत अभिषेक अपार्टमेंट, इ. एस. आर. सी. नगर के पीछे 4 बगलोज वर्सोवा बम्बई मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) और जिसका करारनामा आयकर अधिनियम की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजीस्ट्री है तारीख 25/8/1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफ़ल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह्ह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (कों) और अतरिती (यों) के बीच ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तिरती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ·

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण मे मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. मैसर्स ओमप्रकाश एण्ड कपनी। (अन्तरक)
2. श्री किरण रामसे। (अन्तिरती)
3. अन्तरकों। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)

Constituency comprising the States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur, Tripura and Sikkim and the Union Territories of Arunahcal Pradesh, Mizoram and the Andaman & Nicobar Islands

1. Shri Banerjee, Bhaskar
2. Shri Chakraborty, Amal Kumar
3. Shri Das Gupta, Santosh Kumar
4. Shri Poddar, Nirmal Kumar

Constituency comprising the States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan

1. Shri Bhandari, Surendra Singh
2. Dr. Vaish, Ramesh Chandra

Constituency comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab and the Union Territories of Delhi and Chandigarh

1. Shri Agarwal, K.M.
2. Shri Somani, Kishan Gopal
3. Shri Vasudeva, Subhash Chander
4. Shri Vishwanath, T.S.

II. NAMES OF THE MEMBERS WHO HAVE BEEN ELECTED TO VARIOUS REGIONAL COUNCILS OF THE INSTITUTE

WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Gujarat & Maharashtra and the Union Territories of Goa, Daman & Diu & Dadra & Nagar Haveli

1. Shri Agrawal, Omprakash Shivchand
2. Shri Bhide, Vaman Shankar
3. Shri Chandak, Ashok Kumar Kishangopalji
4. Shri Chaturvedi, Madan Mohan
5. Shri Doshi, Prakash Jayantilal
6. Shri Ghadiali, Pankaj Chimanlal
7. Shri Goyal, Govind Prasad
8. Shri Haribhakti, Shailesh Vishnubhai
9. Shri Joshi, Pradeep Dinkar
10. Shri Khare, Ram Ganesh
11. Shri Patchigar, Rupin Rameshchandra
12. Shri Patel, Chandrakant Fulabhai
13. Shri Rathi, Jugalkishor Shrinivasji
14. Shri Sarda, Brij Mohan
15. Shri Shah, Dilip Mahendrabhai
16. Shri Thakkar, Suresh Shantilal
17. Shri Zaware, Shiwaji Bhikaji

SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands)

1. Shri Arjunaraj, A.
2. Shri Balasubramanian, A.
3. Shri Bhat, Mittur Bheema
4. Shri Bhawarlal Nahar, A.
5. Shri Devdas, K.C.
6. Shri Koteswara Rao, S.S.R.
7. Shri Ostawal, Jeevraj
8. Shri Pottokaran, Jose
9. Shri Ramasubramanian, K.N.
10. Shri Ram Kumar , T.P.
11. Shri Santhana Krishnan, P.B.
12. Shri Vijayaraghavan, S.

EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Assam, Meghalaya, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur, Tripura and Sikkim and the Union Territories of Arunachal Pradesh, Mizoram and the Andaman & Nicobar Islands)

1. Shri Bhattacharjee, Arunangshu
2. Shri Chaudhuri, Amitabha Datta
3. Shri Gangopadhyay, Aruniyoti
4. Shri Jain, Kailash Chand
5. Shri Khandelwal, Kashi Prasad
6. Shri Khanna, Rajesh Kumar
7. Shri Roy Choudhury, Sandip Kumar

CENTRAL INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan)

1. Shri Bandi, Sudarshan Kumar
2. Shri Choudhary, Digamber
3. Shri Dhoot, Krishna Kumar
4. Shri Goyal, Sunil
5. Shri Kasera, Rajesh

NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

(The States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir and Punjab and the Union Territories of Delhi and Chandigarh)

1. Shri Chopra, Amarjit
2. Shri Gulati, Sunil Kumar
3. Shri Gupta, N.D.
4. Shri Jain, Nem Chand
5. Shri Khanna, Anil Kumar
6. Shri Manu Chadha
7. Shri Mehra, Vivek
8. Shri Singhvi, Rajendra Singh

APPENDIX VIII

(Ref. Para 5.1 of the Report)

STATISTICS—MEMBERS AS ON 1-4-1985

FELLOWS	In Full time Practice	9,529	
	In Part time Practice	1,429	
	Not in Practice	1,059	12,017
ASSOCIATES	In Full time Practice	9,580	
	In Part time Practice	4,520	
	Not in Practice	10,301	24,401
	Grand Total		36,418

Region	FELLOWS			Total of Col. 2, 3&4	ASSOCIATES			Total of Col. 6, 7 & 8	Grand Total of Col. 5 & 9
	IN PRACTICE		Not in Practice		IN PRACTICE		Not in Practice		
	In Full time Practice	In Part time Practice			In full time Practice	In Part time Practice			
1	2	3	3	5	6	7	8	9	10
I	3,125	616	379	4,120	3,322	2,190	2,960	8,472	12,592
II	2,332	273	228	2,833	2,049	841	3,376	6,266	9,099
III	1,453	199	189	1,841	993	489	1,986	3,468	5,309
IV	0,947	152	72	1,171	980	303	693	1,976	3,147
V	1,672	189	191	2,052	2,236	697	1,286	4,219	6,271
	9,529	1,429	1,059	12,017	9,580	4,580	10,301	24,401	36,418

APPENDIX IX

(ref. Para 5.2 of the Report)

DISCIPLINARY ACTION AGAINST MEMBERS

Failure to Pay Stipend to Articled Clerks in Accordance with Regulation 32B

A member was found guilty of professional misconduct within the meaning of Section 21 of the Chartered Accountants, Act 1949 read with Clause (i) of Part II of the Second Schedule to the said Act for (a) having failed to pay stipend to his articled clerk in accordance with the provisions of Regulations 32B of the Chartered Accountants regulation, 1964 and for (b) having not regulated his working hours as prescribed under Regulation 45 of the above regulations. The Council recommended to the High Court that the Respondent be reprimanded. The High Court partly up held the finding of the Council inasmuch as the Respondent contravened Regulation 32B of the Chartered Accountants Regulations, 1964 and administered a reprimand to the member.

(For full details please see pages 912-915 of May, 1985 issue of "The Chartered Accountant")

APPENDIX X

(Ref. para 5.3 of the Report)

STATEMENT OF REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF MEMBERS DURING 1984-85

A. On Account of Death

Sl. No.	M. No.	Name	Place	Date of Removal
1	2	3	4	5
1.	171	B.C. Abhyankar	Bombay	10-7-84
2.	258	K. Venkatasubbiah Naidu	Madras	4-4-84
3.	313	B. Bakthavatslu Naidu	Madras	21-10-84
4.	370	Sushil Kumar Mukhopadhya	Calcutta	7-3-84
5.	390	B.D. Jokhakar	Bombay	13-2-84
6.	418	K.V. Rajaratnam Chetty	Madras	19-12-84
7.	498	A.S. Thakar	Bombay	1-6-84
8.	624	M.B. Bhatt	Bombay	25-11-84
9.	685	A.K. Ghosh	Calcutta	13-2-84
10.	875	H.K. Shah	Calcutta	17-7-84
11.	966	M.D. Desai	Bombay	26-3-84

1	2	3	4	5
12.	987	A.K. Sambasiva Ayyar	Madras	2-10-84
13.	1035	P.N. Mukarjea	Calcutta	22-10-84
14.	1071	R.D Desai	Bombay	25-7-84
15.	1157	V.M Motta	Bombay	21-4-84
16.	1163	K.D Ray	Calcutta	19-11-84
17.	1344	M.C. Chudawala	Bombay	21-2-84
18.	1415	H.B. Mondal	Calcutta	4-1-85
19.	1486	N.S. Ramanatham	Bangaloro	9-12-84
20.	1611	V.G Dafria	Ratlam	1-7-84
21.	1813	P.K. Krishna Rao	Madras	11-10-84
22.	1916	William Marti	Singapore	1-2-83
23.	1972	T.S Vaidyanatha Iyar	Trichur	17-4-84
24.	2604	N. Sankaran	Tirunelveli	13-11-84
25.	2605	G. Venugopal Kamath	Cochin	17-6-84
26	2990	S.M. Ramanathan	Ipoh (W) Malaysia	5-9-83
27.	3145	V.M. Bastawala	Bombay	26-12-83
28.	3235	C.V. Varkki	Hyderabad	6 8-84
29.	3301	Putchi Venkata Rama Sharma	Secunderabad	13-12-84
30.	3315	Pashupati Nath Jha	Calcutta	13-1-85
31.	3420	M. Balasubramani	Madras	30-12-84
32.	3500	D.S. Nisbat Desai	Hubli	27-5-84
33.	3589	K.T. Jacob	Cochin	12-1-84
34.	4237	C.V. Sharma	Hyderabad	28-5-84
35.	4583	K.V. Seshagiri Rao	Hyderabad	6-9-84
36.	4641	N.C. Roychoudhary	Calcutta	9-3-84
37.	4857	D.R. Thakkar	Bombay	11-11-83
38.	4961	K R. Nagarajan	Quilon	16-7-84
39.	4972	N.K. Hansuka	Jaipur	6-3-84
40.	5000	R.P. Basu	Calcutta	12-10-84
41.	5208	R.P. Banerje	Bombay	12-2-84
42.	5294	M.M. Bharania	Parbabdar	7-11-84
43.	5314	P. Venkata Rao	Bangalore	27-11-84
44.	5557	Dilcep Kumar Das	Calcutta	31-8-83
45.	6133	G.D. Singhvi	Bombay	7-11-84
46.	6934	K.S. Saxena	Faridabad	4-3-84
47.	7376	T.R. Krishnamoorthy	Madras	21-7-84
48.	7407	Vinod Kumar Khandaria	New Delhi	16-3-84
49.	7568	C.D. Amin	Baroda	25-11-84
50.	7761	T.V.G. Srinivasa Rao	Nizamabad	17-10-84
51.	7987	R.J. Jain	Calcutta	1-10-84
52.	8048	B.N. Ghosh	Calcutta	3-9-84
53.	13364	K.L. Basu	Calcutta	11-1-84
54.	14232	Narinder Kumar Sabharwal	New Delhi	21-10-84
55.	14582	R.L. Kabra	Mandsaur	19-10-84
56.	15038	V.G. Shanbhogue	Panaji Goa	5-9-84
57.	15224	D.R. Bohra	Jaipur	29-4-84
58.	17130	C.S Thakur	Pune	26-8-84
59.	20083	Paras Mal Katariya	Bangalore	24-7-84
60.	20733	G. Venkata Reddy	Visakhapatnam	22-1-85
61.	34944	R.L. Pinge	Baroda	18-4-84
62.	50494	Vinod Kumar Pareek	Calcutta	26-5-84
63.	70061	A.K. Bose	Calcutta	7-8-84
64.	81610	A.N. Nagappa	Bangalore	7-7-84

(II) Intermediate (New Syllabus) Examination—May, 1984 :

Total number of candidates appeared in Group I	11263
No. of candidates declared successful in Gr. I	1770
Percentage	15.72
Total No. of candidates appeared in Gr. II	14267
No. of candidates declared successful in Gr. II	2107
Percentage	14 77
Total No. of candidates appeared in Both Groups	5485
No. of candidates declared successful in Both Groups	396
Percentage	7.22

(III) Final (Old Syllabus) Examination—May, 1984 :

Total No of candidates appeared in Gr. I	1512
No. of candidates declared successful in Gr. I	146
Percentage	9.66
Total No. of candidates appeared in Gr. II	1192
No. of candidates declared successful in Gr. II	99
Percentage	8.31
No. of candidates appeared in Both Groups :	419
No. of candidates declared successful in Both Groups :	3
Percentage	.72

(IV) Final (New Syllabus) Examination—May, 1984 :

Total No. of candidates appeared in Gr. I	3892
No. of candidates declared successful in Gr. I	1987
Percentage	51.05
Total No. of candidates appeared in Gr. II	4715
No. of candidates declared successful in Gr. II	1626
Percentage	34 49
Total No. of candidates appeared in Gr. III	5285
No. of candidates declared successful in Gr. III	2089
Percentage	39.53
Total No. of candidates appeared in All Grs.	1140
No. of candidates declared successful in All Grs.	150
Percentage	13.16

APPENDIX XI

(Ref. Para 6.3 (a) of the Report)

	Inter	Final		
		I	II	III
No of candidates who were enrolled on 1-4-84	23,470	15,374	15,358	12,809
Enrolled during the year 1984-85	9,289	3,513	3,513	3,513
	32,759	18,887	18,871	16,322
No. of students who completed tuition in the year 1984-85 (May & Nov. 1984 Exams.)	(-)7,496	3,213	3,214	3,221
BALANCE	25,263	15,674	15,657	13,101

APPENDIX XII

(Ref. Para 7.1 of the Report)

SUMMARY OF RESULTS

EXAMINATIONS HELD IN MAY/JUNE, 1984

(I) Entrance Examination—June, 1984 :

Total number of candidates	4561
Total number of candidates declared successful	639
Percentage	14.01

APPENDIX XIII

(Ref. para 7.2 of the Report)

PRIZE AND CERTIFICATES OF MERIT FINAL EXAMINATION BEST STUDENT FOR THE YEAR 1984

Shri Sunil Dirajlal Shah was awarded the following Prizes:

(i) G.P. Kapadia (Ist President) Prize.

(ii) The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate.

(iii) The G Basu Foundation Award for the best student.

(iv) The N N Das Prize for the best student

(v) The Kerala Verma Prize for the best candidate in Group I

(vi) The U C Majumdar Prize and S M Shah Prize for the best paper on Company Law

(vii) The P N Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II

(viii) Certificate of Merit—1st Rank

INTERMEDIATE EXAMINATION

Best Student of the Year, 1984

Shri Jayen V Palekar awarded the following Prizes

(i) The G P Kapadia (1st President) Prize

(ii) The Suri Memorial Prize for the best student of the year, 1984

(iii) Certificate of Merit—1st Rank

FINAL EXAMINATION

		May, 1984	November, 1984
1.	The G P Kapadia (Ist President) Prize	Miss C V Shkuntala	Sunil Dhirajlal Shah
2	The Ramachandra Singhi Prize for the best candidate	Miss C V Sakuntala	Sunil Dhirajlal Shah
3	The Sir Shapoorji Bilimoria Prize for the best paper on Accountancy	K R Pradeep	Samir Kumar K Pandya
4	The J K Doshi Prize for the highest marks in the paper of Financial Management	Suriya Kar	Kailash Chand Bhansali
5.	The A F Ferguson Prize and the R Venkatesan Memorial Prize for the best paper on Auditing	Alok Sethi	B Srikanth
6.	The Kerala Verma Prize for the best candidate in Gr I	Shrirang Moreshwar Kulkarni	Sunil Dhirajlal Shah
7	The U C Majumdar Prize and the S M Shah Prize for the best paper on Company Law	K Venkatraman Nivarthi S Chandra Sekaran	Sunil Dhirajlal Shah
8	The N M Shah Prize and Suri Memorial Prize for the best paper on Direct Tax Laws.	Miss C V Sakuntala	Balasubramanian Ganeshan Ayyar
9	The Venkatachalam Mohan Prize for the best paper on Eco	Anupam Haldar	A Nageswaran
10	The P N Ghosh Memorial Prize for the best candidate in Group II	Nitin Bhaskar Karve	Sunil Dhirajlal Shah
11	The Jayantilal K Thakkar Memorial Prize for the best candidate who secures the second highest marks in the Final Exam.	Sumant Chadha	B. Srikanth
12	The R V K Umarjee Prize for the best paper on Cost Accounting.	Kamini Nayar and Nalin Bhandari	Balasubramanian Ganeshan Ayyar
13	The R Sivabhogam Prize for the best lady candidate	Miss C V Sakuntala	Miss Abhas Aziza
14	The G Basu Foundation Award for the best student for the year, 1934		Sunil Dhirajlal Shah
15	The N N Das Prize for the best student of the year, 1984 in Accountancy Groups		Sunil Dhirajlal Shah

EXAMINATIONS HELD IN NOVEMBER/DECEMBER 1984

(I) Entrance Examination—December, 1984

Total Number of candidates	10993
No of candidates declared successful	2315
Percentage	21 07

(II) Intermediate (New Syllabus) Examination—Nov. 1984

Total No of candidates appeared in Gr I	12936
No of Candidates declared successful in Gr I	3261
Percentage	25 21
Total No of Candidates appeared in Gr II	16597
No of candidates declared successful in Gr II	2992
Percentage	18 03
Total No of candidates appeared in Both Groups	6903
No of candidates declared successful in both Grs.	900
Percentage	13 04

III Final (Old Syllabus) Examination—November, 1984

Total No of candidates appeared in Group I	1580
No of candidates declared successful in Group I	3 2
Percentage	20 37
Total No of candidates appeared in Group II	1197
No of candidates declared successful in Gr II	116
Percentage	9 69
Total No of candidates appeared in Both Groups	468
No of candidates declared successful in Both Groups	7
Percentage	1 49

IV Final (New Syllabus) Examination—November, 1984

Total No. of candidates appeared in Group I	3819
No. of candidates declared successful in Group I	1708
Percentge	44 72
Total No. of candidates appeared in Gr II	4629
No of candidates declared successful in Gr II	1556
Percentage	35 77
Total No of candidates appeared in Gr III	5287
No of candidates declared successful in Gr III	2605
Percentage	49 27
Total No of candidates appeared in All Groups	1236
No. of candidates declared successful in All Groups	289
Percentage	23 38

APPENDIX XIV

(Ref para 8 4 of the Report)

REGIONAL COUNCILS, BRANCHES AND CHAPTERS OF THE INSTITUTE

WESTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

"Anveshak",
27, Cuffe Parade,
Colaba,
Bombay—400005

SOUTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

122, Nungambakkam High Road,
P B. 3314
Madras—600034.

EASTERN INDIA REGIONAL COUNCIL

7, Russell Street,
Calcutta—700001

CENTRAL INDIA REGIONAL COUNCIL

16/77, Civil Lines,
Behind Reserve Bank of India,
The Mall,
Kanpur—208001

NORTHERN INDIA REGIONAL COUNCIL

5th Floor, "Annexe",
The Institute of Chartered Accountants of India,
Indraprastha Marg, P B No 7100,
New Delhi—110001

BRANCHES

Ahmedabad Branch	B-1, Capital Commercial Centre, Near Sanyas Aashram, Ashram Road, Ahmedabad-380009
Baroda Branch	10, Chandan Building, 2nd Floor, Near Sardar Bhawan, Raopura, Baroda—390001.
Goa Branch	Datta Prasad 3rd Floor, A Albuquerque Road, Panjim—Goa
Kolhapur Branch	1604, E Ward, Datta Prasad, Rajaram Puri, 5th Lane, Kolhapur—416002.
Nagpur Branch	Dr Mangrulkar's Bungalow, Dhantoli Park Corner, Nagpur—440012
Nasik Branch	C/o Shri S N Kulkarni, 59, Main Road, Shende Building, Nasik—422001.
Poona Branch	C/o M/s Kirtane & Pandit, Chartered Accountants, 576, Sadashiv Peth, Laxmi Road, Pune—411030.
Rajkot Branch	2nd Floor, Kamdhenu, Near Moti Tanki, Rajkot—360001.
Surat Branch	C/o M/s Y B Desai & Co. "Vasudhara", Chamber 3, 3rd Floor, Parsi Sheri Navapura, Surat—395003
Solapur Branch	C/o Shri S N Tulpule, 654/1, South Kashba, Solapur—413007
Alleppey Branch	Behind District Cooperative Bank Building, Palace Road, Alleppey—688001.
Bangalore Branch	No 19, 1st Cross, IInd Floor, Lal Bagh Fort Road, Bangalore—560004
Belgaum Branch	2nd. Floor, Hari Mandir, Saraswat Samaj Building, Samadevi Gali, Belgaum—590002.
Calicut Branch	"Balasudha" Puthiyara, Calicut—673004
Coimbatore Branch	M M S Memorial Building, No 1, Diwan Bahadur Road, Coimbatore—641002
Ernakulam Branch	XXIII/204, Madapparambil Buildings, Mahatama Gandhi Road, Ernakulam, Cochin—682011.
Guntur Branch	Srinivasa Buildings, Main Road, Arundelpet, Guntur—522002
Hyderabad Branch	C/o, FAPCCI, 11 6 841, Red Hills, P B No 14, Hyderabad—500004
Kottayam Branch	Union Buildings, Municipal Junction, Kottayam—686001
Kumbakonam Branch	Gopal Rao Library Complex, Town Hall Road, Kumbakonam—612001.
Madurai Branch	50 B, Pechiarman Padithurai Street, Madurai—625001
Mangalore Branch	Udaya Printary Building, Mangalore—575003.
Mysore Branch	4581, Narasimharaja Mohalla, Mysore—570007.
Salem Branch	Town Railway Station Road, Salem—636001.
Tiruchirapalli Branch	No 35, Chinnakadai Street, 3rd Floor, Room No 3, Tiruchirapalli—620002.
Tirunelveli Branch	C/o Shri P.V. Ramachandran, 12, Sripuram, Tirunelveli—627001.
Trichur Branch	Bharadwaja Ashramam, Patturaikkai, Trichur—1.
Trivandrum Branch	Ulsave Madom Building, North of Padmanabaha Swamy Temple, Fort, Trivandrum—695023.
Vijayawada Branch	26-13-31, Sanyasiraju Street, Gandhi Nagar, Vijaywada—520003.
Visakhapatnam Branch	Siripuram, Visakhapatnam—530003
Asansol Branch	G T Road, (West End), Opp L I C Building, Asansol, Distt. Burdwan.
Bhubaneswar Branch	Plot No 265, Sahid Nagar, Bhubaneswar—751007.
Gauhati Branch	Ambari, Gauhati—781001.
Agra Branch	9/12, Sitar, Gali, Moti Katra, Agra
Bhopal Branch	111, Malviya Nagar, Bhopal—462003.

Ghaziabad Branch	C/o M/s Ravi Kumar & Co., 58, G T Road, Punjab & Sind Bank Building, Ghaziabad—201001
Indore Branch	123, Jawahar Marg, Indore—452002.
Jaipur Branch	19, Yudhister Marg, C—Scheme, Jaipur—302001
Jamshedpur Branch	91, Straight Mile Road Sakchi, Jamshedpur—831001
Jodhpur Branch	Opp Stadium Ground, Jodhpur
Lucknow Branch	Reid Hall, Lucknow Christian College, Golaganj, Lucknow
Patna Branch	C/o R N Mishra & Co Rizvi House, Jamal Road, Patna—800001.
Raipur Branch	C/o G S Agarwal & Co., Chartered Accountants, Bagadia Mansion, Jawahar Nagar, Raipur—492001.
Udaipur Branch	66, Panchsheel Marg, Near Town Hall, Udaipur—313001.
Allahabad Branch	C/o Shri S H Jain, General Manager (Finance), Bharat Pumps & Compressors Ltd. Naini, Allahabad—211010.
Amritsar Branch	102, J & K Bank Building, Shastri Market, Amritsar.
Chandigarh Branch	C/o Charan Dass & Co SCO, 89 91, Kushal Building, Sector 17-D, Chandigarh—160017
Faridabad Branch	C/o M/s L N Chaudhary & Co., 7, Neelam Chowk, 1st Floor, Faridabad—121001
Jalandhar Branch	C/o M/s V P Vijh & Co., Opp Government Higher Secondary School Civil Lines, Jalandhar City—144001
Ludhiana Branch	C/o Jain Subhash & Co B-1 6-5/3, Kundanpuri, Dr Bindra Ban Road, Civil Lines, Ludhiana—141001.

CHAPTERS

Doha Chapter	Post Box No 164 Doha, Qatar.
Dubai Chapter	Post Box No 1961, Dubai, U A E
Abu Dhabi Chapter	C/o Shri Rana Maitra, M/s S R. Batliboi & Co Post Box No. 7365, Abu Dhabi-U A E.

ANNUAL

ACCOUNTS

1984-85

AUDITOR'S REPORT

We have audited the Balance Sheet of the Institute of Chartered Accountants of India as at March 31 1985 and also the annexed Income & Expenditure Account for the year ended on that date incorporating the audited Accounts of the regional Councils and Branches and the Students' Associations and their Branches and report that:—

1. We have obtained all information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,

2. The Balance Sheet and the Income & Expenditure Account dealt with by the report are in agreement with the books of accounts;

3. In our opinion, the accounts are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations gives to us, the statements together with the schedules attached and read with notes give a true and fair view;
   (i) in the case of the Balance Sheet of the state of affairs as at March 31, 1985; and
   (ii) in the case of the Income & Expenditure Account, of the Surplus or the year ended on that date.

New Delhi
Dated : Sep. 9, 1985

M.R. Venkataraman, C. P. Mehra
Chartered Accountants

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
ACCOUNTING POLICIES

1. Depreciation : Fixed assets are shown on historical cost basis and have been depreciated on the diminishing balance method. Library books at the Head Office have been depreciated on the straightline method.
2. The admission fee from fellow members and a major portion of the entrance fee received from associate members are capitalised. An appropriate portion of the surplus arising out of students activities in transferred to Education Fund and to the extent this fund is utilised on fixed assets, transferred to Capital Reserve.
3. Inventories of paper, publications and study materials are valued at lower of cost or net realisable value for this purpose cost is ascertained on the basis of direct cost method.
4. Provision for Gratuity to staff is made on accrual basis. A gratuity-cum group insurance policy has been taken from the Life Insurance Corporation of India. Any shortfall in the payment of gratuity is debited in the year of payment.
5. Investments have been valued at cost.
6. Income from Seminars, Symposiums and Conferences has been accounted for on cash basis.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 1985

	Schedul.		31-3-85		31-3-84
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Funds Employed :					
(1) Fixed Assets					
Gross Block		210,58,627		188,10,935	
Less : Depreciation		74,77,244		64,23,231	
Net Block	A		135,81,383		123,87,704
(2) Earmarked Investments	B		48,73,388		50,38,233
(3) Other Investments :					
(a) Fixed Deposits with Banks		169,84,268		156,77,648	
(b) Govt. Securities		2,506	169,86,774	2,506	156,80,154
(4) Net Current Assets	C		(—)3,84,221		(—)37,27,808
			350,57,324		293,78,283
Financed By :					
(1) Capital Reserve	D		187,76,877		149,97,879
(2) General Reserve	E		99,20,632		78,78,052
(3) Other Reserves	F		14,86,427		14,64,119
(4) Earmarked Funds	G		48,73,388		50,38,233
			350,57,324		293,78,283

NOTE : FORMING PART OF THE ACCOUNTS AS AT MARCH 31, 1985 :

Accounts of one Students' Association and six branches of Students' Associations have not been received and hence not incorporated. However, the grants/fee paid/payable during the year of the above branches have been accounted for.

P.C. Jain
Sr. Deputy Secretary
New Delhi.
Sept. 9, 1985

R.L. Chopra
Secretary

A.C. Chakrabortti
President

P.A. Nair
Vice-President

As per our Report of even date attached

M.R. Venkataraman, C.P. Mehra
Chartered Accountants

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1985.

		1984-85	1983-84
		Rs.	Rs.
I. INCOME—Schedule H			
(a) Members			
(i) Regulatory		102,60,411	89,71,051
(ii) Professional Development & Research		14,76,081	8,61,923
		117,36,492	98,32,974
(b) Students		216,97,222	175,37,953
	TOTAL :	334,33,714	273,70,927
II. EXPENDITURE—Schedule I			
(a) Member			
(i) Regulatory		34,95,376	25,61,130
(ii) Professional Development & Research		79,04,983	66,13,419
		114,00,359	91,74,549
(b) Students		182,68,688	140,69,183
	TOTAL :	296,69,047	232,43,732
III. SURPLUS for the year :—			
(i) Transferred to Education Fund		17,14,267	17,34,385
(ii) Transferred to General Reserve		20,50,400	23,92,810
		37,64,667	41,27,195
	TOTAL :	334,33,714	273,70,927

P.C. Jain
Sr. Deputy Secretary

R.L. Chopra
Secretary

A.C. Chakrabortti
President

P.A. Nair
Vice-President

As per our Report of even date attached

M.R. Venkataraman, C.P. Mehra
Chartered Accountants

Sept. 9, 1985.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'A'—FIXED ASSETS

(Amount in Rupees)

Sl. No.	Assets	Cost as at 1-4-1984	Adjustments Relating to branches	Additions during the year	Cost as at 31-3-1985	Depreciation as at 31-3-1985	Book value as at 31-3-1985	Book value as at 31-3-1984
1.	Land	4,58,241	—	3,56,832	8,15,073	—	8,15,073	4,58,241
2.	Buildings	94,77,965	—	2,80,630	97,58,595	16,87,723	80,70,872	79,97,186
3.	Electric Installations & Fittings	11,58,859	—	81,774	12,40,633	6,83,945	5,56,688	5,42,360
4.	Air Conditioning Installations	12,27,428	—	2,53,689	14,81,117	8,06,799	6,74,218	5,42,172
5.	Lifts	2,84,041	—	—	2,84,041	1,45,701	1,38,340	1,5?,711
6.	Furniture & Fixtures	24,17,224	(—)5,802	5,95,733	30,07,155	13,09,382	16,97,773	13,12,840
7.	Office Equipment	11,00,984	356	1,82,303	12,83,643	7,46,558	5,37,085	4,59,554
8.	Vehicle	76,985	—	—	76,985	37,569	39,416	49,270
9.	Library	26,09,208	(—)484	5,02,661	31,11,385	20,59,567	10,51,818	8,72,370
	TOTAL :	1,88,10,935	(—)5,930	22,53,622	2,10,58,627	74,77,244	1,35,81,383	1,23,87,704

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'B'—EARMARKED INVESTMENTS

(Amounts in Rupees)

	Fixed Deposits with Banks		Balance in other Bank Accounts		Govt. Securities		Total	
	31-3-1985	31-3-1984	31-3-1985	31-3-1984	31-3-1985	31-3-1984	31-3-1985	31-3-1984
(A) Education Fund Investments Total (A)	26,30,413	31,38,726	—	—	—	—	26,30,413	31,38,726
(B) Other Earmarked Investments								
(a) Research Fund	6,80,250	6,78,994	—	(—)567	—	—	6,80,250	6,78,427
(b) Medals & Prizes Fund	1,95,534	1,57,117	25,088	23,970	80,025	80,025	3,00,647	2,61,112
(c) Scientific Research Fund	2,24,654	2,24,654	4,028	4,028	—	—	2,28,682	2,28,682
(d) Others	9,81,155	7,13,668	52,241	17,618	—	—	10,33,396	7,31,286
TOTAL : (B)	20,81,593	17,74,433	81,357	45,049	80,025	80,025	22,42,975	18,99,507
GRAND TOTAL (A+B)	47,12,006	49,13,159	81,357	45,059	80,025	80,025	48,73,388	50,38,233

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'C'—NET CURRENT ASSETS

(Amounts in Rupees)

Particulars		31-3-1985		31-3-1984
Current Assets :				
(a) Publications, Supply Materials & Stationery		38,42,0[illegible]		25,02,467
(b) **Amounts Receivable :**				
(i) Interest on Investments	8,61,230		7,83,537	
(ii) Interest on Housing & Vehicle Loans	5,32,603		—	
(iii) Others	18,83,708	32,77,541	18,73,476	26,57,013
(c) **Loans & Advances**				
(i) Advances to Staff Housing & Vehicle Loans	30,68,489		22,16,822	
Others	64,570		42,554	
	31,33,059		22,59,376	
(ii) Loan Scholarships to Students	4,03,934		4,37,804	
(iii) Others	5,68,955	41,05,948	6,21,903	33,19,083
(d) **Cash & Bank Balances**	52,42,235		35,36,018	
In transit with collecting bank.	10,89,806	63,32,041	4,47,600	39,83,618
TOTAL :		170,57,536		124,62,181
Less : Current Liabilities :				
(a) Fees received in advance		122,13,679		133,54,675
(b) Creditors for expenses		28,59,948		17,05,254
(c) Other liabilities		23,68,130		11,30.060
TOTAL :		174,41,757		161,89,989
Net Current Assets		(—)3,84,221		(—)37,27,808

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI.

SCHEDULE 'D'—CAPITAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1985	31-3-1984
(A) General (A)		
Balance as per last account	126,66,252	117,72,852
Add : Admission Fee & Allocated Entrance Fee	10,38,600	8,93,400
Add : Donations received for Madras Building Additional Construction.	3,72,398	—
TOTAL (A) :	140,77,250	126,66,252
(b) Education (B)		
Balance as per last account	23,31,627	23,31,627
Add : Transfer from Education Fund	23,68,000	—
TOTAL (B):	46,99,627	23,31,627
GRAND TOTAL (A + B)	187,76,877	149,97,879

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE 'E'—GENERAL RESERVE

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1985	31-3-1984
Balance as per last account	78,78,052	54,85,242
Add : Surplus transferred from Income & Expenditure Account	20,50,400	23,92,810
	99,28,452	78,78,052
Less : Transferred to Earmarked Funds	(—)7,820	—
TOTAL	99,20,632	78,78,052

SCHEDULE 'F'—OTHER RESERVES

(Amounts in Rupees)

Particulars	31-3-1985	31-3-1984
Balance as per last account	14,64,119	16,66,849
Add : Net Accretion during the year	1,50,308	1,10,903
	16,14,427	17,77752
Less : Transferred to Earmarked Funds	(—)1,28,000	(—)3,13,633
TOTAL :	14,86,427	14,64,119

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI
SCHEDULE 'G'—EARMARKED FUNDS

(Amounts in Rupees)

Particulars		31-3-1985	31-3-1984
(A) Education Fund			
Balance as per last account		31,38,726	14,89,963
Transferred from Income & Expenditure Account		17,14,267	17,34,385
Interest earned during the year		1,72,285	1,21,697
		50,25,278	33,46,045
Less : Transferred to Capital Reserve		(—)23,68,000	—
Adjustments		(—)26,865	(—)2,07,319
	TOTAL (A) :	26,30,413	31,38,726
B. Other Earmarked Funds			
(a) Research Fund		6,80,250	6,78,427
(b) Medals & Prizes Fund—Balance as per last account		2,61,112	2,59,859
Additions during the year		38,549	—
Income earned during the year		21,004	17,852
		3,20,665	25,77,711
Less : Cost of Medals Prizes awarded		(—)20,018	(—)16,599
		3,00,647	2,61,112
(c) Scientific Research Fund—Balance as per last account		2,28,682	2,28,682
(d) Others—			
1. Balance as per last account		7,31,286	2,99,216
2. Additions during the year		1,10,000	81,139
3. Transferred from General Reserves		7,820	
4. Transferred from Other Reserves		1,28,000	3,13,633
Add : Income earned during the year		57,446	40,024
		10,34,552	7,34,012
Less : Expenditure during the year		(—)1,156	(—)2,726
		10,33,396	7,31,286
	Total (B)	27,42,975	18,99,507
	GRAND TOTAL (A + B)	48,73,388	50,38,233

SCHEDULE 'H'

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1985

(Amount in Rupees)

	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			REGULATORY		PROFESSIONAL DEVELOPMENT & RESEARCH			
	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84
I. INCOME :								
1. Entrance Fee (Allocated)	4,00,200	3,42,000	4,00,200	3,42,000	—	—	—	—
2. Membership Fee	86,73,345	75,66,205	86,73,345	75,66,205	—	—	—	—
3. Post Graduate Course Fee	15,900	20,000	—	—	15,900	20,000	—	—
4. Students' Registration Fee	12,04,440	11,32,600	—	—	—	—	12,04,440	11,32,600
5. Students' Association Fee	92,260	87,100	—	—	—	—	92,260	87,100
6. Coaching Fee	90,44,208	66,72,817	—	—	—	—	90,44,208	66,72,817
7. Examination Fee	77,66,382	74,63,317	—	—	—	—	77,66,382	74,63,317
8. Journal & News Letter	3,48,360	2,57,262	—	—	—	—	3,48,360	2,57,262
9. Publications	31,63,679	19,05,724	—	—	9,28,183	4,42,406	22,35,496	14,63,318
10. Interest on Investments	1,67,195	1,55,076	—	—	98,422	89,673	68,773	65,403
11. Nomination Fee for Election to Council & Regional Councils	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Others	3,96,871	4,45,279	5,686	4,568	2,39,174	3,09,144	1,52,011	1,31,567
SUB TOTAL	3,12,73,140	2,60,48,080	90,79,231	79,12,773	12,81,679	8,61,923	2,09,12,230	1,72,73,384
13. Income from General Fund Investments (Allocated)	17,71,770	13,22,847	11,81,180	10,58,278	—	—	5,90,590	2,64,569
SUBTOTAL:	3,30,44,910	2,73,70,927	1,02,60,411	89,71,051	12,81,679	8,61,923	2,15,02,820	1,75,37,953
14. Prior Period Adjustment	3,88,804	—	—	—	1,94,402	—	1,94,402	—
TOTAL	3,34,33,714	2,73,70,927	1,02,60,411	89,71,051	14,76,081	8,61,923	2,16,97,222	1,75,37,953

SCHEDULE 'I'

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NEW DELHI

ANNEXURE TO INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1985

(Amounts in Rupees)

	TOTAL		MEMBERS				STUDENTS	
			REGULATORY		PROFESSIONAL DEVELOPMENT & RESEARCH			
	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84	31-3-85	31-3-84
II EXPENDITURE								
1. Salaries & Staff Expenses	96,76,106	78,89,021	18,75,171	14,37,422	21,43,814	19,31,540	56,57,121	45,30,059
2. Printing & Stationery	10,12,590	9,09,042	1,24,120	85,782	4,72,378	3,72,967	4,16,092	4,50,293
3. Publications	22,30,092	14,54,989	4,20,970	2,39,356	6,60,075	4,16,197	11,39,107	7,99,436
4. Journal & News Letter	21,68,455	16,50,412	—	—	18,44,279	14,03,048	3,24,176	2,47,367
5. Coaching (Excluding Salaries & Staff Expenses)	30,33,957	22,45,135	—	—	—	—	30,33,957	22,45,135
6. Examinations (Excluding Salaries & Staff Expenses)	49,67,875	37,18,390	—	—	—	—	49,67,857	37,18,390
7. Postage, Telegrams & Telephones	9,30,918	7,60,092	2,07,667	1,65,572	2,82,855	2,39,076	4,40,396	3,55,544
8. Rent, Rates & Taxes	11,56,165	5,99,566	2,41,627	1,13,153	2,83,870	2,23,369	5,30,668	2,63,044
9. Repairs & Maintenance	3,79,338	4,94,093	87,182	1,10,557	1,10,139	1,49,456	1,82,017	2,34,080
10. Depreciation	9,91,309	8,56,248	2,47,826	2,14,063	2,47,825	2,14,061	4,95,646	4,28,124
11. Travelling & Conveyance								
(a) Council Members	9,91,249	8,89,166	1,85,107	1,39,790	4,94,766	4,92,720	3,11,376	2,56,656
(b) Staff & Others	3,69,174	2,08,408	56,012	37,228	1,27,930	79,109	1,85,232	92,063
12. Library Maintenance	48,970	48,681	—	—	29,528	33,661	19,442	35,020
13. Overseas Relations	3,63,866	4,40,578	—	—	3,63,866	4,40,578	—	—
14. Professional Fees	2,72,288	1,22,165	42,459	16,110	1,17,588	51,946	1,12,241	54,109
15. Elections	7,295	12,147	7,295	12,147	—	—	—	—
16. Others	10,79,409	9,25,604	—	—	6,26,070	5,65,741	4,53,339	3,59,863
TOTAL	296,69,047	232,43,732	34,95,376	25,61,130	79,04,983	66,13,410	182,68,688	140,69,183

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

ANALYSIS OF EXPENSES ON MEMBERS FOR THE YEAR 1984-1985

Appendix

Sr. No.	Particulars	1984-85	1983-84
1.	(a) No. of Members	36,254	32,237
	(b) Total Expenditure*	Rs. 11,400	Rs. 9,175
2.	Total Expenditure per member	Rs. 314	Rs. 285
3.	Regulatory		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 3,495	Rs. 2,581
	(b) Expenditure per member	Rs. 96	Rs. 80
	(c) Percentage	31%	28%
4.	Professional Development & Research		
	(a) Total Expenditure*	Rs. 7,905	Rs. 6,613
	(b) Expenditure per member	Rs. 218	Rs. 205
	(c) Percentage	69%	72%

*Rupees in thousands

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 1985

(Rs. in lakhs)

	1984-85	1983-84
Source of Funds –		
Net income from investments, property etc. (both on capital and revenue accounts)	21.73	16.43
Capital receipts in the form of entrance fee, donations etc.	16.86	08.79
Decrease in working capital	—	31.93
(See Statement below)	38.59	57.15
Surplus for the year without charging depreciation and considering non-operational income from investments and property	28.80	35.80
TOTAL	67.39	92.95
Application of Funds –		
Increase in working capital	33.44	—
Acquisition of Fixed Assets	22.53	20.42
Acquisition of Investments	11.42	72.53
TOTAL	67.39	92.95

STATEMENT OF CHANGE IN WORKING CAPITAL

(Rupees in lakhs)

	1984-85	Increase/Decrease 1983-84
CURRENT ASSETS : -		
(a) Publications, Study Materials & Stationery	08.40	04.35
(b) Amount receivable – Interest	00.78	02.16
	05.33	
Others	00.10	00.83
(c) Loans & Advances		
(i) Advances to Staff	08.74	04.36
(ii) Loan Scholarships to Students	(—)00.34	(—)02.38
(iii) Others	(—)00.53	(—)00.27
(d) Cash & Bank balances	23.48	(—)04.75
TOTAL	45.96	04.30
CURRENT LIABILITIES		
(a) Fees received in advance	(—)11.41	42.72
(b) Creditors for expenses	11.55	00.79
(c) Other Liabilities	12.38	(—)07.28
TOTAL	12.52	36.23
Net Increase/Decrease in Working Capital	33.44	(—)31.93

R. L. CHOPRA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986